चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Wednesday, 20 March, 1968

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26—बुधवार, 20 मार्च, 1968/30 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 26—Wednesday, March 20, 1968/Phalguna 30, 1889(Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
718.	नेपाल सरकार के लिये निर्बाध व्यापार पत्तन सम्बन्धी सुविधायें	Free Port Facilities for Nepal Government	757
719.	आकाशवाणी के लिये निगम	Corporation for AIR	760
720.	डनलप कवेन्टरी लिमिटेड के साथ हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड का करार	H. A. L. Agreement with Dunlop Coventry, Ltd.	766
721.	अखबारी कागज का उत्पादन और आयात	Production and Import of Newsprint	769
722.	पुराने सैनिक सामान का बेचा जाना	Disposal of obsolete Defence Material	774

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
723.	वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Washington	775
724.	विकलांग सैनिकों को सहायता	Relief to Disabled soldiers .	775
725.	राष्ट्रीय छात्र सेना दल द्वारा राष्ट्रीय झंडे की सलामी	Salute to National Flag by N.C.C.	776
726.	तारापुर परमाणु बिजलीघर के पत्रकारों की यात्रा	Tour by Journalists of Tarapur Atomic Power Plant	776

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

लिखित उत्तर

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
727. आकाशवाणी के अधिकारियों तथा गिल्ड के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत	Negotiations between the AIR Authorities and the Representatives of the Gulld .	777
728. भतपूर्व कालोनियों में बसे हुए भारतीय नागरिक	Indian Nationals settled in Erstwhile British Colonies	777
729. राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर परमाणु बम गिराने वाले विमानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध	Ban on Flying of Nuclear Bombers beyond National Frontiers	777
730. गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा सैनिक सामान का उत्पादन	Manufacture of Defence Goods by Private Sector	778
731. भारतीय अर्थ-व्यवस्था	Indian Economy	779
732. विद्रोही मिज़ो द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में मुद्रणालय की स्थापना	Press set up by Mizo hostiles in East Pakistan	779
733. विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का विभाजन	Diversification of Industries in various Regions	780
734. भारतीय वायु क्षेत्र, भूमि क्षेत्र और जल प्रांगण का अतिक्रमण	Violations of Indian Air space, Land and Territorial Waters	780
735. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सम्बन्धी कबिर समिति	Kabir Committee on National Sample Survey	781
736. परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक तथा प्रतिरक्षा व्यय में कटौती	Ban on Production of Nuclear Weapons and cut in Defence Expenditure . . .	781
737. दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	Indians in South Africa	781
738. नागालैंड में राज विद्रोह भड़काने की चीन की योजना	Chinese Plan of Fostering Insurgency in Nagaland	782
739. कच्छ सम्बन्धी निर्णय की क्रियान्विति	Implementation of Kutch Award	782
740. लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission in Laos	783
741. पंजाब राज्य परिवहन सेवाओं को चलाने के लिए सेना की सहायता	Assistance of Army for Running Punjab State Transport Services	783

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
742.	भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन	Advertisements in Indian and English Language Newspapers	783
743.	पाकिस्तान और चीन द्वारा सीमा का अतिक्रमण	Border Violations by Pak and China .	784
744.	योजना आयोग का महत्त्व बढ़ाना	Revitalization of Planning Commission	784
745.	लंदन में जातीय दंगे	Racial clashes in London . . .	785
746.	गुज्जर कबीले का प्रतिनिधि मंडल	Deputation of Gujjar Tribes . . .	785
747.	योजना परियोजनाओं के लिए राज्यों को बराबर के अनुदान	Matching Grants to States for Plan Projects	785

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. Q. No.			
4498.	इक्वेटोरिया राकेट लौंचिंग स्टेशन, थुम्बा की स्थापना पर व्यय	Cost of Establishment of Equatorial Rocket Launching Station, Thumba . . .	786
4499.	थुम्बा राकेट लौंचिग स्टेशनों के सर्वोच्च इंजीनियरों द्वारा विदेश यात्रायें	Foreign Trips by the Top Engineers of Thumba Rocket Launching Station . . .	786
4500.	आकाशवाणी में मैकेनिकों को स्थायी बनाना	Confirmation of Mechanics in AIR . .	787
4501.	आकाशवाणी के श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारियों के सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Second Pay Commission's Recommendations in Respect of Class III Technical Staff of AIR . .	788
4502.	11 और 12 जनवरी, 1966 को काम पर तैनात टेलीफोन आपरेटरों तथा श्रेणी तीन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का दिया जाना	Payment of Overtime Allowance to Telephone Operators and Class III Technical Staff on Duty on the 11th and 12th January, 1966	788

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4503.	राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम पर आने वाले श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना	Payment of Overtime Allowance to Class III Technical Staff on Duty on National Holidays . .	788
4504.	भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति	Indian National Space Research Committee	789
4505.	थुम्बा परियोजना पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange on Thumba Project . .	789
4506.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण	Manufacture of Transistor Radios by BEL .	789
4507.	फ्रांस द्वारा भारत को विमानों की सप्लाई	Supply of Aeroplanes to India by France	790
4508.	केन्द्रीय संगीत तथा नाटक प्रभाग, दरभंगा	Central Song and Drama Division, Darbhanga	790
4509.	ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान वर्ग का सर्वेक्षण	Survey of Affluent population of Rural Areas	791
4510.	छपाई के लिए राजकीय पुरस्कार	State Awards for Printing	791
4511.	दरभंगा में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Darbhanga . . .	792
4512.	रेडियो एक्टिव आइसोटोप से विद्युत्	Power from Radio Active Isotopes . .	792
4513.	सैनिक इंजीनियरी सेवा में मीटर रीडरों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Meter Readers in M.E.S. .	793
4514.	भारतीय वायु सेना के पुराने विमान	Out dated IAF Aircraft	794
4515.	सैनिक स्कूल	Sainik Schools	794
4516.	भारतीय विदेश सेवा संवर्ग	Indian Foreign Service Cadre . .	794
4517.	केरल में आयुध कारखाना	Ordnance Factory in Kerala . .	795
4518.	आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर	Chief Producers of AIR . . .	796
4519.	वर्ष 1967 के दौरान प्रसारित की गई राजनीतिक वार्ता	Political Talks Relayed during 1967 . .	796
4521.	चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशन	Radio Stations in Madhya Pradesh during Fourth Plan	796

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4522.	पनडुब्बियों की खरीद	Purchase of Submarines . . .	797
4523.	राज्यों के मुख्य सचिवों तथा योजना सचिवों की बैठक	Meeting of the State Chief Secretaries and Planning Secretaries . . .	797
4524.	कच्छ न्यायाधिकरण के निर्णय के बारे में प्रसारित किये गये समाचार	News Broadcast about Kutch Award . .	797
4525.	रोम स्थित भारतीय दूतावास में प्रैस तथा सांस्कृतिक सहचारी	Press and Cultural Attache in the Indian Mission in Rome . .	798
4526.	पारपत्र के बिना ब्रिटेन जाने वाले व्यक्ति	Persons Entering Britain without Passports .	798
4527.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ सम्पर्क	Dealings with German Democratic Republic	799
4528.	नय आयुध कारखाने	New Ordnance Factories .	799
4529.	राइफल फैक्टरी ईशापुर	Rifle Factory Ichhapur	799
4530.	ईशापुर धातु और इस्पात फैक्टरी को दिये गये क्रयादेश	Orders placed on Ichhapur Metal and Steel Factory	800
4531.	पीकिंग रेडियो में कार्य कर वाले भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals working in Peking Radio .	800
4532.	सैनिकों के लिये प्रकाशन	Publications for Military Personnel . .	800
4533.	राष्ट्रीय नेताओं की जीवनी पर वार्ताओं का प्रसारण	Broadcast of Talks on the lives of National Leaders	801
4534.	विदेशों में रहने वाले भारतीय	Indians in Foreign Countries . . .	801
4535.	भारतीय सेना को राकेटों से सुसज्जित करना	Equipping of Indian Army with Rockets .	802
4536.	1967–68 में मध्य प्रदेश प्रदेश में समाचारपत्रों को विज्ञापन	Advertisement to Newspapers in Madhya Pradesh during 1967-68 . . .	802
4537.	मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in Madhya Pradesh .	802
4538.	अंगहीन सैनिकों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of Disabled soldiers . .	803
4539.	हिमाचल प्रदेश के आदिम जातीय दल का दौरा	Tour by a Team of Tribals of Himachal Pradesh	803
4540.	हिमाचल प्रदेश के आदिम जातीय लोग	Tribals of Himachal Pradesh .	804

U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4542. हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केन्द्र (रेडियो स्टेशन)	Radio Station in Haryana State . .	804
4543. सड़क दुर्घटनाओं में सैनिक गाड़ियों का अन्तर्ग्रस्त होना	Army Vehicles involved in Road Accidents .	805
4544. विमान दुर्घटनायें	Air Accidents	
4545. मध्य प्रदेश में आयुध कारखाने	Ordnance Factories in Madhya Pradesh	805
4546. श्रीनगर रेडियो स्टेशन से समाचारों का प्रसारण	News Broadcast from Radio Srinagar	806
4547. आई. एन. एस. गंगा को हुई क्षति	Damage to INS Ganga	806
4548. आई. एन. एस. धर्मी	I.N.S. Dharami	807
4549. छावनी बोर्ड	Cantonment Boards	807
4550. आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र में कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Staff in the A.I.R. Television Centre	807
4551. भारत अमरीकी मैत्री संस्थायें	Indo-American Friendship Societies . .	808
4552. सीमा सड़क संगठन	Border Roads Organisation . .	809
4553. अदन से स्वदेश लौटे परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Aden .	809
4554. सैनिक समाचार	Sainik Samachar	810
4555. सैनिक समाचार	Sainik Samachar	810
4556. सैनिक समाचार	Sainik Samachar	810
4558. विदेशों में प्रदर्शित फिल्में	Films Exhibited Abroad	811
4559. आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से स्थानीय भाषाओं में प्रसारण	Broadcast from AIR Imphal in Local Language	811
4560. वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका इण्डियन न्यूज	Indian News Weekly Published by Indian Embassy in Washington	812
4561. पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्था	Training Institute of Mountaineering . .	812
4562. डा० वाई० नजमुद्दीन की पूर्वी अफ्रीका में गतिविधियां	Activities in East Africa of Dr. Y. Najmuddin	813

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4564.	मुंगेर में बन्दूक बनाने का कारखाना	Gun Factory in Monghyr .	813
4565.	तोप और गोला फैक्टरी, कलकत्ता	Gun and Shell Factory, Calcutta	814
4566.	सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा, आंध्र प्रदेश	Sainik School, Korukonda, Andhra Pradesh	814
4567.	पूर्वी जर्मनी के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध	India's Trade Relations with GDR	815
4568.	विदेश भेजे गये प्रतिनिधिमंडल	Delegation sent abroad	815
4569.	1967-68 में आयात किये गये चलचित्र	Films Imported in 1967-68	816
4570.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हवाई अड्डों का प्रयोग	Use of Airfields by M. P. Government.	816
4571.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जयपुर में इन्वेस्टिगेटर्स तथा इंस्पैक्टरों की संख्या	Strength of Investigators and Inspectors in National Sample Survey Office, Jaipur	816
4572.	वाइपर किस्म के तेज रिएक्टर	Viper Type Fast Reactors .	817
4573.	न्यूटरान का प्रयोग	Use of Neutrons .	817
4574.	चलचित्रों पर मनोरंजन कर	Entertainment Taxes on Films .	817
4575.	26 जनवरी, 1968 को हुई विमान दुर्घटना	Aircraft crash on 26th January, 1968 .	818
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	818
	छिपे नागाओं द्वारा सुरक्षा सेनाओं पर गोली चलाये जाने का समाचार	Reported firing by the Underground Nagas on the Security Forces . .	818
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	821
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति	Report of Committee on Private Members Bills and Resolutions . . .	821
	चौबीसवां प्रतिवेदन	Tewnty-fourth Report .	821
	पंजाब की स्थिति पर चर्चा के बारे में	Re. Discussion on situation in Punjab	822
	सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Members . .	823

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	823
अड़तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-eighth Report .	823
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Reorganisation of Hindustan Steel Limited .	824
डा० चन्ना रेड्डी	Dr. Channa Reddy .	824
यलविगी स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Railway Accident at Yalvigi Station . . .	828
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha . . .	828
प्राक्कलन समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Extension of terms of office of Members of Estimates Committee .	829
लोक लेखा समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Extension of term of office of Members of Public Accounts Committee	831
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Extension of term of office of Members of Committee on Public Undertakings.	832
जम्मू तथा काश्मीर लोक-प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक	Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Bill . .	834
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass as amended .	834
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi . .	834
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee .	834
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar . . .	834
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar . .	834
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra . .	834
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	835
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun . .	835
श्री मु० यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem . .	835
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1968-69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1967-68	Demands for Grants (Railways),1968-69 and Demands for Supplementary Grants (Railways), 1967-68	835

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
पंजाबी स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. situation in Punjab	845
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	845
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1968 —पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Railways) Bill, 1968—Introduced and passed . . .	858
विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1968—पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1968—Introduced and passed . .	859
लेखानुदानों की मांगें (हरियाणा), 1968—69 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें, (हरियाणा) 1967—68	Demands for Grants (On Account) Haryana, 1968-69 and Demands for Supplementary Grants (Haryana), 1967-68 . .	861
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	865
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh . .	866
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	866
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Sri Chand Goel	866
श्री अब्राहम	Shri K. M. Abraham	867
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant .	868
हरियाणा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1968—पुरःस्थापित तथा पारित	Haryana Appropriation (Votes on Account) Bill, 1968—Introduced and passed . .	872
हरियाणा विनियोग विधयक, 1968— पुरःस्थापित तथा पारित	Haryana Appropriation Bill, 1968—Introduced and passed	872
विदेशों में भारतीय दूतावासों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour discussion re. Indian Missions abroad .	874
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh . .	874
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh .	876

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 20 मार्च, 1968/30 फाल्गुन, 1889 (शक)
Wednesday, March 20, 1968/Phalguna 30, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नेपाल सरकार के लिये निर्बाध व्यापार पत्तन सम्बन्धी सुविधायें

*718. **श्री वेवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने कलकत्ता में निर्बाध व्यापार पत्तन की सुविधायें दिए जाने के लिए पुनः अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 4 दिसम्बर, 1967 को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर में जो कुछ बताया जा चुका है, उससे अधिक सरकार को और कुछ नहीं कहना है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: यदि सभा की ऐसी ही इच्छा है तो मैं तारांकित प्रश्न संख्या 422 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को यहां पढ़ सकता है।

श्री वेवकीनन्दन पाटोदिया : दुर्भाग्य से, यह मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास (अंकटाड) सम्मेलन में नेपाल के प्रतिनिधि ने एक नयी मांग प्रस्तुत की कि इस समय जो सुविधाएं उनको दी जा रही हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और उन्हें अभी भी कुछ विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने यह मांग की कि विशेष रूप से नेपाल को निर्बाध व्यापार पत्तन

सम्बन्धी सुविधाएं दी जाएं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि नेपाल के प्रतिनिधि ने कौन-कौन सी कठिनाइयां सामने रखीं और भारत सरकार द्वारा पहले ही दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कौन सी अन्य निर्बाध व्यापार पत्तन सम्बन्धी सुविधाएं वे चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सत्य है कि समय-समय पर कुछ नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों ने कभी निर्बाध व्यापार पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं की मांग तथा कभी नेपाली माल के लिए विशेष घाट (जेटी) आरक्षित रखने की मांग को हमारे सामने रखा है। हमारी स्थिति ऐसी है कि जो भी सुविधाएं हमने नेपाल की दी हैं, वे नेपाल के व्यापार के परिमाण को देखते हुए पर्याप्त हैं। हमारे विचार के अनुसार जो सुविधाएं नेपाल सरकार को दी गयी हैं वे अपर्याप्त नहीं हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न यह था कि नेपाल के प्रतिनिधि ने कौन-कौनसी कठिनाइयों की ओर संकेत किया है तथा इस समय उनको दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त वे अन्य किस प्रकार की निर्बाध व्यापार पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हम नेपाल की हर प्रकार से सहायता करना चाहते हैं तथापि जैसा कि उपमंत्री महोदय ने बताया है, जो सहायता हमने नेपाल को दे दी है वह उसके व्यापार के परिमाण को देखिते हुए पर्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास (अंकटाड) सम्मेलन में भू-सीमित (स्थल-रुद्ध) देशों ने यह मांग की कि उन्हें व्यापार के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। हमारी स्थिति ऐसी है कि इस बात पर निश्चय रूप से गौर किया जा सकता है लेकिन यह पारस्परिक सुविधा स्थान की उपलब्धि आदि के अनुसार होनी चाहिए।

जहां तक नेपाल सरकार को अब तक दी जा चुकी सहायता का प्रश्न है, तीन माल-गोदाम उसको अपने प्रयोग में लाने के लिए सौंप दिए गए हैं। यदि सभा की इच्छा हो तो मैं उनका क्षेत्र बता सकती हूं। लेकिन बात यह है कि इन तीनों मालगोदामों में इस समय केवल लगभग 220 टन माल रखा हुआ है जबकि इनकी क्षमता इससे सौ गुना से अधिक माल रखने की है। यदि नेपाली व्यापारियों को उस क्षेत्र में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वैसी ही असुविधा उस क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों को भी होती है।

श्री रंगा : प्रश्न तो यह है कि क्या उन असुविधाओं को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जब कोई बात हमारे ध्यान में लाई जाती है तो हम निश्चय रूप से उस पर गौर करते हैं लेकिन वहां स्थान की कोई कठिनाई नहीं है। पत्तन आयुक्त (पोर्ट कमिश्नर) की रिपोर्ट से हमें पता चला है कि नेपाल का लगभग 26,000 गांठ

जूट नेपाल सरकार को दिए गये गोदामों के बाहर पत्तन क्षेत्र में पड़ा रहा है जिससे कभी-कभी दूसरों को कठिनाई होती है। एक विशेष घाट (जेटी) अथवा निर्बाध व्यापार पत्तन उपलब्ध कराने का अभिप्राय होगा भारतीय माल के लिए एक विशाल क्षेत्र को बेकार करना और इससे नेपाल सरकार की भी कोई विशेष सहायता नहीं होगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार अलजीयर्स चार्टर के अनुसार भू-सीमित (लैंड लाक्ड) देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नेपाल सरकार द्विपक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत जो सुविधाएं प्राप्त कर रही है वे उन सुविधाओं से कहीं अधिक हैं जो उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय उपसधि या करार से प्राप्त हो सकती हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उस स्थिति में क्या यह सच है कि अलजीयर्स चार्टर को दृष्टि में रखते हुए निर्बाध व्यापार पत्तन संबंधी सुविधाओं की यह मांग की जा रही है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा मैंने कहा कि नेपाल की ओर से निर्बाध व्यापार पत्तन संबंधी सुविधाओं के लिए मांग बार-बार की गयी है लेकिन वे स्वयं अपनी मांग के बारे में स्पष्ट नहीं हैं उन्हें स्वयं यह पता नहीं कि वे क्या चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनका व्यापार एक छोटे परिमाण का है इसलिए उसके लिए निर्बाध व्यापार पत्तन का उपलब्धि कराना न्यायसंगत नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इतना और कहना चाहती हूं कि ये मालगोदाम बिना किराये के हैं। और कोई सुविधा जिसकी आवश्यकता समझी जायेगी उस पर निश्चय रूप से विचार किया जायेगा। हम इन मामलों की आपस में चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हमारे आपसी संबंध बड़े मित्रता-पूर्ण हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : नेपाल के साथ भारत के बड़े नाजुक संबंधों को दृष्टि में रखते हुए मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि उन्हें जूट कहां से प्राप्त होता है, क्योंकि वह तो जूट पैदा नहीं करता।

क्या यह सच है कि कि नेपाल का बहुत सा व्यापार भारत के माध्यम से होता है? नेपाल का चीन के साथ व्यापार भारत के माध्यम से होता है, मैं जानना चाहता हूं क्या यह मामला संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास (अंकटाड) सम्मेलम में उठाया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल ने पाकिस्तान के साथ व्यापार के संबंध में भी उसी प्रकार की सुविधा के लिए निवेदन की है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसे भू-सीमित (लैण्ड-लाक्ड) देशों के बारे म उठाये गये प्रश्नों के भाग के रूप में उठाया गया होगा।

श्री हेम बरुआ : महोदय, देश के इस भाग में खूब तस्कर व्यापार हो रहा है। नेपाल के रास्ते चीनी माल का भारत में तस्कर व्यापार होता है। आपको विदित है पूर्वी भारत में चीन के माल के लिये बड़ा भारी बाजार है और इस समय नेपाल को तस्कर व्यापार हो रहा है। धान का कलकत्ता से नेपाल को तस्कर व्यापार हो रहा है तथा तब नेपाल से चीन को, क्या यही कारण है अथवा क्या यह सच है कि भारत सरकार इस समय इस तस्कर व्यापार के कारण ही नेपाल सरकार को पत्तन संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए अनिच्छुक है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं । मैंने पत्तन संबंधी अतिरिक्त सुविधाओं के बारे में सरकार के विचार पहले ही बता दिए हैं। जहां तक तस्कर व्यापार का संबंध है, वास्तव में यह चिन्ता का विषय है और इसके बारे में हमने उन्हें अलग से सूचित कर दिया है।

आकाशवाणी के लिये निगम

+

*719. **श्री प्रम चन्द्र वर्मा:**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनौपचारिक सलाहकार समिति की यह निश्चित राय है कि आकाशवाणी को सार्वजनिक निगम में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि निगम के महानिदेशक के पद पर उच्च स्तर के सार्वजनिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और आकाशवाणी के नये ढांचे के बारे में कोई योजना बना ली है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित ढांचे का ब्योरा क्या है ?

सूचना व प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती नन्दनी सतपती) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनौपचारिक सलाहकार समिति के सदस्यों ने साधारणत: यह मत व्यक्त किया है कि आकाशवाणी को सार्वजनिक निगम में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) सलाहकार समिति के एक सदस्य की राय थी कि आकाशवाणी के महानिदेशक को देश के ख्याति प्राप्त सार्वजनिक व्यक्तियों में से चुना जाए।

(ग) और (घ). आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम में परिवर्तित करने के प्रश्न पर जिस पर निर्णय लिए जाने की सम्भावना है, विचार किया जा रहा है और सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखा जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, अपने उत्तर में माननीया उप मंत्री ने कहा है--"अनौपचारिक सलाहकार समिति" ने विचार व्यक्त किये हैं"। आपके सूचनार्थ तथा माननीया प्रधान मंत्री के सूचनार्थ, यदि वह मेरी बात सुनें . . .

एक माननीय सदस्य : श्रीमन्, क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह अध्यक्ष को कोई जानकारी दे रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, स्वतन्त्र पार्टी से लेकर प्रजा समाजवादी दल तक ने, तथा अन्य छोटे एककों ने भी विभिन्न कारणों से इस समिति का बहिष्कार किया था। अब वह कहती है "अनौपचारिक सलाहकार समिति"।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी यह एक समिति है।

श्री स० मो० बनर्जी : वह कांग्रेस समिति होगी ।

श्री रंगा : उन्हें "अनौपचारिक सलाहकार समिति" कहने दें ।

अध्यक्ष महोदय : एक समय में इतने आदमी नहीं बोल सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं खड़ा हूं ।

श्री कन्डप्पन : यह तो कांग्रेस सलाहकार समिति है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि वह इसे कांग्रेस सलाहकार समिति कहती तो मैं स्वीकार कर लेता परन्तु सारे विपक्षी दल ने इसका बहिष्कार किया है । इस को इस प्रकार बोलना बड़ा गलत है ।

Shri A. B. Vajpayee: There is another side of this factor, *i.e.* these Committees never take any decisions. The decisions of these Committee are never recorded. It is never recorded as to what has been expressed by any member. So, it is quite a wrong reply. There is absolutely no record of the meetings of the Committees.

अध्यक्ष महोदय : यह तो बिल्कुल स्पष्ट है । कहना यह है कि यह सलाहकार समिति है । इसमें विपक्षी दल कार्य नहीं कर रहे ह ।

श्री रंगा : अतः यह एक सलाहकार समिति कैसे हो सकती है । यह तो एक कांग्रेस समिति हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इससे शायद सहमत न हों । सम्भव है मंत्रालय इसकी सिफारिशें स्वीकार न करे । हम अनुपूरक प्रश्नों द्वारा यह पता लगा लेंगे कि विपक्षी दल के इस समिति में सम्मिलित न होने पर भी क्या उन्होंने इस की सिफारिशें स्वीकार करली हैं ? बिल्कुल यही जानकारी हम प्रश्न काल में प्राप्त कर लेंगे ।

श्री कन्डप्पन : यदि सब प्रकार की अनौपचारिक चीजें मान ली जायें तो मुझे डर है कि फिर तो कुछ भी कर लिया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Prem Chand Verma: I want to know from the Hon. Minister whether it is a fact that the recommendations of Chanda Committee, with regard to converting A.I.R. into a Public Corporation are contrary to one another, and if those are implemented, the whole structure will come out to be a mess? If so, what are the principal recommendations? Will the Hon. Minister throw some light on them?

सूचना व प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : चन्दा-समिति की लगभग 21 सिफारिशें हैं जिनका अभिप्राय आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम में परिवर्तित करने का है । ये विचाराधीन हैं तथा जब अन्तिम निर्णय लिया जायेगा तो मैं उसे सभा के समक्ष रख दूंगा ।

Shri Prem Chand Verma: Is the Government by finding a middle way between the present setup of A.I.R. and Public Corporation, considering

such a scheme as to provide the nation with better services than those of A.I.R.? If so, what are the details and if not, the other scheme the Government is considering, also the aspects which are being given more importance, and by what time will the final decision be taken?

श्री के० के० शाह : ये सब प्रश्न विचाराधीन हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि चन्दा समिति ने अपना प्रतिवेदन बहुत समय पूर्व दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि उस मामले में सरकार देर क्यों कर रही है तथा क्या इस अवधि में राज्य सरकारों के विचारों का पता किया गया है, यदि हाँ, तो विभिन्न राज्य सरकारों के क्या विचार हैं ?

श्री के० के० शाह : अनौपचारिक रूप में मैं केवल मुख्य मंत्रियों से ही नहीं प्रत्युत विपक्षी नेताओं से भी परामर्श लेता रहा हूं । मैंने अपने माननीय मित्रों से भी बात की है, यह दूसरी बात है कि वे मुझ से सहमत नहीं, परन्तु निर्णय लेने से पूर्व मैं समस्त सभा के परामर्श का लाभ उठाना चाहता हूं । इसलिए यहां पर उठाई गई आपत्तियों का भी समाधान प्राप्त करने के लिये मैं व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक रूप से प्रयत्न कर रहा हूं ।

Shri A. B. Vajpayee: Mr. Speaker, whatever is stated in reply to part (a) of the Question, is contrary to the facts. The decisions of the Consultative Committees are neither taken as informal nor these can be cited in the House. The Opposition parties are demanding certain decisions but the Minister for Parliamentary Affairs and the Prime Minister have turned down this demand. I want to know as to what is the date of the meeting of Committee under reference, which of the members were present, what were the individual opinions of those members; and whether the Hon. Minister will place the complete material on the Table of the House?

श्री के० के० शाह : उस बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा मैं सभा पटल पर रखने को तैयार हूं । यह बैठक 22 दिसम्बर, 1967 को हुई थी । जिन सदस्यों ने अपने विचार दिये उनके नाम हैं — श्री चपलाकांत भट्टाचार्य, श्री प्रेम चन्द वर्मा, . . . (व्यवधान) . . . मैं केवल जानकारी दे रहा हूं । श्री कृष्ण कुमार चैटर्जी, श्री रामधन, श्री बी० बी० तिवारी, श्रीमती पारन्जिपे तथा मौलाना इसहाक साम्भली ।

श्री रंगा : वह कौन हैं ?

श्री के० के० शाह : वह विपक्ष की ओर से हैं ।

Shri A. B. Vajpayee: My question has not been replied to. Whatever these members have said, should be placed on the Table of the House.

श्री के० क० शाह : मैं इसे रख दूगा ।

श्री कन्नप्पन : जिस प्रकार से सरकार सलाहकार समिति के कार्यों को चला रही है उस पर मैं अपनी खेद-भावना तथा तीव्र विरोध प्रकट करता हूं । इस वर्ष के आरम्भ से ही हम चिल्ला रहे हैं कि इस अनौपचारिक सलाहकार समिति का सुन्दरतर ढंग से उपयोग किया जाये इसका समस्त लेखा-जोखा हो तथा इसकी ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये । परन्तु सरकार ने हमारी

मांग स्वीकार नहीं की। अब वे आकर कहते हैं कि कांग्रेस दल के मुटठी-भर आदमियों की इसे अनौपचारिक सलाहकार समिति ने अमुक निर्णय लिया है तथा सरकार को बचाया है; और चन्दा-समिति के प्रतिवेदन को ताक पर रख दिया गया है। चन्दा-समिति का प्रतिवेदन कई वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। तब से न जाने सरकार क्या कर रही है। जब चन्दा-समिति नियुक्त हुई तो उसने आकाशवाणी के प्रत्येक कार्य की जांच की तथा इसके समक्ष निगम आदि के कार्य के बारे में भी सोच-विचार किया। शायद उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्पर्क किया होगा तथा विभिन्न व्यक्तियों की सलाह तथा सम्पर्क के आधार पर ही अपने निर्णयों को निर्धारित किया होगा। अब जबकि वे एक निर्णय पर भी पहुंच गये हैं तथा प्रतिवेदन भी सरकार के पास है तो मैं जानना चाहता हूं कि चन्दा-समिति की सिफारिशों को लागू करने के बारे में निश्चय करने में सरकार को क्या बाधा आ रही है।

श्री के० के० शाह : इस प्रश्न को पूछने के लिये मैं अपने माननीय मित्र का आभारी हूं। अब जैसे कि मैंने कहा कि निर्णय लेने से पूर्व हम सभा के सब भागों का परामर्श भी लेने का प्रयत्न करते हैं और यदि मेरे माननीय मित्र कहें कि यह सलाहकार समिति समस्त दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो वह ऐसा कह सकते हैं किन्तु मैं बाहर भी उनसे परामर्श लेता रहता हूं तथा जो लोग इस सलाहकार समिति के सदस्य हैं,.. (व्यवधान) ...वाद-विवाद के लिये आपको भी अवसर मिलगा। वित्त मन्त्रालय इसकी पेचीदगियों की जांच कर रहा हैं और इसके बाद हम सभा को अवगत करायेंगे।

श्री वामानी : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि आकाशवाणी को बी० बी० सी० जैसा स्वायत्त-शासी निकाय बना दिया जाय तो क्या पेचीदगी होगी ?

श्री के० क० शाह : उसकी भी जांच की जा रही है।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, in a discussion on it during last Session, the Hon. Minister had stated that action on the Chanda-Committee will be taken very soon. I want to know, as he says that he has been consulting the opposition parties, the names of the parties he has been consulting and the main recommendations which are to be implemented; the time by which he going to setup the said Corporatiohn; and within what time is he going to place all that before the House?

श्री के० के० शाह : विचार-विमर्श का जहां तक सम्बन्ध है वह मित्रों से ही किये गये हैं परन्तु अन्त में उत्तरदायित्व हमारा ही है। मैं किसी व्यक्ति को कठिनाई में नहीं डालना चाहता। मैं परामर्श का लाभ उठाना चाहता हूं उत्तरदायित्व से जी नहीं चुराता। जहां तक निर्णय का सम्बन्ध है हम इसे शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, my question has not been replied to. He has not stated anything regarding the leaders of the Opposition, but has given irrelevant answers.

श्री के० के० शाह : मैंने कुछ-एक से बात की है। यह वांछनीय नहीं कि मैं उनके यहां नाम लूं।

अध्यक्ष महोदय : वह नाम बताने को तैयार नहीं हैं।

श्री हेम बरुआ : उनको नाम याद ही नहीं हैं।

श्री के० के० शाह : मुझे याद हैं ।

श्री चेन्गलराया नायडू : इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे केन्द्र रिले-केन्द्रों का काम कर रहे हैं जैसे जब भी आप हैदराबाद अथवा विजयवाडा लगायें, कार्यक्रम मद्रास से रिले होते मिलेंगे तो फिर कोई निगम बनाने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह चन्दा-समिति का प्रतिवेदन नहीं है ।

श्री नाथ पाई : अनौपचारिक सलाहकार समितियों के मूल्यांकन के विषय में मैं और अधिक कुछ नहीं कहूंगा । मेरे विचार से तो ये समितियां एक निर्मम तथा संशक्त उपहास हैं । परन्तु इसके लिये यह समय नहीं है; इसे तो हम अध्यक्ष महोदय के साथ अलग से ले रहे हैं ।

सिफारिशों के बारे में तो ऐसा लगता है कि सरकार ने यह विचार-विमर्श का ढंग इसलिये अपनाया है कि स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना के बारे में वह नकारात्मक मत प्राप्त करना चाहती है । जैसा कि मेरे मित्र श्री कम्डप्पन ने बताया कि समिति ने हर सम्भव प्रमाणों की जांच की थी तथा यह एक सर्वसम्मति से पेश की गई सिफारिश थी । इस समिति के एक सदस्य के नाते क्या मैं प्रकट कर दूं कि हममें से कुछ ने इसमें काम करना तब तक के लिये अस्वीकार कर दिया था जब तक कि तत्कालीन सूचना व प्रसारण मन्त्री ने हमें यह आशा (विश्वास नहीं) नहीं दे दिया कि सब सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार किया जायेगा । वह मुस्कुरा रही हैं । कोई विश्वास नहीं दिलाया गया था। परन्तु तत्कालीन सूचना व प्रसारण मन्त्री ने हमें यह इंगित किया था कि हमें इस बारे में हिचक छोड़ देनी चाहिये कि सर्वसम्मत सिफारिशें लागू की जायेंगी तथा हमें समिति में शामिल हो जाना चाहिये । अब हम असमंजस में हैं कि सर्वसम्मत सिफारिशों को क्रियान्वित करने में सरकार को क्या बाधा हो रही है ।

श्री के० के० शाह : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री नाथ पाई ने यह बात कही । केवल विवादार्थ यदि यह मान भी लिया जाये कि हम अन्य विपक्षी सदस्यों को मना रहे हैं तो भी क्या आप इसे एक सुप्रयास नहीं समझते ? यदि मैं उन्हें मना लूं तो क्या आप इसे वांछनीय नहीं समझेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या दूसरी ओर के माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि दूसरी ओर के सदस्यगण अनौपचारिक सलाहकार समिति के लिये परामर्श हेतु उपलब्ध नहीं थे, अतः चन्दा-समिति के प्रतिवेदन पर अपनी सलाह देने वाले कांग्रेसी सदस्यों ने गलती की ? हमने अपना निश्चित मत दे दिया है तथा हम मन्त्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि क्या वह निर्णय लेने में इसलिये विलम्ब कर रहे हैं क्योंकि दूसरी ओर के कुछ सदस्यों ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया है ।

श्री के० के० शाह : एक कारण तो यह है कि जो प्रमाण मेरे माननीय मित्र श्री नाथ पाई को उपलब्ध हुए वे मुझे उपलब्ध नहीं हैं अन्यथा मुझे विचार करने में सहायता मिलती . . . (**व्यवधान**)

श्री रंगा : मैं सोचता हूं कि मैं आप से प्रार्थना करूं कि जिस ढंग से संसद् काम करती है उसमें आप रुचि लें तथा इस मन्त्रालय के सम्बन्ध में इसे अधिक प्रभावपूर्ण बनायें । संसदीय समितियों की हमारे यहां प्रथा रही थी परन्तु आपकी पूर्वाधिकारिणी ने बाद में सरकार के इस सुझाव को मान लिया कि अनौपचारिक सलाहकार समितियां हों तथा कुछ समय बाद अपने कार्य के ढंग की दृष्टि से हमने पाया कि वे सन्तोषजनक नहीं थीं । अतः हमने सम्बन्धित मन्त्रियों से वाद-विवाद किया तथा अन्त में

विपक्षी-दलों के सब नेताओं ने एक सर्वसम्मत स्मरणपत्र संसद् कार्यों के मन्त्री को भेजा परन्तु वह हमसे सहमत नहीं हुए । तदुपरान्त हमने प्रधान मन्त्री से अपील की । प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति के भाषण के माध्यम द्वारा विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे इन मामलों में अपेक्षित अपना सहयोग दें । अब . . .

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक वर्ष से रुका हुआ है ।

श्री रंगा : यह रुका हुआ है श्रीमन । मैं आपका ध्यान इसलिये आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष के नाते आपने हमें अपना कर्त्तव्य यथासम्भव प्रभावपूर्ण तथा लोकतन्त्रात्मक ढंग से करने में हमें सहयोग देना है । मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उनके बीच और उस समय रहे मन्त्री के बीच यह समझौता हुआ था कि जहां तक उस विशेष विषय से सम्बद्ध कोई एकमत से सिफारिशें होंगी उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित किया जायेगा । अब मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं हैं और मैं स्वतन्त्र निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं, चाहे समिति का कुछ भी विचार एकमत से क्यों न हो । हम सब शक्तिशाली हैं । हम केवल आप से सलाह करेंगे । इस प्रकार का रवैया अपनाकर वह संसद् का अपमान कर रहे हैं । वह ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं ।

मैं डा० रामसुभग सिंह का उल्लेख नहीं कर रहा हूं । बातचीत के दौरान वह बहुत खुश मिजाज हैं लेकिन जब वह सभा में आते हैं तो अपने ऊपर से समस्त नियन्त्रण खो देते हैं क्योंकि उन्हें अपने मन्त्री पद का ध्यान आ जाता है । मैं अब प्रधान मन्त्री का ध्यान उनकी असफलता की ओर दिलाना चाहता हूं । अभी तक हमें उनसे कोई उचित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कहा गया हो कि वह विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा किये गये निवेदन से संसद् कार्य मन्त्री के विचारों से क्यों सहमत हुई या सहमत नहीं हुई हैं और वह किस सीमा तक उनके अनुरोध को स्वीकार करने के लिये सहमत हो गई हैं ।

इन परिस्थितियों में यह सरकार की चाल नहीं है कि वह देश के समक्ष यह दलील देती रही है कि वह विपक्षी दलों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । संसदीय आधार पर भी हमारा सरकार से विश्वास उठ गया है और हम उसके साथ सहयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर अलग से चर्चा की जानी चाहिय । मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है । यदि प्रधान मन्त्री कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं ।

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : क्या प्रश्न काल में ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री नाथ पाई और रंगा द्वारा उठाये गये प्रश्नों का सम्बन्ध है प्रधान मन्त्री उन पर विचार करेंगी और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगी ।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : चूंकि मेरा नाम लिया गया है . . .

श्री रंगा : अब संसद् कार्य मन्त्री कुछ न कहें । जब उन्हें कुछ कहना था तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग मामला है।

Shri S. N. Joshi: Whether there was any informal understanding that in case some unanimous view was taken it would be implemented.

Shrimati Indira Gandhi: There was no such understanding.

श्री नाथ पाई : यदि प्रधान मन्त्री यह कहती हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था तो वे अपने विचारों से परे हट रही हैं। इस सम्बन्ध में उस समय के रह रहे अध्यक्ष को हम बुला सकते हैं। उस समय समिति के अध्यक्ष श्री चन्दा ने हमें बुलाया था और कहा था कि उनकी श्रीमती इन्दिरा गांधी से बातचीत हुई थी और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी यह विचार व्यक्त किये थे कि एकमत से दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। उन्हें ने कहा था कि यह उनकी अनौपचारिक धारणा है। हमारे साथ इस सम्बन्ध में सहयोग दीजिये और हम यह देखेंगे कि क्या सिफारिशें दी जाती हैं। अब प्रधान मन्त्री यदि अपने रवैये में परिवर्तन लाना चाहती हैं और अजीब तरह से बात करती हैं तो इसके लिये वह स्वतन्त्र है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : हम इस बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे और जो कुछ उन्होंने कहा था उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

डनलप कवेन्टरी लिमिटेड के साथ हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड का करार

*720. **डा० रानेन सेन** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर ने ब्रिटेन की कम्पनी डनलप कवेन्टरी लिमिटेड के साथ भारत में उड्डयन सम्बन्धी उन उत्पादों का निर्माण करने के लिए एक करार किया है जिनका डिज़ाईन तथा विकास डनलप कवेन्टरी लिमिटेड द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में किन-किन उत्पादों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र): (क) तथा (ख). जी हां; विमानों के पहियों और ब्रेकों तथा सम्बन्धित साज़ सामान के भारत में निर्माण के लिए एच० ए० एल० ने यू० के० की डनलप रबड़ कम्पनी के साथ एक लाइसेंस करारनामा तय किया हुआ है।

(ग) साधारण वाणिज्य व्यवहार के अनुसार करारनामे की शर्तें प्रकट करना सम्भव नहीं है।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि समझौते की शर्तों के बारे में जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। इनमें से कुछ शर्तें इंगलैंड में प्रकाशित समाचार पत्रों में छपी हैं। इसके बारे में इंगलैंड की जनता को पहले ही जानकारी है। भारत की कुछ जनता को भी इसके बारे में भी जानकारी है। यह शर्तें एच० ए० एल० और भारत के लिये अप्रतिष्ठाजनक हैं। एक शर्त यह भी है कि एच० ए० एल० या भारत सरकार कोई भी कार्य डनलप कवेन्टरी लिमिटेड की सहायता के बिना नहीं कर सकती।

भारत सरकार ने इन शर्तों को किस आधार पर प्रकाशित किया और उन्हें सभा पटल पर रखा ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): जिस समय हमने किसी विशेष अवधि के लिये करार किया था उस समय उससे सम्बन्धित कुछ शर्तों पर भी सहमति की गई थी । वे शर्तें हमारे लिये उपयोगी हैं । हमने इस करार पर सहमति देते समय अन्य बातों पर भी विचार किया था । जहाँ तक उन शर्तों को सभा पटल पर रखने का प्रश्न है, ऐसा करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि अन्य लोग और फर्मों से भी हमारी बात चीत चल रही है और इस सम्बन्ध में इस समय जानकारी देना उचित नहीं होगा ।

डा० रानेन सेन : एच०ए० एल० के स्थापित किये जाने के पश्चात् यह कहा गया था कि कुछ विदेशी कम्पनियों की सहायता से कुछ पुर्जों का उत्पादन आरम्भ किया जायेगा। एच०ए०एल० का निर्माण हवाई जहाज तथा उसके पुर्जों के निर्माण में एक आदर्श संगठन के रूप में किया जायेगा। एवरो कम्पनी की सहायता से एच०ए०एल० द्वारा 748 एवरो का निर्माण किया गया है । सभा को दिये गये उन आश्वासनों का क्या बना जिसमें एच०ए०एल० हवाई जहाज तथा उसके पुर्जे बनाने का स्वतन्त्र रूप से कार्य करने और आत्मनिर्भर होने के सम्बन्ध में क्या बना ?

श्री ल० ना० मिश्र : विश्व में कोई भी हवाई जहाज बनाने वाली कम्पनी शत प्रतिशत आत्मनिर्भर नहीं है । एच०ए०एल० भी आत्म निर्भर होने का प्रयास कर रही है परन्तु यह शत प्रतिशत आत्मनिर्भर नहीं हो सकती ।

श्री हेम बरुआ : जब भी कोई रक्षा सम्बन्धी प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार उसकी जानकारी न देने के लिये सार्वजनिक हित का सहारा लेती है । लेकिन भारत के रक्षा सम्बन्धी मामले के बारे में इंगलैंड और अमरीका की पत्रिकाओं में पहले ही समाचार प्रकाशित हो जाते हैं । इनमें से एक पत्रिका मेरे पास भी है । इन पत्रिकाओं में विभिन्न देशों से माँगी गई हमारी शस्त्र आवश्यकता के बारे में ब्यौरा दिया गया है । मंत्री महोदय यह कहने के आदी हो गये हैं कि ऐसी जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है । जबकि ये बातें पूर्ण रूप से इंगलैंड और अमरीका की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि यह जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है तो मैं इस सम्बन्ध में क्या निर्णय दे सकता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस विशेष मामले की आपको जाँच करनी चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Madhu Limaye: When any question is raised in the House, it is always said that it would not be in the public interest to give the information. I want to know whether you have taken any decision in this regard. Some of my questions have been replied in the manner sometime before I asked a question regarding black-listing, but I was told that it was not in the public interest to disclose it, I can give so many instances like this. I want to know when a decision will be taken in this regard? Otherwise no useful purpose is served from the Question Hour.

अध्यक्ष महोदय : काली सूची के बारे में मैं यह बात ठीक समझ सकता हूं । लेकिन जहाँ तक रक्षा का सम्बन्ध है मैं दायित्व लेने के लिये तैयार नहीं हूं । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्वयं जिम्मेवारी लेनो चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : मैं आपको सम्बन्धित ब्रिटिश और अमरीकी पत्रिकाएं दिखा सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह गम्भीर मामला है । यदि इस सम्बन्ध में कोई फाइल देखकर कुछ बातों के बारे में जानकारी देने को कहूं तो अध्यक्ष पर यह बहुत अधिक जिम्मेदारी डालना होगा । उसमें कोई गोपनीय बातें भी हो सकती हैं । अतः उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी देने की अनुमति देने का अभिप्राय अध्यक्ष को बहुत अधिक जिम्मेदारी देना होगा ।

श्री हेम बरुआ : आप यह न भूलें कि आपको सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या ऐसे हवाई उत्पादों के लिये सरकार ने रूस सरकार से निवेदन किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा एच०एफ० 24 और एच०जे०टी० 16 के बारे में किया गया। हमने इस सम्बन्ध में रूस सरकार से निवेदन नहीं किया।

श्री स० मो० बनर्जी : डनलप कवेन्टरी से हुए कुछ करारों के बारे में लन्दन टाइम्स में प्रकाशित किया गया है । अतः इंगलैंड और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये यह गोपनीय नहीं है । यह करार केवल हमारे लिये ही गोपनीय है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं । हमने विदेशों से एवरो 748 के निर्माण किये जाने के बारे में करार किया है । हम पंख से लेकर अन्य सभी पुर्जे, सिवाये इंजन को छोड़कर जो रोल्स रोग्रास से आ रहे हैं, सबका निर्माण कानपुर में कर रहे हैं । जहाँ तक इस डनलप कम्पनी का प्रश्न है सरकार को यह विदित है कि उसे भारत में टायर बनाने का एकाधिपत्य प्राप्त है । इस बात को जानते हुए सरकार ने उस कम्पनी को क्यों ठेका दिया जब कि ऐसा करने से देश में उसका एकाधिपत्य में वृद्धि हो रही है। विश्व के अन्य भागों में टेन्डर क्यों नहीं माँगे गये ?

श्री ल० ना० मिश्र : विश्व के देशों से टेन्डर माँगने का प्रश्न नहीं उठता। एच०ए०एल० ने विश्व के अन्य देशों से टेन्डर मंगाना उचित नहीं समझा । जहाँ तक डनलप के एकाधिपत्य का प्रश्न है, आज तक हम केवल करार के अन्तर्गत इससे आवश्यक सामान खरीदते रहे हैं । हमें इसके बारे में जानकारी और ब्यौरा प्राप्त हो जायेगा और तब हम इस मामले में बहुत अधिक हद तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : कब तक ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा यथासम्भव शीघ्रता से किया जायेगा ।

श्री प० गोपालन : इस करार के अन्तर्गत उत्पाद में कुल कितनी मात्रा में आयतित सामग्री का प्रयोग होता है और उसी प्रकार के आयतित पुर्जों की तुलना में इन उत्पादों की क्या कीमत है ।

श्री ल० ना० मिश्र : वे उत्पाद पहिये, ब्रेक और सम्बन्धित उपकरण हैं । इस वक्त मैं उनके आंकड़े नहीं दे सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज से कई वर्ष पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने यह उल्लेख किया था कि जहाँ तक देश में उत्पादित होने वाले हवाई जहाजों का सम्बन्ध है, हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब हम इन वर्षों में एच० ए० एल० में एवरो यान बनाने में समर्थ हैं तो हमें दूसरे देशों से इस सम्बन्ध में सहायता की क्या आवश्यकता है विशेषकर जबकि वह कोई विशिष्ट उपकरण जैसे इलैक्ट्रोनिक या इंजन के पुर्जे इत्यादि न हों। इन मामलों में विदेशी सहायता के लिये हुए समझौते उचित समझे जा सकते हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जहाँ तक आत्मनिर्भर होने का प्रश्न है हम इस सम्बन्ध में आगे बढ़ने की बजाये पीछे रहे हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह कहना अनुचित है कि एच० ए० एल० के वायुयान बिना पहियों और ब्रेक के उड़ते हैं । उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है । ये विशिष्ट मद हैं इन यानों में मामूली पहियों का प्रयोग नहीं होता है । एच० एफ० 24 और एच० जे० टी० 16 विशेष प्रकार के यान हैं जिनके लिये हमें विशेष पहियों की आवश्यकता होती है । इस समय हम देश में इनका निर्माण नहीं कर रहे हैं, परन्तु उनका विदेशों से क्रय कर रहे हैं । कुछ समय बाद हम इनका निर्माण करने में भी समर्थ हो जायेंगे। इसी लिये ही हमने उन से यह सहायता करार किया है ।

श्री शिवप्पा : क्या डनलप कम्पनी में बने पहियें और दूसरे पुर्जे हमारे यानों की आवश्यकताओं का पूरा करेंगे । यदि नहीं, तो ये पुर्जे किन विशेष यानों के लिये बनाये गये हैं । क्या डनलप कम्पनी से करार करने से पूर्व हमने विश्व की अन्य जहाज बनाने वाली कम्पनियों से विभिन्न पुर्जे बनाने के लिये दरें माँगी थीं । यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

श्री ल० ना० मिश्र: ये पहिये केवल एच० एफ० 24 और एच० जे० टी० 16 अर्थात् किरण के लिये हैं । जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अन्य विदेशी रबड़ कम्पनियों के बारे में भी विचार किया गया था, जो अन्य यानों के लिये विशेषकर ब्रिटेन में पहिये सप्लाई कर रही हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डनलप कम्पनी ही इसके लिये सबसे अधिक उपयुक्त होगी क्योंकि अब तक हम उससे क्रय करते आ रहे हैं ।

अखबारी कागज का उत्पादन और आयात

***721. श्री सीताराम केसरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अखबारी कागज का कुल उत्पादन कितना होता है और उसकी कुल कितनी माँग है;

(ख) क्या अखबारी कागज का निर्यात किया जा रहा है और यदि हाँ, तो किन किन देशों से; और

(ग) कुल माँग को पूरा करने के लिए अखबारी कागज के निर्माण के लिये नये कारखाने स्थापित करने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) देश में अखबारी कागज के उत्पादन की मात्रा प्रति वर्ष 30,000 मी० टन है । 1967-68 के लिए अखबारी कागज के नियतन सम्बन्धी नीति के आधार पर कुल माँग 1,70,000 मी० टन होने का अनुमान है ।

(ख) जी, हाँ; सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, अमरीका, कनाडा और स्केन्डीनेवियन देशों से ।

(ग) जी, हाँ । अखबारी कागज के उत्पादन के लिये नये कारखानों की स्थापना के कुछ प्रस्तावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार रही है । नेपा मिलों की उत्पादन क्षमता भी 30,000 मि० टन से बढ़ा कर 75,00 मी० टन की जा रही है ।

Shri Sita Ram Kesri: May I know the time by which the proposed newsprint factories will be set up and whether they will be set up in the Private Sector or the Public Sector?

Shri K. K. Shah: We are planning to establish four factories, one each in Himachal Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

Shri Sita Ram Kesri: May I know the quantum of production in these factories and whether they will be able to meet the demand?

Shri K. K. Shah: When all the four go into production, their total turnout will be 600 tons per day.

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मंत्री महोदय को विशेष रूप से छोटे समाचारपत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वे आयातित अखबारी कागज के अपने आंयात लाइसेंसों को छोड़ने को तैयार हैं बशर्ते कि उन्हें घटी दरों पर स्वदेशी सफेद कागज उपलब्ध कराया जाये, यदि हां, तो क्या उन्होंने इस मामले में विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श किया है और चूंकि कागज उद्योग में मन्दी आ गई है, क्या विनियंत्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को तैयार किया जा सकता है ताकि कारखाने अपने पैरों पर खड़े हो सकें और सफेद कागज के मूल्य को घटाया जा सके ?

श्री के० के० शाह : अखबारी कागज के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं । सफेद कागज की 1.70 लाख टन की मांग में से 1.20 लाख टन आयात किया जा रहा है । 30,000 टन नेपा में तैयार किया जाता है और 20,000 टन बिना शुल्क के उपलब्ध कराया जाता है । यदि उन्हें अधिक मात्रा में चाहिये तो, उन्हें शुल्क देना होगा ।

श्री शांतिलाल शाह : क्या सरकार को पता है कि बावजूद इसके कि नेपा में निर्मित अखबारी कागज बहुत घटिया किस्म का है, फिर भी इसका प्रति टन मूल्य 1050 रु० से 1200रु० करने का प्रस्ताव है ?

श्री के० के० शाह : नेपा में निर्मित अखबारी कागज की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, किन्तु जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है नेपा मिल ने अभ्यावेदन दिया है कि वर्तमान मूल्य के साथ उसके लिये कारखाने को चलाना संभव नहीं होगा । अतः इसका मूल्य 1050 रु० से 1200 रु० करने का है ।

Shri Jharkhande Rai: Is it a fact that the U.P. Government had requested the Central Government to set up a newsprint factory in Public Sector in the foot-hill area of Uttar Pradesh as the raw material there is available in abundant quantities, if so, what decision has been taken thereon by the Government of India?

श्री के० के० शाह : ब्रिटेन के साइमन हेंडलिग इंजीनियरों से इस सम्बन्ध में सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा गया था। उनके प्रतिवेदन से पता लगा कि वहां पर उत्पादन लागत अधिक होगी ।

श्री अनन्तराव पाटिल : नेपा का अखबारी कागज़ घटिया किस्म का है और उसका मूल्य भी अधिक है। फिर भी छोटे समाचारपत्रों के लिये उस कागज़ का खरीदना अनिवार्य किया गया है। क्या छोटे और दरमियाने दर्जे के अखबारों को इस कागज़ को न खरीदने की छूट नहीं दी जा सकती ?

श्री के० के० शाह : छोटे अखबारों को आयातित कागज़ मिल रहा है, अतः इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री जे० एच० पटेल : अंग्रेजी के समाचारपत्रों को तथा भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को कितना कितना कोटा दिया जाता है ?

श्री के० के० शाह : भाषा के आधार पर समाचारपत्रों का श्रेय करण नहीं किया गया है, अपितु छोटे, बड़े और मझले समाचारपत्रों के आधार पर किया गया है। जहां तक छोटे समाचारपत्रों का सम्बन्ध है, पिछली बार उनको बढ़ी हुई मात्रा का 50 प्रतिशत, मझले समाचारपत्रों को 25 प्रतिशत, और बड़े अखबारों को केवल 10 प्रतिशत दिया गया था ।

Shri Chandrika Prasad: Do Government propose to set up a newsprint factory in Eastern Uttar Pradesh?

श्री के० के० शाह : मैंने बताया कि संभाव्यता प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

Shri Ramavatar Shastri: What is the position regarding setting up a newsprint factory at Champaran? Do Government propose to take over Ashok Paper Mill which has been closed down?

श्री के० के० शाह : उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये संभाव्यता प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

Shri D. N. Tiwary: May I know whether any survey has been conducted regarding the places where the raw material is available and the places where newsprint factories need be set up and whether any integrated plan has been drawn up in this regard?

श्री के० क० शाह : हमने एक सर्वेक्षण किया है । अखबारी कागज़ खोई से या नर्म लकड़ी से या रबड़ की लकड़ी से तैयार किया जा सकता है । संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं ।

श्री स० कुण्डू : क्या माननीय मंत्री को पता है कि आयातित अखबारी कागज के वितरण में बड़ा भ्रष्टाचार है और व्यापारी उसे चोर बाजारी में बेचते हैं; यदि हां, तो सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या कर रही है ?

श्री के० के० शाह : मैं आश्वासन दे सकता हूं कि पिछले 12 महीनों में अखबारी कागज चोर बाज़ारी में नहीं बेचा गया है और इसका प्रमाण यह है कि कुछ समाचारपत्रों द्वारा आवंटित मात्रा अब तक नहीं उठाई गई है ।

श्री को० सूर्यनारायण : राज्य व्यापार निगम तथा निजी फर्मों द्वारा कितना कितना अखबारी कागज़ आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

श्री के० क० शाह : सम्पूर्ण मात्रा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जाती है । यह मात्रा 120,000 टन है और इसका मूल्य 13 से $14\frac{1}{2}$ करोड़ रु० है ।

श्री लोबो प्रभु : सफेद प्रिंटिंग पेपर के सम्बन्ध में बेकार क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है और 20,000 टन की बजाय पूरी क्षमता पर उत्पादन शुल्क की छूट न देने के क्या कारण हैं ?

श्री के० के० शाह : यह एक सुझाव है और मैं इसे वित्त मंत्री को भेज दूंगा ।

Shri Shinkre: May I know whether any steps have been taken to increase the production capacity of Nepa Paper Mill and to improve the quality of paper manufactured there?

श्री के० के० शाह : जहां तक 30,000 टन से 75,000 टन तक क्षमता बढ़ाने का सम्बन्ध है, सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं । किस्म में सुधार करने के लिये हम आयातित लुब्दी प्रयोग में लाने जा रहे हैं । जहां तक इस देश में बनी लुब्दी का सम्बन्ध है, परीक्षण किये जा रहे हैं और उसमें काफी सुधार हुआ है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि ऐसे बहुत से समाचारपत्र हैं जो अखबारी कागज़ को चोरबाज़ारी में बेचते हैं, यदि हां, तो उस पर उचित नियंत्रण करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री के० के० शाह : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कुल 8,640 समाचारपत्रों में से केवल 1600 समाचारपत्रों ने अखबारी कागज़ के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं । इससे पता चलता है कि अखबारी कागज़ की चोरबाज़ारी नहीं है ।

Shri Shri Chand Goel: The agreement regarding the setting up of a newsprint factory in Himachal Pradesh had been concluded some 4-5 years ago with a private company, but this factory has not so far been set up. Is there some slackness on the part of the Government in this regard?

Shri K. K. Shah: That company is concluding an agreement with Himachal Pradesh Government.

श्री सेम्ब्रीरा : क्या यह सच है कि अखबारी कागज के निर्माण के लिये जंगली पत्तों के प्रयोग का एक नया तरीका निकाला गया है ? क्या इस आधार पर कोई नया कारखाना स्थापित किया जायेगा ?

श्री के० के० शाह : जहां तक हमारी जानकारी है इसके निर्माण में लकड़ी या रबड़ का गूदा या खोई इस्तेमाल की जाती है ।

Shri Prem Chand Verma: May I know whether in the agreement concluded in 1968-69 for the purchase of newsprint from foreign countries the price of newsprint has been enhanced from £53 to £63 per metric tonne due to devaluation?

श्री के० के० शाह : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri S. M. Joshi: May I know whether Government have decided to set up a newsprint factory at Kohima where raw material is freely available and the policy on the basis of which sites for the four factories have been selected?

श्री के० के० शाह : जहां तक कोहिमा का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास प्रतिवेदन नहीं है । मैं इसको ध्यान में रखूंगा ।

श्री स० कुण्डू : क्या कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध म कोई नीति है ?

श्री के० के० शाह : जहां तक नीति का सम्बन्ध है, प्रश्न केवल वित्त का है, अन्यथा कच्चा माल तो उपलब्ध है ।

श्री स० कुण्डू : इसका निर्णय कौन करता है ?

श्री के० के० शाह : विशेषज्ञ समिति ।

श्री कृ० मो० कौशिक : चूंकि हमारे देश में खोई काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिये क्या सरकार खोई पर आधारित अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करना चाहती है यदि नहीं, तो इसमें क्या विशेष कठिनाइयां हैं ?

श्री के० के० शाह : खोई पर आधारित चार कारखाने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में स्थापित किये जा रहे हैं ।

Shri Achal Singh: By what time India will be self-sufficient in newsprint?

श्री के० के० शाह : जब ये चार कारखाने स्थापित हो जायेंगे, तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

Shri Ram Charan: Do Government propose to set up newsprint factory in U.P. where bagasse is plentifully available?

श्री के० के० शाह : मैं पहले बता चुका हूं कि यह विचाराधीन है ।

Disposal of Obsolete Defence Material

+

*722. **Shri Maharaj Singh Bharati:**
Shri Shiv Charan Lal:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the manner in which Government utilize the defence material which becomes obsolete as a result of rapid new inventions and techniques;

(b) whether it is a fact that out-moded and surplus stores worth Rs. 60 crores are lying idle at present; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken to dispose them of?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क), (ख) तथा (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) अप्रचलित सामान समेत सभी फालतू रक्षा सामान का उनके पुनरुपयोग सबन्धी निरीक्षण किया जाता है । जो सामान किसी भी प्रकार से पुनरुपयुक्त नहीं किए जा सकते उन्हें डी० जी० एस० एण्ड डी० को निपटारे के लिये घोषित कर दिया जाता है जो प्राथमिकता इण्डेंटरों से बातचीत करने के पश्चात् उनको निलाम कर देते हैं । तदपि, निर्धारित मूल्य से कम के फालतू सामान डिपुओं द्वारा सीधे नीलामी से निपटा दिये जाते है ।

(ख) तथा (ग). 31 जनवरी, 1968 को निपटारे की प्रतिक्षा कर रहे फालतू रक्षा सामान का मूल्य लगभग 56 करोड़ रुपये है । इसमें से लगभग 34 करोड़ रुपये के सामान पहले से निपटारे के लिये डी० जी० एस० एंड डी० को घोषित कर दिये गए हैं । इसके अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये के सामान के लिये सक्षम अधिकरण द्वारा निपटारे की अनुमति दे दी गई है, और उसे शीघ्र ही डी० जी० एस० एण्ड डी० को घोषित कर दिया जाएगा। शेष लगभग 18 करोड़ रुपये का सामान का अभी निरीक्षण होना है, और उसके निपटारे के लिये सक्षम अधिकरण द्वारा अनुमति दी जानी है । फालतू सामान की छानबीन, उसके संभाव्य पुनरुपयोग संबन्धी निरीक्षण, उसे डी० जी० एस० एंड डी० को निपटारे के लिये घोषित करने, और उसका वास्तविक तौर पर नीलामी द्वारा निपटारा करने का काम निरन्तर किस्म का है, और उसे यथाशीघ्र किया जा रहा है ।

Shri Maharaj Singh Bharati: What steps are being taken to dispose of the obsolete weapons which we were lured into purchasing by foreign countries because of cheap rates offered by them?

श्री मे० रे० कृष्ण : माननीय सदस्य बहुत गलत वक्तव्य दे रहे हैं । हमारे पास जो बेकार और फालतू हथियार हैं वे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के हैं । जिन हथियारों को हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उन्हें हमें बेचना है ।

Shri Maharaj Singh Bharati: You have obsolete weapons of the value of Rs. 60 crores. We never fought in the 1st or 2nd World Wars. According to the Estimates Committee and the Defence Audit you have obsolete weapons worth crores of rupees sold to you by foreign countries. Are any steps being taken to prevent the purchase of such weapons in future?

श्री मं० रं० कृष्ण : उन्होंने इस सभा को तथा देश को बहुत गलत धारणा दी है। हम पुराने हथियारों से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। प्रति वर्ष बहुत से हथियार निकम्मे घोषित करने पड़ते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास

*723. **श्री अदिचन :** क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास तथा अन्य सम्बन्द्ध संगठनों में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) इन संगठनों पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने इन संगठनों के कार्य-संचालन में मितव्ययता करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास तथा अन्य संबंद्ध संगठनों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 314 है।

(ख) 1966-67 के दौरान इन प्रतिष्ठानों पर रु० 1, 51, 13,750 व्यय हुआ।

(ग) और (घ). वाशिंगटन में राजदूतावास में तथा विदेश स्थित अन्य भारतीय मिशनों में कार्यक्षमता के साथ-साथ किफायत के प्रश्न पर भारत सरकार निरतर निगरानी रख रही है और गौर कर रही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाए जाते हैं कि लोक निधियों को खूब देखभाल कर और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये खर्च किया जाए।

विकलांग सैनिकों को सहायता

*724. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विकलांग सैनिकों को सहायता तथा मुआवजा देने के सम्बन्ध में निश्चित संहिता है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन यह सहायता दी जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) निर्योग्य सैनिकों को देय पेन्शनी तथा अन्य देय लाभों के विस्तार देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 518/68]**

राष्ट्रीय छात्र सेना दल द्वारा राष्ट्रीय झंडे की सलामी

*725. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय छात्र सेना दल के केडिटों द्वारा राष्ट्रीय झण्डे को सलामी देने से इंकार किये जाने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार नें इस प्रकार के अनुशासनहीन कृत्यों को दबाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० आर० कृष्ण): (क) और (ख): राष्ट्रध्वज को एन० सी० सी० छात्रों द्वारा सेल्युट न करने की केवल एक ही घटना (मैसूर राज्य) में मेरकारा में घटी है । संबंधित छात्रों में अधिक द्वारा बिना शर्त के क्षमा याचना के अतिरिक्त, एक कोर्ट आफ इन्क्वारी बिठाई गई थी, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को उचित कार्यवाई करने को कहा गया है ।

तारापुर परमाणु बिजलीघर के पत्रकारों की यात्रा

*726. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारापुर परमाणु बिजलीघर के पत्रकारों की उस यात्रा की ओर दिलाया गया है जिसकी व्यवस्था अमरीकी सूचना सेवा द्वारा की गई थी ;

(ख) क्या ऐसा करने से पहले भारत सरकार की अनुमति मांगी गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यवाही के अनौचित्य के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार को अपने विचार बताये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (घ). सरकार को मालूम है कि अमरीकी सूचना सेवा ने हाल ही में पत्रकारों के एक दल को महाराष्ट्र और गुजरात की विकास प्रायोजनाओं के दौरे पर भेजा था, जिनमें तारापुर का परमाणु बिजलीघर भी शामिल है । इस दौरे से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेली गई थी और इस दल की प्रायोजना प्रशासक ने ही तारापुर में घुमाया था । जैसा कि माननीय सदस्य को मालम ही होगा, तारापुर का परमाणु बिजलीघर संयुक्त अमरीका की सहायता से चलाया जा रहा है । चूंकि यह दौरा अनुचित अथवा असाधारण नहीं था, इस लिये इस बारे में सरकार के विचारों से अमरीकी अधिकारियों को अवगत कराने का प्रश्न ही नहीं था ।

आकाशवाणी के अधिकारियों तथा गिल्ड के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत

*727. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के अधिकारियों तथा गिल्ड के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न समस्याओं के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है ?

(क) क्या इसके परिणामस्वरूप स्टाफ आर्टिस्टों में गंभीर असंतोष है, और

(ग) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग). दो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों में से एक अर्थात् ए० आई० आर० ब्राडकास्टर्स एंड टेलिकास्टर्स गिल्ड को नियमानुसार मान्यता देने के प्रश्न पर फैसला न हो सकने के कारण कोई बात-चीत नहीं हो सकी तो भी, अनौपचारिक बातें होती थीं। सौभाग्य से यूनियनों के एक होने के निर्णय से यह कठिनाई दूर हो जाएगी। वास्तव में इसी धारणा पर बातें हुई और उस समय कुछ संसद् सदस्य भी उपस्थित थे।

Indian Nationals Settled in Erstwhile British Colonies

***6726. Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the British Government have held talks with the Government of India in regard to the Indian nationals settled in the erstwhile British colonies as reported in the "Hindustan" dated the 17th February, 1968; and

(b) if so, the details of the talks held and the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). The report published in the Hindustan Times of February 17, 1968 is wholly incorrect. The only exchange of views which has taken place between the Government of India and the British Government, has been on the subject of the recent British legislation in respect of the entry into the United Kingdom of British Passport holders of Asian origin from Kenya. The attention of the Hon. Members is invited to the statement made by the Deputy Minister in the Ministry of External Affairs in the Lok Sabha on February 29, 1968.

राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर परमाणु बम गिराने वाले विमानों की उड्डयनों पर प्रतिबन्ध

*729. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा परमाणु बम गिराने वाले विमानों की राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत इस संबंध में क्या प्रयास कर रहा है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) परमाणु अस्त्र से लैस बमवर्षक विमानों के राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाने में निहित भीषण संकट हालांकि स्वत: स्पष्ट है, फिर भी, संयुक्त राष्ट्र में इस समस्या पर बहस होने से शीतयुद्ध का वातावरण अनिवार्य रूप से भड़कता है । इस लिए इस प्रश्न पर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते में प्रगति संभव नहीं हुई है । संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21 वें अधिवेशन में पौलैंड और उक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य ने परमाणु और व्यापक संहार के दूसरी प्रकार के अस्त्रों से लैस विमानों की उड़ान राष्ट्रीय सीमाओं के परे न जाने देने के विषय पर प्रस्ताव का मसौदा रखा था । एक अनिर्णीत बहस के बाद सह-प्रस्तावकों ने अपने प्रस्ताव का मसौदा वापस ले लिया, और बाद के किसी अधिवेशन में इसे फिर रखने का अपना अधिकार सुरिक्षत रखा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा सैनिक सामान का उत्पादन

*730. **श्री देवेनसेन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब ऐसी बहुत सी वस्तुयें गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए दी जाती है जिनका उत्पादन पहले आयुध कारखाने में होता तथा ;

(ख) उनका ध्यान तिरूचिलापंली आयुध कारखाने में 22 से 24 जनवरी 1968 को हुई आयुध कारखाने के महानिदेशक की औद्योगिक परिषद् के आयुध कारखानों से बाहर आर्डर देना बन्द कर देने के निर्णय की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा) उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) ऐसा केवल सामान्य सामान और वस्त्रों की कुछ मदों के संबंध में है । 1962 में आपात स्थिति शुरू होने पर सेवाओं की प्रवर्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयुध कारखानों में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण आवश्यक हो गया था । चूंकि अब ये मदें निजी क्षेत्र में सस्ती दरों पर प्राप्य हैं, लागत के विचारों से आयुध कारखानों में प्राप्त क्षमता डिलिवरी शड्यूल इत्यादि को सामने रखते हुए कभी कभी सेवाओं की आंशिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तो कभी समग्र आवश्यकताएं पूरी करने के लिए डी० जी एस० एण्ड डी० की मार्फत आर्डर भेजे जाते हैं ।

(ख) औद्योगिक परिषद् की मीटिंग का एजेंडा और कार्यवाही हथियारों के संघटकों/सहायक अंगों और गोली बारूद की मदों के आर्डर असैनिक व्यापार को अंतरित करने पर केन्द्रित थी । सरकार को औद्योगिक परिषद् की मीटिंग की सिफारिशों का ज्ञान है ।

(ग) हथियारों और गोली बारूद के उत्पादन से संबंधित मदों के मामले में जहां सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डी० जी० यो० एफ० की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक और संभव है, कई संघटकों/सहायक अंगों के निर्माण के लिए असैनिक क्षेत्र में आर्डर भेजे गए हैं । सामान्य सामान और वस्त्रों की मदों की हालत में आयुध कारखानों से भविष्य में यह मांग करने की संभावना नहीं कि वह अतिरिक्त क्षमता स्थापित करें ।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था

*731. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुलता की स्थिति पर ले जाने का लक्ष्य छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जिस गति से भारतीय अर्थ-व्यवस्था इस समय गुजर रही है उस गति से वह बहुलता की स्थिति में कब पहुंच जायगी ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अपना लक्ष्य छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमारी योजनाओं का समस्त ढांचा तो स्वयं-धारी उद्देश्य पर आधारित है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अगस्त, 1966 में से संसद् में प्रस्तुत किये गये चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करते समय जो अनुमान किया गया, उससे प्रकट होता है कि छटी योजनावधि के आरम्भ तक, आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जायेगी । अन्य बातों के प्रमाण के प्रकाश में अब एक नया दृष्टिकोण भी उत्पन्न हो रहा है ।

विद्रोही मिजो द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में मुद्रणालय की स्थापना

*732. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री वेणीशंकर शर्मा:
श्री हिम्मत सिंहका:

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना द्वारा कुछ विद्रोही मिजो लोगों से पकड़े गये एक दस्तावेज के अनुसार विद्रोही मिजों ने अपना प्रचार साहित्य छापने के लिये पूर्वी पाकिस्तान में रंगमति में एक मुद्रणालय स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकर की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). भारत सरकार को समय-समय पर यह जानकारी मिलती रही है कि पाकिस्तान कई तरीकों से मिजो विद्रोहियों को सक्रिय सहायता दे रहा है। पाकिस्तान सरकार को कई पत्र भेजे गए हैं, जिनम इस पर विरोध प्रकट किया गया है और यह मांग की गई है कि मिजो विद्रोहियों को इस प्रकार की सहायता देना बंद कर

दिया जाए। जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है भारत सरकार को छापाखाना स्थापित होने की सूचना भी मिली है। इस सूचना की सावधानी के साथ जांच की जा रही है जैसा पिछले वर्षों में होता रहा है, इस बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी।

विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का विभाजन

*733. श्री हेमराज :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा प्रदेशों म उद्योगों की समान आधार पर स्थापना करने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कुछ राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों अथवा प्रदेशों में ही उद्योगों का केन्द्रीकरण न हो, क्या इस दृष्टिकोण से ऐसी योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांन्धी): (क) और (ख) . तकनीकी तथा आर्थिक बातों के कारण देश के समस्त भागों में उद्योगों को समान रूप से वितरित करने की कोई विशिष्ट परियोजना बनाना सुविधाजनक नहीं है। फिर भी औद्योगिक प्रायोजनाओं को संस्थापित करते समय अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को यथासम्भव ध्यान में रखा जाता है।

(ग) क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव को बढ़ाने तथा महानगरों पर दबाव को घटाने के लिये कई उपाय पहले ही किये जा चुके हैं; इससे आगे के उपायों पर चौथी योजना को तैयार करते समय विचार किया जायेगा।

Violations of Indian Air Space, Land and Territorial Waters

*734. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of times when China and Pakistan violated Indian coastal and land territory and air space **during the period** since February, 1968 to date and the names of places where such violations took place; and

(b) the action taken by Government against these violations?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Pakistan committed one air violation over Indian territory and one intrusion across the Cease Fire Line in Jammu and Kashmir. Besides 32 Pakistani vessels were found in our territorial waters off the Kutch coast.

(b) A cease-fire violation complaint has been lodged with U.N. authorities besides a protest in regard to the air violation with Pakistani authorities. The Pakistani vessels found in our coastal waters were apprehended and a protest in regard thereto was also lodged with Pakistani authorities.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संबंधी कबिर समिति

*735. **श्री वेणीशंकर शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई हुमायून कबिर समिति ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का सारा काम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की तरह एक स्वायत्तशासी निकाय क एकीकृत नियंत्रण में लाया जाना चाहिये जिसका मुख्यालय दिल्ली में हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां। समिति ने स्वायत्तशासी संगठन की रूपरेखा अथवा उसके मुख्यालय के स्थान के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक तथा प्रतिरक्षा व्यय में कटौती

*736. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जनवरी, 1968 को गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गोल मेज चर्चा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिस में यह बताया गया था कि संसार में युद्ध की तैयारी पर प्रतिदिन 4000 लाख डालर से भी अधिक राशि खर्च की जाती है और अब परमाणु देशों के पास प्रत्येक मानव के लिये 6 टन के बराबर डाइनेमाइट है ; और

(ख) यदि हां, तो संसार में परमाणु हथियारों को नष्ट करने, ऐसे हथियारों के निर्माण पर पूर्ण रोक लगाने तथा प्रतिरक्षा खर्च में कटौती करने के लिये सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से नये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख): गांधी पीस फाउन्डेशन द्वारा आयोजित गोल मेज सम्मेलन में जिन समस्याओं की चर्चा हुई बताई जाती है, सरकार उनके प्रति पूरी तरह सजग है। इसलिए भारत ने हमेशा ही, संयुक्त राष्ट्र में अन्य बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे निरस्त्रीकरण आयोग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् और 18 राष्ट्रों को निरस्त्रीकरण समिति में परमाणु अस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तात्कालिक आवश्यकता पर, अस्त्रों के भंडार को नष्ट करने पर और सैनिक खर्च में कमी करने पर जोर दिया है। भारत सरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बारबार प्रयत्न करती रहेगी ।

Indians in South Africa

*737. **Shri Y. S. Kushwah:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian nationals are being subjected to oppression and injustice by the non-Whites in South Africa as a result of which a large number of Indian nationals are leaving that country; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नागालैंड में राज विद्रोह भड़काने की चीन की योजना

*738. श्री स्वेल: श्री हेम बरुआ:
श्री म० ला० सोंधी: श्री विश्वनाथ पाण्डेय:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर भारत के नागालैण्ड, मनिपुर मिज़ो पहाड़ियों के क्षेत्रों में चीन ने राज विद्रोह भड़काने की योजना हाल में आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप तथा कार्य प्रणाली क्या है ; और

(ग) क्या चीन की योजना का मुकाबला करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग). चीन लोक गणराज्य के प्रचार के माध्यम पड़ोसी राज्यों के कुछ सरकारी विरोधी तत्वों को खुले रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं और उन्हें हिंसात्मक संघर्ष के लिए भड़का रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों से चीनियों और छिपे नागाओं के उग्रतावादी तत्वों के बीच संपर्क भी स्थापित किया गया है। भारत सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है और चीनी प्रयत्नों का प्रतिकार करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।

कच्छ संबधी निर्णय को क्रियान्विति

*739. श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री श्रीचन्द गोयल:

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के रन के संबंध में किये गये निर्णय की क्रियान्विति के बारे में चर्चा करने के लिये मार्च, 1968 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस बैठक में हुई चर्चा का ब्योरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) भारत और पाकिस्तान की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठकें 4, 5 और 6 मार्च, 1968 को नई दिल्ली में हुई थीं। भारत पाकिस्तान पश्चिमी सीमा विषयक ट्रिब्युनल, के फैसले के अनुसार गुजरात--पश्चिम पाकिस्तान सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का अंकन करने की प्रक्रिया नियम के बारे में 13 जुलाई, 1967 को भारत और पाकिस्तान के एजेंटों के बीच हुए करार के पैरा 4 में दिए गए मामलों पर ये बैठकें हुई थीं।

(ख) भारत और पाकिस्तान की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठकों की कार्यवाही की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 519/68]**

लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

*740. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 के जेनेवा करार के उल्लंघन में स्थिति का अध्ययन करने के लिये लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय तथा कनाडियन प्रतिनिधि इकतरफा अनुरोध पर हाल में 'सारावेन प्रांविन्स' में गये थे।

(ख) क्या उत्तर वियत नाम के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने इस कार्यवाही का जोरदार विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). 8 फरवरी को लाओस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को लाओस की शाही सरकार से एक पत्र मिला जिसमें आयोग को यह सूचना दी गई थी कि दक्षिणी लाओस में गम्भीर स्थिति पैदा होती जा रही है; इसमें आयोग से यह प्रार्थना भी की गई थी कि वह मौके पर जांच करने के लिए तत्काल एक दल भेजे और अन्य समुचित कदम उठाये। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और बहुमत से यह निर्णय किया कि कमिश्नर या उनके प्रतिनिधि मौके पर जांच करने के लिए वहां जाएं और अपनी उपस्थिति से स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। चूंकि पोलैण्ड के प्रतिनिधि ने इस दौरे में शामिल होने से इन्कार कर दिया, इसलिए भारत और कनाडा के प्रतिनिधि 21 फरवरी, 1968 को इस क्षेत्र का दौरा करने गए। यह कार्यवाही लाओस संबंधी 1962 के जेनेवा करार की व्यवस्थाओं के अनुरूप है, इसकी व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं।

सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वियतनाम लोकतन्त्रात्मक गणराज्य सरकार ने आयोग से बाकायदा कोई विरोध प्रकट किया है, हालांकि सरकार को इस मामले में वियतनाम लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के विचार मालूम है।

पंजाब राज्य परिवहन सेवाओं को चलान के लिये सेना की सहायता

*741. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने राज्य परिवहन सेवा चालू रखने के लिये हाल ही में सेना की सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार का प्रशासन चलाने के लिए सेना की सहायता किन शर्तों पर मांगी जा सकती है ; और

(ग) क्या इस मामले में आवश्यक सहायता दी गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Advertisements in Indian and English Language Newspapers

*742. **Shri Onkar Lal Bohda:** Will the Minister of Information and

Broadcasting be pleased to state:

(a) whether the policy governing the allocation of advertisements to Indian language papers is distinct from the one adopted for English Newspapers; and

(b) if so, the nature thereof and the reason therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पाकिस्तान और चीन द्वारा सीमा का अतिक्रमण

*743. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में पाकिस्तानी और चीनी सेनाओं ने करारों के प्रतिकूल कितनी बार सीमा का अतिक्रमण किया और सरकार ने कितने विरोध पत्र भेजे ;

(ख) इन अतिक्रमणों के फलस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) ऐसे अतिक्रमणों को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 50 अन्तरिक्ष उल्लंघनों के अतिरिक्त, पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा और सीमा के 57 उल्लंघन किए। चीन ने एक अन्तरिक्ष उल्लंघन के अतिरिक्त भारतीय और सिक्कमी भूक्षेत्रों के 18 अतिल्लंघन किए। चार प्रतिरोध पत्र चीन को भेजे गए थे और 21 पाकिस्तान को। इसके अतिरिक्त यू० एन० प्रेक्षकों को उल्लंघनों संबंधी शिकायतें भी की गई थीं, और जहां उपयुक्त समझा गया संबंधित राज्यों के स्थल नियमों के अन्तर्गत, अपने पाकिस्तानी समतुल्य के साथ मामले पर बातचीत की।

(ख) सीमा पार से होने वाले गोली कांड समेत, चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली चलाए जाने के फलस्वरूप 91 व्यक्ति मारे गए थे। बंकरों इत्यादि को कुछ क्षति पहुंचने के सिवाए सम्पत्ति को कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंची।

(ग) विरोधपत्र और युद्धविराम रेखा संबंधी शिकायतें भेजने के अतिरिक्त, हमारी सुरक्षा सेना सतर्क और सजग है, और जब भी आवश्यक होता है, उन्होंने अपना अच्छा परिचय दिया है।

योजना आयोग का महत्व बढ़ाना

*744. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से देश के प्रमुख व्यक्तियों से योजना आयोग में महत्व बढ़ाने के बारे में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख). इस विषय पर प्रशासन सुधार आयोग को विभिन्न अधिकारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। योजना बनाने के लिये कार्यकर्त्ताओं के बारे में आयोग ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सारांश सभा पटल

पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 520/68**] रिपोर्ट की जांच का काम हाथ में लिया जा रहा है ?

लन्दन में जातीय दंगे

*745. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लन्दन में जातीय दंगे होने की सूचना मिली है, जिनमें भारतीय अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के साथ इस मामले में बातचीत की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) से (ग). सरकार की जानकारी में हाल ही में जातीय संघर्ष की ऐसी कोई घटना नहीं आई है जिसमें लन्दन में या यूनाइटेड किंगडम के किसी दूसरे भाग में भारतीयों का किसी से झगड़ा हुआ हो।

गुज्जर कबीले का प्रतिनिधिमंडल

*746. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री किकर सिंह :
श्री द० रा० परमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुज्जर कबीले की शिकायतों के बारे में 16 फरवरी, 1968 को एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली में उन से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नाम और पदस्थिति क्या है ;

(ग) बातचीत का ब्योरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (ग). गुज्जर कबीला कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रामानन्द भारती और सर्वश्री हरीदत्त शर्मा, बख्शी जगदेव सिंह तथा एम० एन० शर्मा 16 फरवरी, 1968 को प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्हें पठानकोट में होने वाले पांचवें अखिल भारतीय गुज्जर कबीला सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित किया। प्रधान मंत्री जी ने निमन्त्रण के लिये श्री भारती और उनके साथियों को धन्यवाद दिया, किन्तु उन्होंने आगामी महीनों में देश तथा विदेश में निश्चित कार्यक्रमों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण गुज्जर कबीला सम्मेलन की अध्यक्षता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

योजना परियोजनाओं के लिए राज्यों को बराबर के अनुदान

747. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना की परियोजनाओं के लिये राज्यों को उनके द्वारा नियत किये जाने वाले धन के बराबर अनुदान देने की वर्तमान प्रणाली अल्पविकसित राज्यों के हितों के विरुद्ध सिद्ध हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग राज्यों को अनुदान देने की प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) अनुदानों को पूरा करने के लिये कोई प्रवर्तित प्रणाली नहीं है जो कि अर्ध विकसित राज्यों के हितों पर कुप्रभाव डालती हो ।

(ख) और (ग). जी हां, चौथी पुनर्गठित पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि प्रथम अप्रैल, 1969 से आरम्भ होगी ।

इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन, थुम्बा की स्थापना पर व्यय

4498. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा में इक्वटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन की स्थापना पर कुल कितना धन व्यय हुआ और उस व्यय का कितना भाग भारत ने वहन किया ;

(ख) थुम्बा में अब तक कितने राकेट बनाये गये हैं और वहां एक वर्ष में कितने राकेट बनाये जा सकते हैं ; और

(ग) थुम्बा में काम करने वाले इंजीनियरों की राष्ट्रवार संख्या कितनी है और उनकी योग्यता क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण स्टेशन अमरीका, रूस तथा फ्रांस के सहयोग से स्थापित की गई है, जिन्होंने इसके लिए एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उपकरण दिए हैं । भारत सरकार ने इस स्टेशन की स्थापना तथा इसके संचालन पर अब तक दो करोड़ रुपये खर्च किये हैं ।

(ख) थुम्बा के समीप वेली हिल पर स्थित स्पेस साइंस तथा टैक्नालाजी सेन्टर में अब तक लगभग एक दर्जन देशी राकेट बनाए गए हैं । यह सेन्टर खोज कार्यों के लिए है अत: इसमें राकेट बनाने की क्षमता निश्चित नहीं की गई है ।

(ग) थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षपण स्टेशन तथा स्पेस साइंस एंड टैक्नालाजी सेन्टर में इस समय 59 इंजीनियर हैं । इन में से 31 के पास पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री हैं तथा बाकी 28 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं ।

थुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशनों के सर्वोच्च इंजीनियरों द्वारा विदेश यात्राएं

*4499. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा इक्वटोरियल राकेट लांचिंग स्टशन की स्थापना से लेकर अब तक उसके 10 सर्वोच्च इंजीनियरों ने कितनी बार विदेश यात्राएं कीं और इन पर विमान भाड़ा तथा विदेशी मुद्रा का कितना खर्च आया ;

(ख) क्या थुम्बा में विदेशी इंजीनियर बुलाये गये हैं और यदि हां, तो कितने और सरकार को उन पर कितना खर्च करना पड़ा है ; और

(ग) क्या शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष की खोज पर थुम्बा में किया जा रहा व्यय उचित है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) थुम्बा में केवल पांच सर्वोच्च इंजीनियर हैं। इन वरिष्ठ इंजीनियरों ने पिछले पांच वर्षों में पन्द्रह विदेश यात्राएं कीं। इन यात्राओं पर विदेशी मुद्रा में तथा वायुयानों के किरायों पर क्रमश: 17,550 रुपये तथा 79,220 रुपये व्यय हुए।

(ख) थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण स्टेशन भारत, अमरीका, रूस तथा फ्रांस के आपसी सहयोग से स्थापित हुआ है। आपसी सहयोग से किए जाने वाले कार्यों के लिये तथा इन देशों के इंजीनियर थुम्बा आते हैं। पिछले पांच वर्षों में इनकी यात्राओं पर लगभग 6 लाख रुपये खर्च हुए।

(ग) जी, हां।

आकाशवाणी में मैकेनिकों को स्थायी बनाना

4500. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के प्रत्येक जोन में कुल कितने मैकेनिकों को अब तक स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) उनको कब तक स्थायी बनाये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) प्रत्येक क्षेत्र में मैकेनिकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र	सीनियर मैकेनिक		मैकेनिक	
	स्थाई	अस्थायी	स्थाई	अस्थाई
उत्तरी क्षेत्र . .	48	39	118	66
दक्षिणी क्षेत्र . .	10	23	49	31
पूर्वी क्षेत्र . . .	11	18	46	34
पश्चिमी क्षेत्र . .	18	16	67	26

तीन क्षेत्रों में जितने स्थाई पद थे उन पर पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को स्थाई कर दिया गया है। उत्तरी क्षेत्र का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग). अधिकतर स्थायी पद अभी-अभी बनाये गये हैं और उनको अभी स्थाई पदों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हां, कुछ अस्थाई पदों को जो 1-3-68 से स्थायी किए जा सकते हैं, पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

आकाशवाणी के श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारियों के सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

4501. **श्री अब्दुल गनी दार:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारियों को स्थायी काम के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित की जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). आकाशवाणी के तृतीय श्रेणी के कुल अस्थायी तकनीकी पदों में से 80 प्रतिशत पद स्थाई करने की द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

टेलीफोन आपरेटरों तथा श्रेणी तीन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का दिया जाना

4502. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन आपरेटरों तथा तीसरी श्रेणी के अन्य तकनीकी व्यक्तियों को श्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के कारण 11 और 12 जनवरी, 1966 को काम करने को कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घोषित छुट्टी के दिन काम करने के लिये उनको समयोपरि भत्ता दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० क० शाह): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन काम पर आने वाले श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना

4503. **श्री अब्दुल गनी दार:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1967, 15 अगस्त, 1967 तथा 2 अक्तूबर, 1967 की राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन श्रेणी तीन के तकनीकी कर्मचारियों को काम पर बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको इन राष्ट्रीय छुट्टियों के लिये समयोपरि भत्ता दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति

4504. श्री सेझियान :
श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान समिति ने 2 फरवरी, 1968 को संध्या को उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में केरल के मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). यह भूल के कारण हुआ । जैसे ही इस भूल का पता लगा अन्तरिक्ष अनुसन्धान के लिए भारतीय कमेटी के अध्यक्ष ने केरल के मुख्य मंत्री से मिलकर व्यक्तिगत रूप से अपना खेद व्यक्त किया, उन्हें विस्तार से सारी परिस्थिति समझाई तथा उनसे निवेदन किया कि वे उनका व्यक्तिगत निमंत्रण मंत्रियों को पहुंचाने की कृपा करें । मुख्य मंत्री महोदय इस बात के लिए रजामन्द हुए कि इस विषय को आगे न बढ़ाया जाए ।

थुम्बा परियोजना पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा

4505. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि थुम्बा परियोजना में अब तक किये गये व्यय में विदेशी मुद्रा कितनी है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): उपकरण तथा अन्य सामान खरीदने के लिए थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण स्टेशन को अब तक कुल 18.63 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का विनिदान मिला है ।

Manufacture of Transister Radios by B.E.I.

4506. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the Bharat Electronics Ltd. has been successful in making a cheap but good quality two band transistor radio for which it was doing research for the last many years;

(b) the number of such transistor sets being manufactured in the country annually; and

(c) whether these are being manufactured in the private sector and, if so, the amount received from the persons to whom the design and the technique were sold to cover the expenditure incurred on the research work, and if no amount was realised, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) Bharat Electronics Limited have not undertaken research for the development of a two band transistor radio.

(b) and (c). Do not arise.

Supply of Aeroplanes to India by France

4507. Shri N. S. Sharma:
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that France had promised to supply some aeroplanes and their spare parts to India before the U.A.R.-Israel conflict:

(b) whether it is also a fact that this supply was diverted to Israel while it was on way to India;

(c) if so, the details of this supply and the value thereof;

(d) whether Government have taken up this matter with the French Government; and

(e) if so, the result thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

केन्द्रीय संगीत तथा नाटक प्रभाग, दरभंगा

4508. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संगीत तथा नाटक प्रभाग का दरभंगा (बिहार) स्थित क्षेत्रीय केन्द्र सन्तोषजनक काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसको सफलताएं क्या हैं और दरभंगा केन्द्र ने क्या कार्य किया है तथा निकट भविष्य के लिये उसका कार्य का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय लोगों की, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषकर मैथिली भाषा के गायक और नाटक खेलने वाले भी सम्मिलित हैं, भर्ती और प्रशिक्षण की ओर यथोचित ध्यान दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1967 में, अपनी स्थापना से लेकर 29 फरवरी, 1968 तक, केन्द्र द्वारा कुल 173 कार्यक्रम दिए गए हैं। मार्च, 1968 में 23 कार्यक्रम देने की योजना है। 1968–69 में 600 कार्यक्रम देने का लक्ष्य बनाया गया है।

(ग) प्रभाग स्थानीय आर्टिस्टों को प्रशिक्षण नहीं देता। यह प्रदर्शन के लिए कार्यक्रमों की अपने स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा ही रिहर्सल करता है। मैथिली भाषा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस केन्द्र के चार दलों में से, एक दल केवल मैथिली भाषा में ही कार्यक्रम देता है और इसके कलाकार मैथिली भाषी क्षेत्रों से ही भर्ती किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान वर्ग का सर्वेक्षण

4509. श्री रा० बरुआ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या के धनवान वर्ग और उनके खर्च करने के तरीकों और कर में अंशदान का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छपाई के लिये राजकीय पुरस्कार

4510. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अति सुन्दर छपाई के लिये राजकीय पुरस्कार योजना कब से शुरू की गई थी और उसके उद्देश्य क्या हैं और 31 दिसम्बर, 1967 तक इस योजना पर कितना खर्च किया जा चुका है ;

(ख) कितने समाचारपत्रों, मुद्रणालयों, विज्ञापन अधिकरणों तथा अन्य श्रेणियों के मुद्रकों ने इस योजना में भाग लिया है;

(ग) क्या छोटे समाचारपत्रों और मुद्रणालयों के लिये भी इसमें कोई स्थान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रस्ताव किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) छपाई और डिजाइनों की उत्तमता पर राजकीय पुरस्कार 1955 में आरम्भ किए गए थे। इस योजना के उद्देश्य हैं मुद्रकों, डिजाइन-कर्त्ताओं, विज्ञापकों और प्रकाशकों के बीच स्वस्थ होड़ को प्रोत्साहन देना; मुद्रण प्रविधियों और निर्माण स्तरों में सुधार करना और मुद्रण उद्योग द्वारा की गई प्रगति के बारे में आम जनता को अधिक जानकारी देना है। 31 दिसम्बर, 1967 तक इस योजना पर हुआ व्यय 1,69,000 रुपए था।

(ख) क्योंकि ये पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं, अतः प्रविष्टियाँ भी हर वर्ष मुद्रकों, डिजाइन-कर्त्ताओं, विज्ञापन एजेंसियों, विज्ञापकों, प्रकाशकों, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों, सरकारी अंडरटेकिंगों, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों, वाणिज्यिक गृहों, समाचारपत्रों, आदि से आमंत्रित की जाती हैं। औसतन लगभग 300 प्रवेशक प्रति वर्ष प्रविष्टियाँ भेज रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय पुरस्कार होने के कारण, छोटे और बड़े समाचारपत्रों और मुद्रणालयों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता । सभी को अपनी अपनी ब्रविष्टियाँ भेजने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

(घ) छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जाँच समिति ने सिफारिश की है कि छोटे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के निर्माण स्तरों में सुधार करने के लिए संविधान के आठवें परिशिष्ट में दी गई प्रत्येक भाषा के लिए नकद अदायगी सहित अलग वार्षिक पुरस्कार शुरू किये जायें । सरकार इस सिफारिश से सहमत है तथापि, इसे क्रियान्वित करना धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

दरभंगा में रडियो स्टेशन

4511. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 14 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा में आकाशवाणी का स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव गोरखपुर में स्टेशन की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव से पहले का था;

(ख) यदि हाँ, तो दरभंगा की योजना में विलम्ब का क्या कारण है ;

(ग) क्या दरभंगा में ट्रांसमिटर स्थापित करने के लिये स्थान का चयन कर लिया गया हैं और उसका अर्जन भी हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या दरभंगा में आकाशवाणी के स्टेशन की स्थापना के लिये वित्तीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). दरभंगा में ट्रांसमिटर और स्टूडियो लगाने के हेतु उचित स्थान चुनने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है, परन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण, आगे कार्रवाई करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है ।

Power from Radioactive Isotopes

4512. Shri Maharaj Singh Bharati:
Shri Shiv Charan Lal:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Britain has evolved a technique as reported in the "Engineering Times" 15th March, 1967, by which power can be generated from surplus radio active isotopes; and

(b) if so, the programme prepared by Government to generate power from the said isotopes which would be available in surplus on a large scale in India?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir. We have seen reports that a Radio-Isotope powered Pulsed Light Equipment has been developed in U.K.

(b) We have no plans at present for the development of similar equipment in India.

Pay Scales of Meter Readers in M.E.S.

4513. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government had received a memorandum from the President, U.P. M.E.S. Workers' Union, Meerut Branch in February, 1966 in regard to the revision of pay-scales of Meter-Readers and whether a letter was again received from him in March, 1966 about promotion of Meter-Readers;

(b) if so, the nature of their demands and the action taken in regard thereto;

(c) whether it is also a fact that Government had earlier received similar requests from Agra Branch in June, 1965 and from Bombay, Barrackpur and Calcutta in December, 1966; and

(d) if so, the reasons for the delay to consider them and have talks with the labourers?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) to (c). The following representations have been received by Government:

(i) Letter dated 7th June, 1965 from M.E.S. Workers' Union, Agra Branch, asking the promotion of Meter Readers working in Revenue Section as Supervisor Barrack Stores, Gr. II.

(ii) Letter dated 23rd February, 1966 from M.E.S. Workers' Union, Meerut Branch asking for revision of the existing scale of pay of Rs. 105—155 for Meter Readers, and categorisation of Meter Readers as Gr. I and Gr. II in the scales of Rs. 130—216 and Rs. 110—118 as for Storekeepers, Gr. I and Gr. II respectively.

(iii) Letter dated 21st December, 1966 from M.E.S. Workers' Union Bombay Area, asking for revision of scale of pay of Meter Readers, re-designation of Meter Readers as Meter Inspectors and Relaxation of Educational qualification for promotion as Lower Division Clerks in the case of non-matriculate Meter Readers.

(d) The question of revision of scale of pay had been under examination for some time with reference to the increase in the minimum qualification and the type of duties prescribed for them; but it has not been considered further because of the general ban imposed by Government on revision of salary structure of Central Government employees. As duties of Supervisor Barrack Stores, Gr. II are quite different from those of Meter Readers, Meter Readers cannot be made eligible for promotion to that post. As regards posts of L.D.Cs., they are direct recruitment posts for which the

qualification prescribed is Matriculation. The question of promotion of Meter Readers, either Matriculate or non-Matriculate, as L.D.Cs. does not therefore arise. Such Meter Readers as are Matriculates and are also eligible by age can apply direct for vacancies of Lower Division Clerks when advertised.

Outdated I.A.F. Aircraft

4514. Shri Maharaj Singh Bharati:
Shri Shiv Charan Lal:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the steps being taken by Government to dispose of the outmoded and old types of aircraft of the Indian Air Force or to utilise them for any other purpose by undertaking necessary modifications, and

(b) whether any demand has been received from some country for their purchase?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Old types of aircraft of the I.A.F. having useful life left in them, are sold through D.G.S. & D. where no useful life is left in the aircraft, the useful parts are retrieved for maintaining other aircraft, or the aircraft are allotted to training institutions, museums, etc.

(b) Such demands are received occasionally and are examined on merits.

सैनिक स्कूल

4515. श्री अविचंन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिक उम्मीदवारों को स्थान देने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सैनिक स्कूलों की समिति के बोर्ड आफ डायरेक्टरर्ज़ ने ऐसी नीति निर्धारित कर रही है कि हर एक अनुसूचित जाति/आदिम जाति छात्र को, जिसने प्रविष्टि परीक्षा में कम से कम अर्हता नम्बर प्राप्त कर लिए हों प्रविष्ट की पेशकश की जानी चाहिए, चाहे मेरिट सूची में उसकी कैसी ही स्थिति क्यों न हो, चाहे मैरिट सूची में पर्याप्त उच्च स्थान प्राप्त न कर पाने के कारण वह साधारणत: प्रविष्टि प्राप्त न कर पाता हो ।

भारतीय विदेश-सेवा संवर्ग

4516. श्री अविचंन : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय विदेश-सेवा संवर्ग में कुल कितने अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हैं;

(ग) इस समय विदेशों में कार्य करने वाले भारतीय राजनयिकों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) उनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों से तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं और उनके पदनाम क्या-क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)

भारतीय विदेश सेवा	295
भारतीय विदेश सेवा (ख)	2220
सूचना सेवा	48

(ख)

भारतीय विदेश सेवा	22
भारतीय विदेश सेवा (ख)	सूचना इकट्ठी की जा रही है ।
सूचना सेवा	

(ग)

भारतीय विदेश सेवा	200
भारतीय विदेश सेवा (ख)	252
सूचना सेवा	37

(घ)

भारतीय विदेश सेवा	राजदूत	2
	परामर्शदाता	1
	प्रथम /द्वितीय/ तृतीय सचिव	12
भारतीय विदेश सेवा (ख)	सूचना इकट्ठी की जा रही है ।	
सूचना सेवा	प्रैस सहचारी	1

केरल में आयुध कारखाना

4517. श्री पी० सी० अदिचन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक सैनिक आयुध कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) कोई नया आयुध कारखाना स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Chief Producers of A.I.R.

4518. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Chief Producers of A.I.R. have sent any memorandum to Government regarding their grievances;

(b) whether their representatives have also held talks with him in this regard;

(c) if so, the points made in their memorandum and the discussions held with them; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (d). No memorandum has been submitted to Government by the Chief Producers but a memorandum containing demands of the Chief-Producers has been received from some Members of Parliament. The Minister had also talks with some M.Ps. and representatives of the staff artistes. Several Chief Producers say the Secretary and made oral representation. They were told by the Minister that the proposals were not received by the Minister; when they are received no decision will be taken without hearing them.

Political Talks Relayed During 1967

4519. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of talks relayed from the Delhi Station of A.I.R. during the last one year; and

(b) the political party-wise number as well as the names of persons including the names of Members of Parliament who participated in the talks during the last one year?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य-प्रदेश में रेडियो स्टेशन

4521. श्री बाबूराव पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कुछ और रेडियो स्टेशन तथा प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, उनके लिये किन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इसबम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में मध्य प्रदेश में दो ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था है । एक जगदलपुर के निकट के क्षेत्र में दूसरा सतना/रेवा क्षेत्र में । उनके लगाने की वास्तविक तारीख साधनों और आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर निर्भर करती है ।

पनडुब्बियों की खरीद

4522. श्री बापूराव पटेल: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में खरीदी गई नई पनडुब्बी 'कलवारी' कितनी पुरानी है ; और

(ख) जब नई पनडुब्बियां सुगमता से मिल सकती हैं, तो पुरानी पनडुब्बियां क्यों खरीदी जा रही हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार कोई पुरानी पनडुब्बी अधिगृहीत नहीं कर रही।

(ख) इसलिए प्रश्न उठता ही नहीं।

राज्यों के मुख्य सचिवों तथा योजना सचिवों की बैठक

4523. श्री रविराय :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा 29 फरवरी, 1968 को राज्यों के मुख्य सचिवों तथा योजना सचिवों की एक बैठक बुलाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का उद्देश्य क्या था तथा उसमें क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) यह उन बैठकों की श्रृंखला की प्रथम कड़ी थी जो कि अगली पंचवर्षीय योजना के गठन के लिये राज्य-प्रतिनिधियों के साथ की जाती है।

कच्छ न्यायाधिकरण के निर्णय के बारे में प्रसारित किये गये समाचार

4524. श्री रवि राय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने कच्छ न्यायाधिकरण निर्णय के बारे में कुछ समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के बारे में प्रथम प्रसारण का पाठ क्या है और आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन से यह कितनी भाषाओं में प्रसारित किया गया था; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। कच्छ न्यायाधिकरण निर्णय के बारे में हमारे समाचार बुलेटिनों में प्रसारण हुआ था।

(ख) और (ग) प्रथम प्रसारण 19 फरवरी को अपरान्ह 3.30 बजे के अंग्रेजी के और अपरान्ह 3.35 बजे के हिन्दी के बुलेटिनों में "फ्लैश" समाचार के रूप में था। उसका पाठ इस प्रकार था :—

> "आज जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय कच्छ ट्रिब्युनल ने निर्णय दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादग्रस्त कच्छ के रण का 80 प्रतिशत भाग भारतीय क्षेत्र है।"

निर्णय पर बाद में प्राप्त अन्य सामग्री सहित यह समाचार सभी बुलेटिनों और सभी भाषाओं में प्रसारित किया गया था।

Press and Cultural Attache in the Indian Mission in Rome

4525. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to news-item in the 'Blitz' of 17th February, 1968 to the effect that Shri Rai Singh, the Press and Cultural Attache to Indian Mission in Rome, had obtained a visa from Pakistan Embassy in Rome for visiting Pakistan and for calling on Indian High Commission in Pakistan but Pakistan authorities did not allow him to do so; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) The matter has been taken up with the Pakistan High Commission in New Delhi.

Persons Entering Britain Without Passports

4526. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that twelve persons, including some Indians, were apprehended while entering into Britain without passports, as reported in the 'Hindustan' of the 13th February, 1968;

(b) if so, whether Government have conducted any inquiry into this matter; and

(c) the details thereof and the action taken to get the Indians released?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). Only one Indian was involved in this. He was issued an Indian passport in New Delhi but arrived in the U.K. without passport. After verifying his particulars he is being issued an Emergency Certificate to enable him to return to India.

Dealings with German Democratic Republic

4527. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the name of the Indian Ambassador in Eastern Europe through whom Government are dealing with the German Democratic Republic in the absence of any Embassy there?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): India has no diplomatic relations with the German Democratic Republic. Bilateral trade relations are maintained through the respective trade offices. The interests of Indian students and trainees in the German Democratic Republic are being looked after by the Indian Embassy in Czechoslovakia.

नये आयुध कारखाने

4528. **श्री देवेन सेन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थापित आयुध कारखानों की वर्तमान क्षमता को पूरा लाभ उठाये बिना विभिन्न स्थानों में आयुध कारखाने उन वस्तुओं के निर्माण के लिये बनाये जा रहे हैं जिनका पहले से स्थापित कारखानों में कम लागत पर निर्माण किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के फलस्वरूप प्रतिरक्षा विभाग के व्यय में वृद्धि हो जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राईफल फैक्टरी ईशापुर

4529. **श्री देवेन सेन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राइफल फैक्टरी, ईशापुर में स्वचालित एक हल्की राइफल का निर्माण किया गया है तथा उसका पहाड़ों, समुद्रों और विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महू के एक सैनिक प्रयोगात्मक केन्द्र ने भी उसका परीक्षण किया है तथा उसे बहुत लाभदायक पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं। जिसका विकास किया जा रहा है वह है, बोल्ट एक्शन राईफल का एक हल्का संस्करण।

(ख) और (ग). आरम्भिक तकनीकी परीक्षण हस्तगत किए जा चुके हैं। विकास सम्पूर्ण हो पाने में कुछ समय लगेगा।

ईशापुर धातु और इस्पात फैक्टरी को दिये गये क्रयादेश

4530. **श्री देवेन सेन**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ईशापुर धातु और इस्पात फैक्टरी को विभिन्न प्रकार की इस्पात के तारों के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं जहां ऐसे तार बनाने की वहां व्यवस्था है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये क्रयादेश गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां। विशिष्ट मांगों के विरुद्ध मेटल तथा स्टील फैक्टरी ईशापुर में नियमित तौर पर अनेक प्रकार की फौलादी तारों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) डी० जी० ओ० एफ० को भेजी गई फौलादी तार की कोई भी मांग निजी क्षेत्र को स्थानान्तरित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पीकिंग रेडियो में कार्य करने वाले भारतीय राष्ट्रजन

4531. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीकिंग रेडियो में भारतीय राष्ट्रजन कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पीकिंग रेडियो से हिन्दी (और मैथली) में कौन व्यक्ति प्रसारण करता है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) सरकार को यह मालूम है कि रेडियो पीकिंग में कुछ भारतीय काम कर रहे हैं लेकिन उनका पूरा-पूरा ब्यौरा मालूम नहीं है। ये व्यक्ति चूंकि चीन सरकार से वेतन लेते हैं, इसलिए हमारे सरकारी प्रतिनिधियों से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखते हैं और उनके पास यात्रा संबंधी भारत के वैध दस्तावेज भी नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Publications for Military Personnel

4532. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1397 on the 21st February, 1968 and state:

(a) whether there is any rule under which "publications which are proscribed for military personnel and are not included in the guidance lists" are not kept in the clubs and reading rooms in Army; and

(b) if not, the purpose of preparing guidance lists?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). Guidance lists of suitable reading material are circulated so that purchases may be restricted to the field indicated therein. No other rule in the matter is considered necessary.

Broadcast of Talks on the Lives of National Leaders

4533. Shri O. P. Tyagi: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have accorded permission for broadcasting talks on the lives of great personalities of India on their birthday anniversaries or special occasions;

(b) if so, the names of those great personalities on whose lives talks are permitted to be broadcast every year;

(c) whether the names of Swami Dayanand Saraswati, the founder of Arya Samaj and the great revolutionary of 19th Century, has also been included in the list of the aforesaid greatmen; and

(d) if not the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Special progammes are broadcast on the anniversaries of some great personalities of India. These programmes are not necessarily confined to talks.

(b) Special programmes on an all-India basis are broadcast on the birth and death anniversaries of Mahatma Gandhi. Pt. Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri. The birth anniversaries of Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Patel and Dr. Rajendra Prasad are noticed similarly. Special programmes are also broadcast on the death anniversaries of Maulana Abul Kalam Azad and Lokamanya Tilak.

(c) Programmes on the birth anniversary of Swami Dayanand are broadcast by some Stations in their local programmes.

(d) Does not arise.

Indians in Foreign Countries

4534. Shri O. P. Tyagi: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4728 on the 18th December, 1967 and state:

(a) the number of such Indians living in foreign countries as have acquired citizenship of those countries and the number of those living in foreign countries as Indian citizens; and

(b) the measures adopted by Government to safeguard the rights and culture of Indians living in foreign countries?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) It is not possible to give the exact number of Indians who have acquired citizenship of foreign countries as not all such cases are reported. The information in

respect of Indians who have acquired local citizenship and of the Indians living in foreign countries as Indian citizens is being collected and compiled and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) The Government of India has diplomatic and other representations in almost all countries where people of Indian origin are settled in large numbers. Through these, as well as through other channels, the Government of India takes action, whenever necessary and feasible, to safeguard the rights of Indian citizens abroad. These representations look after cultural matters too which are also the subject of many bilateral programmes with the countries concerned. Indian cultural items are also broadcast in the national services of All India Radio to such areas. Non-official organisations in some countries play an important part in dissiminating Indian Culture.

भारतीय सेना को राकेटों से सुसज्जित करना

4535. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना को राकेटों से सुसज्जित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): मांगी गई सूचना देना लोकहित में नहीं है।

Advertisement to Newspapers in Madhya Pradesh During 1967-68

4536. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the amount paid to each of the Daily Newspapers of Madhya Pradesh for publishing Central Government advertisements during 1967-68; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). Advertisements of the value of Rs. 75,900 were released by the Directorate of Advertising and Visual Publicity to daily newspapers published from Madhya Pradesh during the period 1st April to 31st December, 1967.

Information regarding the details of advertisements released to individual newspapers and the amounts paid to them is treated confidential between the Directorate of Advertising and Visual Publicity and the individual papers. It would not be good business ethics to divulge this information unilaterally without the prior consent of the papers concerned.

Sainik Schools in Madhya Pradesh

4537. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of Sainik Schools in Madhya Pradesh and the places where they are situated;

(b) the number of students undergoing training in them; and

(c) the amount spent on them per annum?

The Minister of State (Defence Production in the Ministry of Defence) (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The attention of the Hon'ble Member is drawn to the reply given to the two similar Unstarred Questions Nos. (i) 8130 dated 7th August, 1967 and (ii) 2910 dated the 4th December, 1967 which were tabled by him. The number of students in the Sainik School, Rewa as on 31st December, 1967 was 303 and the total expenditure for the year 1967 was about Rs. 5,45,000.

Rehabilitation of Disabled Soldiers

4538. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether any soldiers from Madhya Pradesh were injured in the last Indo-Pak conflict and declared unfit for military service; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken by Government to rehabilitate them?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

हिमाचल प्रदेश के आदिम जातीय दल का दौरा

4539. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अन्तर्गत नवम्बर तथा दिसम्बर, 1967 में हिमाचल प्रदेश के कुछ एकाकी आदिम जातीय क्षेत्रों से एक दल ने भारत के कुछ भागों का दौरा किया था ;

(ख) इस दल में जिलेवार, कौन-कौन से व्यक्ति थे;

(ग) इस दल के लिये व्यक्तियों का चयन करने के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं ;

(घ) क्या इस दौरे के लिये व्यक्तियों का चयन करने से पहले इच्छुक यात्रियों से आवेदन पत्र मांगे पये थे; और

(ङ) चम्बा जिले के पांगी तहसील तथा भरमौर सब तहसील के एकाकी आदिम जातीय क्षेत्रों से व्यक्तियों का चयन न करने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश के एकाकी सीमा क्षेत्रों से इस दौरे की व्यवस्था सीमावर्ती प्रचार योजना के अन्तर्गत की गई थी।

(ख) जिलेवार नामों की सूची संलग्न है [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 521/68**]

(ग) एकता और संस्कृति एवं सद्भावना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऐसे बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्तियों को जो देश में होने वाले ग्राम विकास और प्रगति को समझने में समर्थ थे, आमन्त्रित किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) चयन केवल एकाकी सीमाक्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था। पांगी तहसील और भरमौर सब तहसील एकाकी सीमा-क्षेत्रों की श्रेणी में नहीं आती हैं।

हिमाचल प्रदेश के आदिम जातीय लोग

4540. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में केन्द्रीय सरकार को एक योजना के अन्तर्गत किन्नौड़ तथा स्पिति और लाहौल के जिलों के कुछ आदिम जातीय लोगों को भारत के कुछ भागों का दौरा करने के लिये चुना गया था ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों को चुनते समय सम्बन्धित आयुक्तों तथा सम्बन्धित स्थानीय विधान-मण्डल के सदस्यों से परामर्श किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दौरे के प्रबन्ध के लिये साथ जाने वाले अधिकारी दल में केन्द्रीय सरकार के दो अधिकारी होने पर भी हिमाचल प्रदेश सरकार के एक अधिकारी को रखना क्यों आवश्यक समझा गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चयन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार का अधिकारी दल में दुभाषिए के रूप म काम करने के लिए शामिल किया गया था।

हरियाना राज्य में आकाशवाणी केन्द्र (रेडियो स्टेशन)

4542. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरियाणा राज्य म आकाशवाणी का एक केन्द्र (रेडियो स्टेशन) स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और कब तक इसके स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में हरियाणा राज्य में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। परन्तु इसका वास्तव में लगाया जाना साधनों और आवश्यक विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। प्रस्तावित केन्द्र के स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Army Vehicles Involved in Road Accidents

4543. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of vehicles of the Indian Army which were wholly or partially damaged in road accidents during the last five years;

(b) the amount of loss sustained by Government as a result of these accidents;

(c) the number of persons injured and of those killed in these accidents; and

(d) the amount of compensation paid by Government to the families of those who were killed and to those injured?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). A Statement giving the required information is attached. **[Placed in Library. See No. LT-522/68].**

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Air Accidents

4544. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of aeroplanes of the Indian Air Force, which met with accidents since 1962 to-date;

(b) the number of military officials killed in those accidents;

(c) the number of the commissioned and non-commissioned officials among them separately;

(d) the amount of compensation paid to the families of those officers; and

(e) the loss suffered by Government as a result of those air-accidents?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) 256.

(b) 362.

(c) Commissioned—166

Non-Commissioned—196.

(d) The information is being collected.

(e) Approximately Rs. 29.03 crores.

Ordnance Factories in Madhya Pradesh

4545. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of Ordnance Factories in Madhya Pradesh;

(b) the number of employees working in those factories;

(c) the number of those whose services were terminated because of the irregularities committed by them during the years 1965, 1966 and 1967; and

(d) the number of employees declared permanent during the aforesaid years?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) Three. One more factory is under establishment.

(b) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

News Broadcast from Radio Srinagar

4546. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that news are not broadcast in Hindi from Radio Srinagar;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to broadcast news in Hindi from Radio Srinagar?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Radio Srinagar is already broadcasting news in Kashmiri/ Urdu and Ladakhi to meet the requirements of the people there. Urdu is the State language in Jammu and Kashmir.

आई० एन० एस० "गंगा" को हुई क्षति

4547. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1955 में आई० एन० एस० "गंगा" क्षतिग्रस्त हो गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षति के लिये जिम्मेदार वही अधिकारी था, जो जून, 1967 में आई० एन० एस० "विक्रान्त" के मद्रास बन्दरगाह में एक वाणिज्यिक टेंकर से टकराने के समय, उसका इंचार्ज था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई है, हालांकि जांच न्यायालय ने स्पष्ट रुप से उस अधिकारी की पदोन्नति के विरुद्ध निदेश दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) आई० एन० एस० गंगा की प्रमोदन मशीनरी की एक यूनिट को 1960 में भारी क्षति पहुंची थी ।

(ख) जी नहीं । तदपि, अफसर एक ऐक्जीक्यूटिव अफसर था, और आई० एन० एस० विक्रान्त की कमान में दूसरे दर्जे पर था, जब वह पोत मद्रास की बन्दरगाह में 1966 में एक वाणिज्यक टेंकर से टकरा गया था ।

(ग) और (घ). अफसर सिलेक्शन द्वारा पदोन्नत कर दिया गया है। कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने अफसर के पदोन्नत किए जाने के विरुद्ध सिफारिश नहीं की थी।

आई० एन० एस० "धर्मी"

4548. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एन० एस० "धर्मी" के खरीदने पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) इसको कब और किस प्रयोजन के लिये खरीदा गया था ;

(ग) इस जहाज को कब सेवा में लगाया गया था; और

(घ) क्या यह सच है कि इस जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के काम में लाया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (घ). यद्यपि आई० एन० एस० धरिणी मुख्यत: एक सप्लाई तथा मरम्मत पोत है, इसे अन्य संक्रियात्मक कार्यों के लिये इस्तेमाल किया गया है, किया जा सकता है। अन्य विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

छावनी बोर्ड

4549. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 के लिये विभिन्न छावनी बोर्डों के विकास के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई थी और छावनी बोर्डवार इसमें कितनी धनराशि प्रयोग में लाई गई; और

(ख) उनके विकास के लिये 1968–69 के लिये कितनी धनराशि मंजूर करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण सिंह): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) छावनियों के विकास के लिए 1968–69 के दौरान प्रस्तावित विशेष सहायक अनुदान 55 लाख रुपये है।

आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र में कर्मचारियों की भर्ती

4550. **श्री राम चरण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र में कर्मचारियों की भर्ती के क्या नियम हैं;

(ख) भारत के चलचित्र संस्थान के प्रशिक्षित कर्मचारियों में से अब तक कुल कितने अधिकारी लिये गये हैं और सीधे भर्ती किये गये प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अब तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) दो विवरण सदन की मेज पर रख दिए गए हैं जिनमें से एक में टेलीविजन केन्द्र के वे असैनिक पद दिए हुए हैं जिनके बारे में भर्ती नियम औपचारिक रूप से निर्धारित कर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जा चुके हैं और दूसरे में उन पदों के बारे में भर्ती के तरीके दिए हुए हैं जिनके लिए औपचारिक भर्ती नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं। एक और विवरण भी जिसमें स्टाफ आर्टिस्टों की भर्ती के तरीके दिए हुए हैं, सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 523/68]

(ख)	नियमित असैनिक कर्मचारी	स्टाफ आर्टिस्ट
भारतीय फिल्म संस्थान के प्रशिक्षित व्यक्तियों में से लिए गए अधिकारियों की कुल संख्या . . .	कोई नहीं	12
प्रतिनियुक्ति पर/सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	185	97
(ग) अनुसूचित जाति	24	स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में जानकारी रिकार्ड पर नहीं है, क्योंकि स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की कोई व्यवस्था नहीं है।
अनुसूचित आदिम जाति . . .	4	

भारत–अमरीकी मैत्री संस्थायें

4551. **श्री राम चरण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 28 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश भारत-अमरीकी मैत्री संस्थाओं को सी० आई० ए० के द्वारा अमरीका से धन मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में हाल ही में जो कुछ पता लगा है उसको देखते हुए भारत में ऐसे संगठनों पर रोक लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसा विश्वास करने की कोई वजह नहीं कि भारत-अमरीकी मित्रता सोसाइटियों को ज्यादातर सी० आई० ए० की मार्फत पैसा मिलता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमा सड़क संगठन

4552. **श्री रामचरण** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 28 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन पर राज्यों/केन्द्रीय सरकारों के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) राज्यों/केन्द्रीय कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए और सीमा सड़क संगठन में सेवा कर रहे सेविवर्ग की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

अफसर	19
अधीनस्थ	82

(ख) सूचना सहज प्राप्य नहीं है, और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Rehabilitation of Repatriates from Aden

4553. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian families who have been repatriated to India from Aden during the last six months;

(b) the number of such families among them as have been rehabilitated so far and the number of those yet to be rehabilitated; and

(c) the action taken by Government to provide employment to them?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) About 2538 Indians, including persons of Indian origin came to India from Aden between 1st September, 1967 and 29th February, 1968. Since wives and children in many cases had come to India earlier, it is difficult to assess the exact number of such families. It is, however, estimated that about 900 familes have come to India.

(b) The local authorities allowed the repatriates to take their assets out of Aden and the question of rehabilitation has not arisen.

(c) Does not arise.

सैनिक समाचार

4554. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों को "सैनिक समाचार" में पत्रकारों के रिक्त पदों पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके पदनाम, नियुक्तियों की तारीख तथा योग्यताओं का विवरण क्या है; और

(ग) इन पदाधिकारियों को कब तक नियमित रूप से नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 524/68**]

सैनिक समाचार

4555. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सैनिक समाचार" के उप-सम्पादकों तथा सहायक पत्रकारों को पदोन्नति के क्या अवसर प्राप्त हैं ;

(ख) क्या सरकार उनकी सेवा की शर्तों को सुधारने के किन्हीं सुझावों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सैनिक समाचार में उप-सम्पादक के स्थानों के लिए भर्ती के नियमों में अनुवादकों की ऐसे स्थानों में पदोन्नति का उपबन्ध है । अधिकतम अनुवादकों के सहायक पत्रकारों के तौर पर वर्गीकृत किए जाने पर उप-सम्पादकों के स्थानों के लिए भर्ती के नियमों में संशोधन करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं, ताकि सहायक पत्रकारों को ऐसे स्थानों में पदोन्नति प्राप्य की जा सके ।

उच्चतर स्थानों के भर्ती नियमों में उप-सम्पादकों की ऐसे स्थानों में पदोन्नति का कोई उपबन्ध नहीं है ।

उच्चतर स्थानों के भर्ती नियमों में उप-सम्पादकों की पदोन्नति के लिए उचित उपबन्ध करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । "सैनिक समाचार" एस्टेब्लिशमेंट में पत्रकारों समेत जनसम्पर्क निदेशालय (रक्षा) में पत्रकारों के स्थानों को अन्यत्र ऐसे स्थानों में मिला देने की सम्भाव्यता भी निरीक्षणाधीन है ।

सैनिक समाचार

4556. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन सम्पर्क निदेशालय तथा "सैनिक समाचार" के पत्रकारों के सब पदों को मिलाकर एक संयुक्त संवर्ग हाल ही में बनाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बाद में कुछ श्रेणी के पदों को उस संवर्ग से बाहर निकाल दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जन संपर्क निदेशालय में अराजपत्रित पत्रकारों के स्थान केवल प्रशासनिक उद्देश्यों से छोड़ दिए गए थे। अगर स्थान छोड न दिए गए होते तो उससे उन्हें जो भी लाभ होते ऐसे पदधारी उन लाभों से वंचित न रहते।

विदेशों में प्रदर्शित फिल्में

4558. श्री जुगल मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत में बनी कितनी और कौन-कौन सी फिल्में रूस, अमरीका, ब्रिटेन, ईरान और अफगानिस्तान में प्रदर्शित की गईं ;

(ख) उन फिल्मों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उक्त अवधि में इन देशों में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की ;

(ग) क्या यह सच है कि इन देशों को बहुत सी ऐसी फिल्में भेजी गईं हैं, जिन्हें भारत में और विदेशों में भी सफलता नहीं मिली और लोगों ने पसन्द नहीं किया ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने विदेशों को ऐसी फिल्म क्यों भेजीं जिन्हें भारत में सफलता नहीं मिली थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से स्थानीय भाषाओं में प्रसारण

4559. श्री मेघ चन्द्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम मनीपुरी तथा अन्य स्थानीय भाषाओं में तैयार किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इम्फाल आकाशवाणी केन्द्र में एक भी प्रोड्यूसर अथवा सहायक प्रोड्यूसर नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो स्थानीय भाषाओं में दैनिक प्रसारण के लिये वास्तव में कौन कार्यक्रम तैयार करता है ; और

(घ) इस केन्द्र के स्थानीय कलाकारों की इन पदों पर अर्थात् प्रोड्यूसर या सहायक प्रोड्यूसर पद पर नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा साहाय्यित प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव।

(घ) बचत की अधिक आवश्यकता के कारण इम्फाल में सहायक प्रोड्यूसरों का कोई पद अभी तक नहीं बनाया गया है परन्तु इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका "इण्डियन न्यूज"

4560. **श्री नंजा गोडर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका "इण्डियन न्यूज" ने स्वामी विवेकानन्द की एक पुस्तक से कुछ उद्धरण छाप कर इसकी कुछ बातों की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। वाशिंगटन स्थित हमारे राज दूतावास द्वारा प्रकाशित 'इण्डियन न्यूज' साप्ताहिक में स्वामी विवेकानन्द कृत "राजयोग" के कुछ अंश प्रकाशित किए गए थे। कुछ लोगों ने इन अंशों में पैगम्बर मोहम्मद के उल्लेख पर आपत्ति की है।

(ख) इस साप्ताहिक के संपादक ने आगामी अंक में क्षमायाचना प्रकाशित कर दी थी और इस बात पर खेद प्रकट किया था कि उन्होंने इस पत्रिका में यह उल्लेख प्रकाशित होने दिया।

पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्था

4561. **श्री नंजा गोडर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का विचार निलगिरी में पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्था चलाने का नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष नेहरू पर्वतारोहण संस्था की सहायता से "राक क्लाइम्बिंग कोर्स" चलाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो नीलगिरी में ऐसी संस्था न चलाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ग). जी नहीं। मुख्य कारणों में से एक यह है कि नीलगिरि पर्वतमालाओं में स्नो या आईसक्राफ्ट का प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता।

(ख) अप्रैल-मई 1967 में उत्तर काशी की नेहरू पर्वतारोहण संस्था द्वारा प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की सहायता से चट्टानों के आरोहण के दो पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

डा० वाई० नजमुद्दीन की पूर्वी अफ्रीका में गतिविधियां

4562. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक गुरू डा० वाई० नजमुद्दीन की पूर्वी अफ्रीका में गतिविधियों के बारे में किन्हीं साधनों से, जिनमें नैरोबी स्थित भारतीय आयोग भी शामिल हैं, कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और ये कब तथा किन-किन साधनों से प्राप्त हुई ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . हमें नैरोबी स्थित अपने हाई कमीशन से इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है । लेकिन, बम्बई के दाऊदी बोहरा बुलेटिन ने 10 जुलाई, 1967 के एक पत्र में, जो कि तत्कालीन विदेश मंत्री के नाम है, पूर्व अफ्रीका में परम पावन डा० सैय्यदन मोहम्मद के भाई डा० वाई नजमुद्दीन की गतिविधियों का जिक्र किया है । यह आरोप लगाया गया है कि "ज़ियाफ़त", "सलाम", "पगलस", "मजलिस" आदि से बोहरा पुजारी पूर्व अफ्रीकी देशों में जो विपुल धनराशि एकत्रित करते हैं वह पूर्व अफ्रीका में रहने या भारत में आने की बजाय स्वीट्ज़रलैण्ड में उनके निजी खाते में जाती है । इसके अलावा 1963 में "हाई प्रीस्ट" की पूर्व अफ्रीका की यात्रा के बाद बोहरा समाज को जो यह आश्वासन दिया गया था कि कीनिया , उगांडा, मालागासी, मारिशस और तंजानिया के बोहराओं के लिए 50,000 पौंड की लागत से एक सैफ़ी फाउन्डेशन स्थापित किया जाएगा वह भी पूरा नहीं किया गया है ।

(ग) सरकार बोहरा समुदाय के धर्म-विषयक आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

Gun Factory in Monghyr

4564. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gun factory is being run in Monghyr under the control or guidance of the Central Government;

(b) whether it is also a fact that only Nos. 2, 4 and 6 cartridges are manufactured in the said factory or in the other Ordnance Factories of India;

(c) whether these cartridges are of less power than those of the same number in foreign make; and

(d) if so, whether manufacturing of bullets would also be given preference in the said factory and other factories of such type and if not, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir.

(b) 12 Bore Cartridges Nos. 2, 4 and 6 as well as 7 and 8 are being manufactured in an Ordnance Factory.

(c) The Ordnance Factory cartridges compare favourably with those of the same number of foreign make.

(d) Does not arise.

तोप और गोला फैक्टरी, कलकत्ता

4565. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री अंबचेजियान:
श्री देवेन सेन :
श्री दीवीकन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में डमडम में तोप और गोला फैक्टरी बन्द हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके बन्द होने से कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इसको पुनः कब चालू किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) गन तथा शैल फैक्टरी, कोसीपुर में है । इसे साढ़े पांच बजे 4 मार्च से 8 मार्च, 1968 तक बन्द करना पड़ा था ।

(ख) दो कार्मिक (1 फैक्टरी से और 1 इन्स्पेक्टोरेट से 1 मार्च, 1968 को कण्टीन में खाने के समय अपने तथाकथित दुर्व्यवहार के कारण मुअत्तिल किए गए थे । इसलिए कुछ कार्मिकों ने मुजाहरा किया कि उनके विरुद्ध मुअत्तली के आदेश फौरन वापस ले लिए जाएं । तदनुसार फैक्टरी के कार्मिक संस्थान को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था । संस्थान को हानि से बचाने के लिए फैक्टरी को बन्द कर दिया गया था ।

(ग) उत्पादन में हानि के मूल्य के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) फैक्टरी 9 मार्च, 1968 की प्रातः की शिफ्ट से दुबारा खोल दी गई थी । 8 मार्च, 1968 शुक्रवार के बदले उसमें 10 मार्च, 1968 को भी काम किया गया ।

सैनिक स्कूल 'कोरूकोंडा', आंध्र प्रदेश

4566. **श्री नरसिम्हा राव :**
श्री सूर्य नारायण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1968 को "आन्ध्र पत्रिका" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोरूकोंडा सैनिक स्कूल, आन्ध्र प्रदेश, की छात्र अभिभावक, संस्था ने शिकायत की है कि प्रबन्धकों ने छात्रों के कल्याण के लिये धन का उपयोग नहीं किया है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग) घटिया खाने और अन्य मामलों के संबंध में शिकायतों पर सम्मिलित एक स्मरणपत्र कोरूकोंडा सैनिक स्कूल की अभिभावक समिति से प्राप्त हुआ है । मामले का निरीक्षण किया जा रहा है ।

पूर्वी जर्मनी के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध

4567. **श्री मेघ चन्द्र :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी तथा उसके चान्सलर ने भारत के पूर्वी जर्मनी के साथ व्यापार संबंधो पर आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Delegation Sent Abroad

4568. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of delegations sent abroad by his Ministry for various purposes last year and the countries to which they were sent and the number of persons in such delegation;

(b) the number and names of Members of Parliament who were given a chance to go with these delegations and the basis of selection thereof; and

(c) whether such delegations are proposed to be sent abroad in the near future also?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) During the year 1967, in all 31 delegations were sent to the following countries:

Australia, Burma, Canada, Cambodia, Federal Republic of Germany, Ghana, Hong Kong, Indonesia, Iran, Japan, Kenya, Kuwait, Lagos, Liberia, Malaysia, Mauritius, Pakistan, Philippines, People's Republic of South Yemen (Aden), Saudi Arabia, Singapore, Switzerland, Thailand, UAR, UK, USA, USSR and Yogoslavia.

The total number of persons in these delegations was 148.

(b) The following 8 Members of Parliament (excluding Ministers) were included:

1. Shri D. N. Tewari
2. Smt. Vijayalakshmi Pandit
3. Smt. Lalitha Rajagopalan
4. Smt. Devaki Gopi Das
5. Shri Ram Niwas Mirdha
6. Shri R. D. Bhandare
7. Shri Sant Baksh Singh
8. Shri Hayatullah Ansari.

The Members of Parliament are selected by the Prime Minister in consultation with the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of Rajya Sabha, as the case may be.

(c) While no such proposal is at present under consideration, such delegations will be sent as and when the situation demands.

Films Imported in 1967-68

4569. Shri Onkar Lal Bohra: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State:

(a) the number of films imported in 1967-68 and the countries from where such films are imported and the policy governing their imports;

(b) the amount of foreign exchange spent on their imports; and

(c) the number of Indian Films exported in 1967-68 and the countries to which such exports are made and the amount of foreign exchange earned thereby?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हवाई अड्डों का प्रयोग

4570. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्रीमती अगम दास गुरू मिनिभाटा:
श्री मणिभाई जे० पटेल:
श्री नाथुराम अहिरवार:
श्री लखन लाल गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें नीमच, ग्वालियर, इलाहाबाद के हवाई अड्डों पर, जिनपर प्रतिरक्षा मंत्रालय का नियंत्रण है, प्रत्येक अवसर पर प्रतिरक्षा मंत्रालय की बिना पूर्व अनुमति के राज्य सरकार के विमानों को उतारने की अनुमति मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) मांगी गई रियायत स्वीकार कर पाना संभव न था।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जयपुर में इन्वेस्टिगेटर्स तथा इन्सपैक्टरों की संख्या

4571. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जयपुर में इन्वेस्टिगेटर्स तथा इन्सपैक्टरों की कितनी संख्या है और विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले 18 वर्षों से इन्सपैक्टरों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों के रिक्षत कोटे को सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से बिल्कुल नहीं भरा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय नमूना कार्यालय, जयपुर में निरीक्षकों तथा अन्वेक्षकों की संख्या क्रमश: 9 और 41 है। दो अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित आदिम जाति के अन्वेषक हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का कोई निरीक्षक नहीं है ।

(ख) और (ग). निरीक्षक के पद पर चयन द्वारा भरती होती है और सभी रिक्त स्थान पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण नवम्बर, 1963 में प्रारम्भ किया गया । उस समय से लेकर 1966 और 1967 के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग में एक पद रिक्त हुआ और वर्तमान नियमों के अनुसार इन पदों को आरक्षित नहीं माना गया ।

वाइपर किस्म के तेज रिएक्टर

4572. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाइपर किस्म के रिएक्टरों का डिजाइन तैयार किया जायेगा तथा उनका निर्माण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). भारत में इस किस्म के रिएक्टरों का डिजाइन बनाने और उन्हें बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

'न्यूटरान' का प्रयोग

4573. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय न्यूटरान का किन उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है और आगे किन और उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): रिएक्टर में चेन रिएक्शन कायम रखने के लिये न्यूट्रान इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे रिसर्च रिएक्टरों में तैयार किए गए न्यूट्रान निम्नलिखित कामों में इस्तेमाल होते हैं :—

(क) रेडिएशन डेमेज परीक्षण

(ख) न्यूक्लीय तथा ठोस अवस्था भौतिकी में न्यूट्रान वीम रिसर्च

(ग) आइसोटोपों का उत्पादन

बाह्य न्यूट्रान स्रोतों की सहायता से मिट्टी की नमी नापी जाती है ।

भविष्य में, न्यूट्रानों के विखंडन की सहायता से परमाणु ऊर्जा द्वारा बिजली पैदा की जाएगी।

चलचित्रों पर मनोरंजन कर

4574. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को स्थानीय चलचित्रों पर मनोरंजन करों में दी जाने वाली कुछ छट के बारे में कोई निदेश दिये गिये हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न राज्यों में चलचित्रों पर मनोरंजन कर लगाने के बारे में असमान तथा भिन्न-भिन्न पद्धतियां तथा परिस्थितियां विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो एक समान पद्धति लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां ।

(ग) मनोरंजन कर में संगति लाने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार कर रही है । परन्तु इसके परिणामस्वरूप आय में जो हानि होगी उसके कारण आमतौर पर राज्य सरकारें इस प्रस्ताव को मानने में संकोच कर रही है ।

26 जनवरी, 1968 को हुई विमान दुर्घटना

4575. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1968 को सलामी उड़ान के पश्चात् एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार को दबाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं । परन्तु इस किस्म की एक दुर्घटना 29 जनवरी, 1968 को हुई थी, जबकि विमान जिसने फ्लाई पास्ट में भाग लिया था, अपने अड्डे को लौट रहा था ।

जैसा कि ऐसी दुर्घटनाओं में होता है, दुर्घटना में मारे गये पाईलाट के निकट कुटुम्बी को सूचित कर दिया गया था। दुर्घटना से संबंधित समाचार कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

छिपे नागाओं द्वारा सुरक्षा सेनाओं पर गोली चलाये जाने का समाचार

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"छिपे नागाओं द्वारा सुरक्षा सेवाओं पर हाल में गोली चलाये जाने, जिसके कारण उस क्षेत्र में काफी तनाव पैदा हो गया है, का समाचार ।"

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : 7 मार्च, 1968 को नागालैण्ड राज्य के कोहिमा जिले की सुरक्षा सेना को यह सूचना मिली कि हथियारों से लैस कोई 200 छिपे नागाओं का एक गिरोह कोहिमा के 40 मील दक्षिण पूर्व में थेतसेमा गांव में पड़ाव डाले हुए है। इससे पहले इसी गिरोह के चोवाया गांव में पड़ाव डालने की खबर मिली थी, यह गांव भी कोहिमा से कोई 40 मील की दूरी पर ही है। 9 मार्च 1968 को जब हमारी सुरक्षा सेना थेतसेमा गांव के निकट पहुंची तो छिपे नागाओं ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। विश्वास किया जाता है कि एक नागा इसमें मारा गया। सुरक्षा सेना के एक जवान को चोट आई। इन विद्रोही नागाओं ने अपना शिविर खाली कर दिया, जो कि उन्होंने गांव के स्कूल में डाल रखा था, और फौरन पीछे हट गए। स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जा रही है।

श्री चेंगलराया नायडू : कार्यवाही स्थगित किये जाने की आड़ में छिपे नागा लोग चीन तथा उनके एजेन्ट साम्यवादियों (मार्क्सवादी) से सम्बन्ध बनाये हुए हैं। छिपे नागा लोग इन लोगों की सहायता से देश में गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। क्या सरकार देश में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : किसी दल पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Raghubir Singh Shastri: We have a cease-fire agreement with the Underground Nagas since 1964 which has been further extended by three months. Uptill now the Nagas used to attack on civilians and indulged in subversive activities, but for the first time they attacked our armed forces. Not only this, a party of more than 500 Nagas headed by so called General Angani is going to China via Burma. This is something very serious that one of their officers is going to China. It is very difficult to say that underground Nagas are not going in this party. Our Chief Minister there, Dr. D. N. Angani stated in a statement made yesterday in this regard that he had come to a conclusion after having talks with the Nagas that no political agreement could be reached with them. They have even not made an official announcement about the cease-fire agreement concluded with them and its further extension. They have not nominated their representatives. Keeping in view these facts, what is Government's policy in this regard? On our side we are accommodating them for talks but without taking any interest in talks they are making preparations and exercising pressure on the Government. May I know whether Government are prepared to change their policy in this regard?

Shrimati Indira Gandhi: No doubt it is a very serious incidence. As the Hon. Member might know we took an immediate effective action. After the ceasefire agreement this is first incident of a serious nature. Other incidents took place in Manipur and not in Nagaland and we are taking effective steps to stop them.

So far the question of policy is concerned we are finding out ways and means to the situation created there. I have already stated several times that majority of the Nagas there, are faithful to the country. They want that unconstitutional and anti-national activities should be stopped and our policy is to strengthen their hands and also to make efforts to have the support of maximum number of Nagas. Our talks with Nagas are in progress and we are trying to create an atmosphere of peace in Nagaland and a feeling of peace

has developed there which should be sustained. But I may assure the House that we should be prepared to fight against subversive activities which may violate the cease-fire agreement.

श्री हेम बरुआ : आपको इस सभा में कहा गया है कि "युद्ध विराम" शब्द का प्रयोग न किया जाये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: मुझे खेद है । "कार्यवाही स्थगित करना" का प्रयोग ठीक है ।

Shri Raghubir Singh Shastri: Is it not a fact that a party of 500 Nagas headed by General Angani has gone to China via Burma and may I know whether the underground Nagas have officially made an announcement about the extension of the truce talks?

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मन्त्री ने छिपे नागाओं के बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

Shri Raghubir Singh Shastri: I want to know whether they have made an official announcement about the extension of truce period and whether they have nominated their delegates.

Shrimati Indira Gandhi: I could not understand which delegation the Hon. Member is referring. There is no delegation here at present.

Shri Raghubir Singh Shastri: I want to know whether they have nominated any delegation for having talks with us.

Shrimati Indira Gandhi: There is no question of talks at this stage from either side. It is true that I have used wrong word. In fact I wanted to say—"Suspension of Operation".

Shri Madhu Limaye (Monghyr): There has been a cease-fire agreement since last four years. The Hon. Prime Minister has just stated that we will continue peaceful negotiations with those who are in favour of it and will fight those who adopt the policy of hostility and secession. What action Government are taking in this regard? Several attacks have been launched in Manipur area. Recently our security forces were attacked in Nagaland area. I would also like to invite her attention to this report:

> "Confirmation is now available about the reported return of about 150 Naga rebels from Communist China with arms and training in guerilla warfare."

Out of 500 Nagas 300 Nagas have already reached China and 200 are reaching. Is this the way you are fighting out these hostile Nagas? What are you doing to stop such activities? Such a large number of Nagas are going to China and returning with arms and training. What are our security forces doing in this regard?

Shrimati Indira Gandhi: This matter has already been discussed in this House. In spite of our sealing the borders some groups crossed over our borders. We are doing our best to seal our border. It can only be done gradually. In spite of our best efforts it could not be done to our expectations.

So far Manipur is concerned, the situation is under control to a large extent.

Shri O. P. Tyagi (Moradabad): May I know whether Government are aware that the Government of China are trying to spread a slogan of Independent Assam in whole Assam? Are Government also aware of the fact that Nagas are going to China *via* Burma with the help of Nagas living in Burma and getting training there and they are also making full preparation in the name of truce talks? The hon. Prime Minister has just stated that majority of Nagas has become loyal to the Government. May I know whether Government propose to have some final settlement with the loyal Nagas in order to avoid any further danger from them?

Shrimati Indira Gandhi: No hasty step can be taken on such matter. We are having talks with Nagaland Government and necessary action will be taken according to the needs of the situation.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): May I know whether talks with Burma Government are also in progress?

Shrimati Indira Gandhi: Yes, Sir, we are having talks with them.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 4क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 576 की एक प्रति जो दिनांक 7 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये ।

(2) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 516/68]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

पंजाब की स्थिति पर चर्चा के बारे में

RE: DISCUSSION ON SITUATION IN PUNJAB

अध्यक्ष महोदय: पंजाब की स्थिति के बारे में मुझे बड़ी संख्या में ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य स्थिति के बारे में अवगत होना चाहते हैं । पंजाब की स्थिति के बारे में मुझे बड़ी संख्या में स्थगन प्रस्ताव भी मिले हैं ।

श्री कृष्ण मूर्ति (कड्लूर) : पांडिचेरी के बारे में भी ।

अध्यक्ष महोदय: पांडिचेरी के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है । फिर भी हमें इस मामले में इतनी शीघ्रता नहीं होनी चाहिए । वहां कोई सरकार बन जाने दीजिए फिर देखा जायेगा ।

पंजाब के मामले में सभी दलों के सदस्यों में उत्सुकता है और वे इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या पंजाब के अध्यक्ष आप से मिले हैं ?

अध्यक्ष महोदय: कभी नहीं मिले हैं ।

कुछ और जानकारी प्राप्त हो जाने दीजिए । कुछ और जानकारी प्राप्त होने के बाद ही मैं इस बारे में निर्णय करूंगा ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : हम आपको अपेक्षित जानकारी दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: यह मैं जानता हूं कि यह जानकारी एक तरफा नहीं होनी चाहिए । मैं चाहता हूं कि सरकार से मुझे कुछ जानकारी मिल जाये क्योंकि इस मामले में सरकार ने ही कार्यवाही करनी है । माननीय सदस्य बाद में जानकारी दे सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: मैं समझता हूं कि विरोधी सदस्यों तथा सरकार के पास अब तक जितनी जानकारी है उसी के आधार पर इसकी चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय: इस मामले पर एक बार चर्चा हो चुकी है । मैं इस पर फिर चर्चा के विरुद्ध नहीं हूं । यह एक गम्भीर मामला है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की अनुमति देने से मुझे तथ्यों की पूरी जानकारी हो ।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे पूरी जानकारी दे और विरोधी दल के सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि वे इस बारे में सही जानकारी दें और तब यदि आवश्यक हो, तो हम इस पर चर्चा करेंगे ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पिछली बार इस पर चर्चा के दौरान हमें बताया गया था कि केवल इसके सांवैधानिक पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है । उस समय हमने इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा नहीं की थी । यदि हमने उस समय सभी पहलुओं पर चर्चा की होती तो कदाचित यह स्थिति पैदा नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सही जानकारी चाहता हूं। उसके बाद ही यह निर्णय किया जा सकता है कि इस पर कब चर्चा की जा सकती है।

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में

RE: ARREST OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य मामले के बारे में भी मुझे सरकार की जानकारी चाहिए। दिल्ली में इस सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है और सायंकाल के समय उन्हें छोड़ दिया जाता है। जो सदस्य गिरफ्तार किये गये थे, वे इस समय यहां सभा में बैठे हुए हैं। इसलिए मेर समझ में यह नहीं आता कि क्या करना चाहिए। कल मैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में सभा को बताना चाहता था किन्तु मुझे वे सदस्य यहां बैठे दिखाई दिये। मुझे प्रसन्नता है कि वे हमारे साथ यहां बैठे हैं।

मुझे बताया गया है कि ब्रिटिश उच्चायोग उनसे मिलने के लिए तैयार था। मैं नहीं जानता हूं कि उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया गया। यदि सरकार मुझे अथवा इस सभा को इस बारे में कोई जानकारी दे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री म० ल० सोंधी (नई दिल्ली) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सदा धारा 144 लागू रहती है। अतः मैं सभा कहां आयोजित करूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे ज्ञात है कि आपको भी एक दिन गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन मामलों के बारे में सरकार से जानकारी मांगी है।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया (नन्द्याल) : क्या आपके कथन से हम यह समझें कि सरकार पंजाब की स्थिति के बारे में वक्तव्य देगी और तब इस विषय पर चर्चा होगी अथवा सरकार आपको जानकारी देगी और तब आप इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में निर्णय करेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह बैठ जायें।

श्री रामावतार शास्त्री: * *

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य बैठ जायें। मेरे कहने के बावजूद भी यदि माननीय सदस्य नहीं बैठते हैं और बोलते ही चले जायेंगे तो उनका भाषण सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ?

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

अड़तीसवां प्रतिवदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्था एर्णाकुलम के बारे में प्राक्कलन समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

** सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not Recorded.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON REORGANISATION OF HINDUSTAN STEEL LIMITED

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : एक साल पूर्व, जब से मैंने यह पद संभाला है, मैं इस बात पर सतत् और गम्भीरतापूर्वक विचार करता रहा हूं कि क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था इसकी उत्पादक इकाइयां की प्रबन्ध आवश्यकता के मुताबिक समुचित, कार्य कुशल और प्रभावशाली है अथवा नहीं। सौभाग्य से मेरे मार्ग-दर्शन के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रम समिति की 28वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश उपलब्ध थीं। अप्रैल, 1967 में पाण्डे समिति ने, जो दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्यक्रम की जांच कर रही थी, अपनी रिपोर्ट दे दी। इस रिपोर्ट में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेट की उच्च-स्तरीय प्रबन्ध व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करने सम्बन्धी कई मूल्यवान सुझाव दिये गये थे। अक्तूबर, 1967 में, प्रशासनिक-सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में कई मूल्यवान सुझाव दिये गये थे जिनका सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग की व्यवस्था से सीधा सम्बन्ध था। उसी महीने मुझे ब्रिटेन जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ जहां मैंने ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन द्वारा ब्रिटेन के राष्ट्रीयकृत इस्पात उद्योग के लिये प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रयत्नों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों की भावी प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में अपने सुझाव देने में मैंने इन सभी अनुभवों, सिफारिशों और परामर्शों से पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश की है। जिस प्रबंध व्यवस्था की आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसके निर्धारण में मुझे मंत्रि-परिषद् के अपने सम्बन्धित साथियों से सतत् सहयोग और परामर्श का लाभ मिला हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था 1962–63 से चली आ रही है। उस समय तत्कालीन प्रबन्ध व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किये गये थे जिनसे कारखाने के महा प्रबन्धकों को परिचालन सम्बन्धी पर्याप्त अधिकार दिये गये थे। संचालक-मंडल को केवल नीति-निर्धारण का काम दिया गया था और इसमें अध्यक्ष ही केवल एक पूर्ण-काल संचालक था। प्रधान कार्यालय के पास जो मुख्य-मुख्य काम रह गये थे वे थे बिक्री, डिजाइन और इंजीनियरी सम्बन्धी काम तथा स्नातक इंजीनियरों और जूनियर अफसरों की आरम्भिक भर्ती का प्रबन्ध।

ये प्रबन्ध उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए किये गये थे ; उस समय प्रथमतः सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि उत्पादन अधिक से अधिक किया जाय जिससे देश की इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति यथा संभव देशीय उत्पादन से हो सके और आयात कम से कम किया जाय ताकि देश के अन्य विकास कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा बच सके और दूसरी आवश्यकता इस बात की थी कि कारखानों का उत्पादन निर्धारित क्षमता पर लाया जाय और उस स्तर पर बना रखा जाय। उस समय देश में इस्पात की मांग इतनी थी जिसमें हमारे कारखानों का सारा उत्पादन खप सकता था। उत्पादन में बाधा मुख्यतः तकनीकी और संगठनात्मक कारणों से थी। 1962–63 में किये गये परिवर्तनों का उद्देश्य अधिक उत्पादन में बाधक संगठनात्मक त्रुटियों को दूर करना था। इन उपायों से काफी सफलता मिली है।

तब से लेकर परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और अब हम नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नये कदम उठाने जा रहे हैं। 1963 में भी तत्कालीन इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का यह विचार था कि रोज़मर्रा के कामों में कारखाने के प्रबन्धक स्तर पर काफी हद तक स्वाधीनता दे दी जाय और निगम-निकाय के प्रधान कार्यालय को नीति सम्बन्धी प्रमुख काम और कर्मचारी वर्ग की सेवाओं की शर्तों जैसे महत्वपूर्ण काम सौंपे जायें जो प्रधानतः परामर्श देने सम्बन्धी हों। परिवर्तित परिस्थितियों में इन कार्यों का महत्व बढ़ गया है और यह आवश्यक हो गया है कि संचालक मंडल को इन कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए अधिक अधिकार दिये जायें। वर्तमान स्थिति यह है कि इस समय कई प्रकार के इस्पात का उत्पादन और इसकी सप्लाई देश की आवश्यकताओं से अधिक है। हमारे कारखानों के सारे उत्पादन की मार्केट में खपत नहीं हो रही है। एक ओर इस बात की आवश्यकता है कि देश और विदेश में माल को बेचने में व्यवहार कुशलता हो और दूसरी ओर उत्पादन मांग के मुताबिक हो। इस बात की भी इतनी ही आवश्यकता है कि लागत के बारे में सतर्क रहा जाये और मितव्ययिता की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पहले हमारे प्रयत्न उत्पादन और उसकी मात्रा बढ़ाने की ओर थे और अब ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है ओर हैं कि उत्पादन उपभोक्ताओं की मांग के मुताबिक किया जाये जिससे कारखानों को लाभ हो सके।

बदली हुई स्थिति में अनिवार्य आवश्यकता इस बात की है कि बिक्री को बढ़ाया जाय, उत्पादन की सावधानीपूर्वक और सम्बद्ध रूप में योजना बनाई जाय जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके, लागत खर्च पर व्यवस्थित नियंत्रण हो, उत्पादन का आयोजन इस ढंग से किया जाय कि उत्पादन-सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, सामान की सूचियां सावधानीपूर्वक बनायी जायं, संधारण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय जिससे संयंत्र और उपकरण लम्बे समय तक काम दे सकें। ये ऐसे काम हैं जिनमें निगम-निकाय के प्रधान कार्यालय को ठीक फैसला करने, पहल करने और दक्षता दिखाने तथा महा प्रबन्धकों को समुचित स्टाफ देने की आवश्यकता है। स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल विक्रेता-मात्र होने के बदले अब ग्राहकों की आवश्यकता को देखते हुए उत्पादन करना है इसलिए मुख्यालय की बिक्री का केन्द्रीय कार्यालय होने के नाते, कारखानों को उत्पादन सम्बन्धी आयोजन, उनके मार्ग-दर्शन और उनको सलाह देने में महत्वपूर्ण रोल अदा करने में है।

वर्तमान संचालक मण्डल परिवर्तित परिस्थितियों के लिए अपेक्षित आयोजन, नियंत्रण और मार्ग-दर्शन सम्बन्धी कार्यों को भली प्रकार नहीं कर पा रहा है। अतः प्रस्तावित परिवर्तन में संचालक मंडल में कुछ और पूर्ण-काल संचालक नियुक्त करके प्रधान कार्यालय को अधिक सशक्त करने का विचार है। अध्यक्ष पूर्ण-काल कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। उन्हें समन्वय और सर्वतोमुखी आयोजन तथा पालिसी को क्रियान्वित करने में सहायता करने के लिए दो उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और संचालक मंडल को विशिष्ट कार्यात्मक सहायता देने के लिए संचालक मंडल में तीन पूर्णकार कार्यात्मक संधारण होंगे। जबकि उनका कार्यभार सौंपने का काम अध्यक्ष के हाथ में होगा, ऐसा विचार है कि वे विशेष रूप से तीन विशिष्ट क्षेत्रों में काम करेंगे अर्थात् कर्मचारी-वर्ग प्रबन्ध जिसमें औद्योगिक सम्बन्ध भी शामिल हैं, व्यापारिक गतिविधियां और वित्तीय मामले जिनके बारे में संचालक मण्डल को काम में अधिक

[डा० चन्ना रेड्डी]

ध्यान देने की आवश्यकता है । कर्मचारीवर्ग के प्रबन्ध के क्षेत्र में इस प्रकार काम करने की आवश्यकता है जिससे प्रबन्धकीय योग्यता का क्रमबद्ध विकास हो सके और निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने उच्च स्तर और उच्चतम स्तर के प्रबन्धकों के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें । इसके अलावा एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है जिससे उच्च कोटि के तकनीकी विशेषज्ञ, जो थोड़ी संख्या में हैं, हिन्दुस्तान स्टील के कारखानों को समान रूप से उपलब्ध हो सकें । इस योजना का आधारभूत सिद्धान्त यह होगा कि उच्चस्तर के अधिकारियों की पदोन्नति पूरी कम्पनी को ध्यान में रखते हुए की जाय जैसा कि सरकारी उपक्रम समिति और पाण्डे समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में उन में लगे संयंत्रों की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति करने के उद्देश्य से पहला कदम यह होगा कि जैसा कि हाल में बोकारो इस्पात कारखाने के लिए किया गया है, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक वर्ग विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अध्ययन करें । वाणिज्यिक संचालक को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्तमान विक्रय संगठन का जिसमें बिक्री को बढ़ाने में विशेषकर विदेशों में बिक्री को बढ़ाने में, प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन जिसे देश और विदेश में मार्केट की वर्तमान दशा का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता है, व्यापक अध्ययन करना होगा ।

इन पूर्ण-काल संचालकों के अतिरिक्त दो अंश-काल सरकारी प्रतिनिधि होंगे तथा अधिक से अधिक तीन अंश-काल संचालक होंगे जो उद्योग, वाणिज्य अथवा आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों से लिए जाएंगे ।

संचालक मण्डल में, एक और परिवर्तन करने का मेरा विचार है और वह है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के तीन इस्पात कारखानों के महाप्रबन्धकों को पुनः संचालक मण्डल का सदस्य बनाना। 1962 63 में किये गये पुनर्गठन के समय महाप्रबन्धकों को संचालक मण्डल से हटा दिया गया था । बाद के अनुभव से यह ज्ञात हुआ कि महाप्रबन्धकों के द्वारा अर्जित व्यावसायिक ज्ञान के अभाव में, जो उन्हें कारखानों के संचालन से प्राप्त होता है संचालक मण्डल को नीतियों के निर्धारण में कठिनाई का सामना करना पड़ता था । महाप्रबन्धकों को संचालक मण्डल में फिर ले लेने से यह कठिनाई दूर हो जायेगी ।

वर्तमान व्यवस्था के कार्यकरण से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर संचालक मण्डल और महाप्रबन्धकों के अधिकारों के विभाजन में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है । वस्तुतः में सरकारी उपक्रम समिति और पाण्डे समिति आदि ने भी यह वांछनीय समझा है कि हरेक इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की संख्या के निर्धारण, मध्यम और उच्चतर के प्रबन्धक-वर्ग की पदोन्नति को पूर्ण कम्पनी के आधार पर करने, और खास प्रकार के कच्चे माल आदि के थोक क्रय के केन्द्रीयकरण में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है । मेरा इरादा है कि मैं आवश्यक अधिकार विभाजन का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष के परामर्श से सम्पन्न करूं कराऊं । मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि नई प्रबन्ध व्यवस्था में महाप्रबन्धकों को वे सभी अधिकार दिये जाएंगे जो संचालक मंण्डल द्वारा निर्धारित लक्ष्य और बजट के अन्दर कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए आवश्यक होंगे ।

एक अन्य परिवर्तन कारखानों के लिए सलाहकार बोर्ड के गठन के बारे में है । बहुत से ऐसे मामले हैं जैसे विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना, कारखाने के लिए प्राप्त की गई भूमि का इस्तेमाल करना, सहायक उद्योगों का विकास करना आदि, आदि, जिनका स्थानीय महत्व है और जिन में महाप्रबन्धक सलाहकार बोर्ड के परामर्श से लाभ उठा सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा तीन सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का विचार है, एक भिलाई के लिए, एक राउरकेला के लिए और एक दुर्गापुर क्षेत्र के लिए जिसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना और मिश्र-इस्पात कारखाना शामिल होंगे । यद्यपि इन सलाहकार बोर्डों का गठन और इनमें सदस्यों की नियुक्ति का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष की सलाह से किया जायेगा तथापि मेरा विचार है कि प्रत्येक सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष इस्पात कारखाने का महाप्रबन्धक बनाया जाय और इसमें संबद्ध राज्य सरकार के तथा कारखाने के कर्मचारियों के प्रतिनिधि रखे जायें तथा दो अथवा तीन गैर-सरकारी प्रतिनिधि हों जिन्हें उद्योग और वाणिज्य आदि का अनुभव हो ।

मैंने तथा मंत्रिपरिषद में मेरे साथियों ने इस बात पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि क्या बोकारो इस्पात कारखाने का प्रबन्ध अलग ही रखा जाये अथवा उसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दूसरे कारखानों के साथ एक ही प्रबन्ध में शामिल कर दिया जाये । एक तरफ बोकारो के बड़े आकार और उसकी अंतर्निहित क्षमता की व्यवस्था के कारण निर्माण संबंधी वृहत समस्याओं को देखते हुए, जिनके लिए अगामी कुछ वर्षों तक उच्चतम स्तर पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होगी और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उच्च स्तर के प्रबन्धक वर्ग पर अपने कारखानों के कुशल संचालन का गुरु भार होगा—इसे देखते हुए हमारा विश्वास है कि बोकारो इस्पात कारखाने के उत्पादन आरम्भ कर देने के बाद और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही उसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ मिलाने में फायदा होगा ।

देश की अर्थ व्यवस्था के जिस महत्वपूर्ण अंक का कार्यभार मुझे सौंपा गया है उसके प्रबन्ध और संगठन की समस्याओं का हल ढूंढने में माननीय सदस्यों द्वारा उन बड़े राष्ट्रीय उपक्रमों में प्रदर्शित उत्कट अभिरुचि से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है । इस सदन ने सरकारी क्षेत्र के हमारे इस्पात कारखानों के उच्चस्तरीय प्रबन्धकों की नियुक्ति के विषय में जो दिलचस्पी दिखाई है वह इस बात का सबूत है कि माननीय सदस्य लोकहित में इन महत्वपूर्ण मामलों के प्रति कितने जागरूक हैं । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के घाटे पर भी माननीय सदस्यों ने बड़ी चिंता व्यक्त की है और मैं शीघ्र ही सभा पटल पर एक विवरण रखूंगा जो एक घंटे की बहस की भूमिका के रूप में होगा । इन सब में निहित सद्भावना ने मुझे इन उच्च पदों के उपयुक्त योग्य व्यक्तियों की तलाश करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की है । मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष होता है कि हमें इस गहन छानबीन से सफलता मिली है । श्री आर० पी० सिन्हा जो इंजीनियरिंग और डिजाइन ब्यूरो के प्रधान हैं, शीघ्र ही राउरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक का कार्यभार संभालेंगे और मेजर जनरल बी० पी० बढेरा, जो इस समय मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पूना के कमाण्डेण्ट हैं, इस मास की समाप्ति से पहले ही दुर्गापुर में प्रबन्ध-निदेश के पद का कार्यभार संभालेंगे । भिलाई के लिए भी एक नया महाप्रबन्धक चुन लिया गया है और ऐसी आशा है कि वे शीघ्र ही कार्यभार संभाल लेंगे । प्रधान कार्यालय में एक उपाध्यक्ष पहले से ही कार्य कर रहे हैं और अध्यक्ष के पद का भार संभाले हुए हैं । आशा है कि इन व्यवस्थाओं के द्वारा तीनों इस्पात कारखानों और कम्पनी के प्रधान कार्यालय का काम सुचारू रूप से चलने लगेगा । मैं यह भी आशा करता हूं कि प्रबन्ध

[डा० चन्ना रेड्डी]

को सुव्यवस्थित और सशक्त करने सम्बधी उपर्युक्त दूसरी बातों को भी थोड़े समय में क्रियान्वित कर सकूंगा। मुझे आशा है कि हम नये अध्यक्ष की नियुक्ति भी शीघ्र ही कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि पुनर्गठित रूप में नया प्रबन्धक वर्ग प्रशासन में नई स्फूर्ति लाने और नई परिस्थितियों का मुकाबला करने में समर्थ होगा।

यलविगी स्टेशन पर रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON RAILWAY ACCIDENT AT YALVIGI STATION

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मुझे अत्यन्त खेद के साथ सभा को सूचित करना पड़ रहा है ..... (अन्तर्बाधाएं)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य व्यर्थ में बोलते जा रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं सुनना चाहता हूं।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया): श्री रामावतार शास्त्री जी को नाम लेकर सदन छोड़ने के लिए कह दिया जाना चाहिए।

डा० चे० मु० पुनाचा : महोदय, मुझे अत्यन्त खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि पिछली रात लगभग 22.35 बजे जब गाड़ी नं० 208 डाउन पूना-बेंगलूरु दक्षिण एक्स-प्रेस दक्षिण रेलवे मे मैसूर मंडल के हरिहर-हुबली मीटर लाइन खंड पर यलविगी स्टेशन की प्लेटफार्म लाइन में दाखिल हुई, तो वह 215 अप शिमोगा-हुबली सवारी गाड़ी जो उस लाइन पर उससे पहले 21.55 बजे ली गयी थी, से आमने-सामने टकरा गई।

इस टक्कर के कारण दोनों गाड़ियों के इंजन एक दूसरे मे फंस गये और दोनों इंजनों के साथ के सवारी डिब्बे चकनाचूर हो गये। अब तक मिली सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में 36 व्यक्ति मारे गये और 34 व्यक्ति घायल हो गये। इन में से 11 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें पहुंचने का सन्देह है। एक घायल व्यक्ति चोटों के कारण मर गया और इस तरह मारे गये कुल व्यक्तियों की कुल संख्या 37 हो गयी।

सूचना मिलने के तुरन्त बाद चिकित्सा यान के साथ एक सहयक चिकित्सा अधिकारी हरिहर से रवाना कर दिया गया। मंडल चिकित्सा अधिकारी और मंडल परिचालन अधीक्षक के साथ चिकित्सा सहायता स्पेशल गाड़ी भी अरसीकेरे से 23.25 बजे रवाना की गयी। मैसूर के मंडल अधीक्षक और मंडल इंजीनियर भी बेंगलूरु से चिकित्सा सहायता विशेष गाड़ी द्वारा दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये। हुबली के मंडल अधीक्षक भी मण्डल चिकित्सा अधिकारी और मण्डल परिचालन अधीक्षक को साथ लेकर 23.20 बजे हुबली से चिकित्सा सहायता स्पेशल गाड़ी द्वारा रवाना होकर 000.55 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये। इस बीच 3 डाक्टरों ने जो नं० 208 डाउन गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, घायलों की मरहम-पट्टी की।

** सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not Recorded.

दक्षिण रेलवे के महा प्रबन्धक विभाग-प्रमुखों के साथ हवाई जहाज से दुर्घटना स्थल के लिये रवाना हो गये हैं। रेलवे राज्य मंत्री भी रेलवे बोर्ड के यांत्रिक सदस्य और निदेशक (संरक्षा और सवारी डिब्बा) के साथ दिल्ली से हवाई जहाज द्वारा दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये हैं।

घायलों और मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में रकम देने की व्यवस्था की जा रही है।

कई माननीय सदस्य उठे

Shri Rabi Ray (Puri): How the Railway Ministry is functioning. Everyday people are killed by railway accidents.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि हम सब इस भीषण दुर्घटना पर शोक प्रकट करें और दुखी परिवारों को अपनी संवेदना भेजें।

अध्यक्ष महोदय: हम सब को इस पर खेद है। इस दुर्घटना में उन 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, इसलिये मैं जानता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य को इस बारे में शोक है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मंत्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

Shri Rabi Ray: The Minister should resign. You make him to sign.

अध्यक्ष महोदय: मैं उनसे त्यागपत्र नहीं दिला सकता हूं। ऐसा करना मेरे हाथ में नहीं है। उनसे त्यागपत्र दिलवाने के और तरीके हैं। अभी पन्द्रह मिनट बाद में रेलवे बजट आने वाला है। माननीय सदस्य उन्हें त्यागपत्र दिलाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। मुझे इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी। हम में मतभेद हो सकता है किन्तु निस्संदेह इस दुखद समाचार से सभी दलों के सदस्यों को खेद है। रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार व्यक्त किये जा सकते हैं।

Shri Rabi Ray: A judicial inquiry should be conducted.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): उसकी न्यायिक जांच करायी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप इसकी मांग भी कर सकते हैं। किन्तु इस समय मैं इस पर बोलने की किसी को अनुमति नहीं दे सकता हूं। बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

प्राक्कलन समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF ESTIMATES COMMITTEE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (2) का प्राक्कलन समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I oppose this motion because the hon. Minister has moved it without getting any reason for it.

Dr. Ram Subhag Singh: I had consulted your party.

Shri Madhu Limaye: I was not consulted.

Dr. Ram Subhag Singh: The hon. Member was not present here but his party was consulted.

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था कि सभी इससे सहमत हैं । उन्होंने अब स्थिति स्पष्ट की है ।

डा० राम सुभग सिंह : पिछले वर्ष लोक सभा को मार्च में निलम्बित किया गया था और अन्तराल सत्र नहीं बुलाया जा सका । ये तीन समितियां बनाई गई थीं और उनका कार्यकाल अब 31 मार्च तक है, यद्यपि पहले यह कार्यकाल 30 अप्रैल तक होता था । इसलिये यह प्रस्ताव विभिन्न दलों तथा ग्रुपों के प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रस्तुत किया गया है ।

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister should have given some reasons while moving this motion.

अध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

डा० राम सुभग सिंह : राज्य सभा के कुछ सदस्य 2 अप्रैल को सेवा निवृत्त हो रहे हैं । नव निर्वाचित सदस्य इन समितियों के निर्वाचनों में भाग नहीं ले सकेंगे । इसलिये उनकी यही राय थी कि इनके कार्यकाल की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

> "कि यह सभा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (2) का प्राक्कलन समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा प्राक्कलन समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि को 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा प्राक्कलन समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि को 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

लोक-लेखा समिति के सदस्यों की पदावधि के बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (2) का लोक लेखा समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (2) का लोक लेखा समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक लेखा समिति में लोक-सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि को 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक लेखा समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि लोक लेखा समिति में लोक-सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ा दी गई हैं और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सहयोजित करने के विषय म ऐसी कार्यवाही करे जैसी वह उचित समझे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि लोक लेखा समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ा दी गई है और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सहयोजित करने के विषय में ऐसी कार्यवाही करे जैसी वह उचित समझे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (2) का सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (2) का सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में लोक-सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि सरकार उपक्रमों सम्बन्धी समिति में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ा दी गयी है और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सहयोजित करने के विषय में ऐसी कार्यवाही करे जैसी वह उचित समझे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह-सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि सरकार उपक्रमों सम्बन्धी समिति में लोक-सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ा दी गई है और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त समिति के साथ राज्य सभा

के सदस्यों को सहयोजित करने के विषय मे ऐसी कार्यवाही करे जैसी वह उचित समझे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): Sir, I rise on a point of order. The House has approved the extension of terms of office of the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings. These two Committees also consists of Members of Rajya Sabha and one third Members of Rajya Sabha are to be retired on 31st March, 1968. Some of these retiring Members may also be the Members of these Committees. What will Rajya Sabha do in such cases?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि राज्य सभा के कुछ सदस्य सेवा निवृत्त हो रहे हैं, इसलिए हमने एक महीने तक स्थगित किया है । राज्य सभा कोई निर्णय कर सकती है । मैं राज्य सभा की ओर से उत्तर कैसे दे सकता हूं । हम राज्य सभा को सूचित कर रहे हैं, वह जो उचित समझेगी निर्णय करेगी ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में

RE : ARREST OF MEMBERS

श्री स० कुण्डू : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 229 के अन्तर्गत मेरी गिरफ्तारी और रिहाई का प्रश्न नहीं है । आज प्रातःकाल संसदीय पत्रों में मैंने पढ़ा कि इस कार्यालय को सूचना दी गई थी कि मुझे साढ़े ग्यारह बजे गिरफ्तार किया गया था ।

श्री समर गुह ने लगभग ढाई बजे मेरी गिरफ्तारी का उल्लेख किया था । नियम 229 के अनुसार किसी सदस्य की गिरफ्तारी के तुरन्त बाद इस सभा को सूचित किया जाना चाहिए । मुझे साढ़े ग्यारह बजे गिरफ्तार किया गया था और लोक सभा को तीन बजे तक सूचित नहीं किया गया जब कि यह 10 मिनट में हो सकता था । अत : मेरा अनुरोध है कि इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि त्रुटि कहाँ पर हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है । आपके अनुसार आपको साढ़े ग्यारह बजे गिरफ्तार किया गया था और इस सभा को तीन बजे सूचना मिली । श्री समर गुह ने बात उठाई थी । वह सूचना मेरे सामने थी । किसी माननीय सदस्य के भाषण के दौरान मैंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा इसलिए मैं उस समय चुप रहा । भाषण पूरा हो जाने पर मैंने इस की घोषणा करना उचित समझा । इस मामले का मैं पता करूंगा कि क्या मजिस्ट्रेट ने सूचना तुरन्त दी थी अथवा नहीं । गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारियों को सभी अपेक्षित कार्यवाही पूरी करनी थी । अत: मैं समझता हूं कि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

जम्मू-काश्मीर लोक-प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक

JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय : बख्शी गुलाम मुहम्मद अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Gulam Mohammed Bakshi (Srinagar): Sir, when the jurisdiction of the Election Commission has been extended to Jammu and Kashmir, I would request you to do so in its entirety.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

If you want the consent of the State for which that also can be obtained. By bringing piece-meal measures as you have done now, this problem is not going to be solved.

The news that army personnel influenced the elections in Kashmir is not correct. They were defending the borders and such rumours are baseless.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : महोदय श्री लिमये ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 327 का इस से सम्बन्ध है । परन्तु यह गलत है। यहाँ तो अनुच्छेद सख्या 138 का सबंध है। श्री लिमये ने सरकार के विरुद्ध कुछ आरोप भी लगाये हैं ।

काश्मीर के मुख्य मत्री राज्य को भारत से पूरी तरह विलय करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री लिमये ने कहा कि वहां मुकदमों में देरी होती है । इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सामने मामला आ रहा है और वह इस पर अपना निर्णय देगी ।

किसी को भी उस राज्य में लोक तन्त्र को ठेस नहीं पहुचानी चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): Sir, the problem of Jammu and Kashmir stands on a different footing. Sardar Patel solved the problem of states in a tactful manner.

The question of referendum was initiated by late Shri Jawaharlal Nehru.

We can help the people of Kashmir only by winning their hearts.

We should all try to solve the problem in a cool minded manner.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi): Sir, Bakshiji stated something about elections. Our elections system has been praised all over the world and we should not create any misunderstanding about it.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : महोदय श्री मधु लिमये ने सरकार पर आरोप ठीक ही लगाया है कि सरकार यह संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है । मैं जताना चाहता हूं कि सरकार यह खतरा मोल न ले ।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur): Sir, the way in which elections have been conducted in India has won praise for it from all parts of the world. But I would suggest that the present one is a piecemeal legislation. I am not in favour of piecemeal legislation. I want it to be implemented in its entirety.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): Sir, I want the representation of the People Act to be extended to Jammu and Kashmir.

The present legislation is defective and will fail before the Supreme Court.

The rights of Indian Parliament have been delegated to the State Assembly. This is not proper.

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : Sir, certain elements are such in India which want that democracy should be thrown to winds. I was surprised to listen to the speech of Hon. Madhu Limaye.

The scope of this Bill is very limited. The amendment to the Representation of the People Act has been made by the legislation of Jammu and Kashmir and now after its passage for this House is Bill extend the scope of the Supreme Court of India.

The judiciary in this country should be strengthened. Most of the speeches made on this Bill were quite irrelevant.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया गया।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

(लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock.)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1968-69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1967-68—जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1968-69 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR (RAILWAYS) 1967-68—contd.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री क० ना० तिवारी बोलेंगे। परन्तु उनका समय केवल एक मिनट ही है।

Shri K N. Tiwary (Bettiah): Sir, I would request the Hon. Minister to Kindly get a judicial enquiry conducted about the state of railway accidents.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, the new accident about which the Hon. Minister reported has caused concern here. He has not indicated as to who is responsible for it.

The accidents take place because the people concerned do not perform their duty honestly.

Even the Kunzru Committee did not invite the Station Masters and Assistant Station Masters to tell the Committee as to why the accidents take place.

The Hon. Minister should agree to the holding of judicial enquiry.

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : महोदय जब भी रेलवे मंत्री अपना बजट पेश करते हैं अथवा बजट पास होता है तो उस दिन रेल दुर्घटना होती है।

दो खड़ी रेलगाड़ियों में टक्कर होना एसा कार्य है कि इसे क्षमा नहीं किया जा सकता।

अब इन दुर्घटनाओं के कारण जनता में बेचैनी फैल रही है। रेलवे प्रशासन को चिन्ता ही नहीं है कि इतनी दुर्घटनायें क्यों होती हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई है। ऊपर से नीचे तक रेलवे प्रशासन में गन्दगी तथा अकार्य कुशलता फैली हुई है।

मेरा सुझाव है कि एक उच्च स्तरीय समिति इसकी जाँच करे।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : रेलवे मंत्री तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेल दुर्घटनायें न हों। परन्तु कोई मानव की गलतियों के कारण यह दुर्घटनायें होती हैं।

मैं अपील करता हूं कि इसकी जाँच एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाये।

श्री जि० मो० विश्वास (बाँकुरा) : मेरे विचार में रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेलवे के अधिकारियों ने जाँच समितियों को गलत तथ्य दिये। इस कारण एक उच्च सत्ता प्राप्त समिति नियुक्त की जाये जिसमें संसद के सदस्य भी हों और वह इसकी जाँच करे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इसके बारे में एक अदालती जाँच हो जिसमें गैर-सरकारी लोग तथा संसद सदस्य भी होने चाहियें क्योंकि इस दुर्घटना में 36 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है।

श्री के० सूर्यनारायण (एल्लुरन) : मुझे अचम्भा हुआ कि सदस्य महोदय मंत्री जी को ही इसके लिये दोषी ठहरा रहे हैं। जब भी कोई जाँच होती है तो जाँच समिति के सदस्य कर्मचारियों का समर्थन करने लगते हैं।

एक न्यायिक जाँच इसकी होनी चाहिये।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने डा० कुन्जरन की अध्यक्षता में एक रेल जाँच समिति नियुक्त की थी परन्तु शायद इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। उन सिफारिशों पर पुनः विचार होना चाहिये और कार्यान्वित करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गत छः महीनों में यह तीसरी अथवा चौथी बड़ी दुर्घटना है। राष्ट्र के हित में तथा विशेष रूप से रेलवे के हित में मेरा यह दुखद् कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं श्री पुनाचा से त्यागपत्र देने के लिये कहूं। मैं श्री बाजपेयी तथा अन्य सदस्यों की इस माँग का समर्थन करता हूं कि इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच की जानी चाहिए। जापानी विशेषज्ञ दल ने कहा था कि हमारी लाइनें तथा कास्ट आयरन के स्लीपर इतने पुराने हैं कि उन्हें भगवान में विश्वास हो गया है क्योंकि वे भारत आकर हमारी रेलों में यात्रा करने के बाद भी वे जीवित हैं ; मेरी माँग है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी कार्यकारी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जाँच कराई जानी चाहिए और मंत्री महोदय के त्यागपत्र से पहले रेलवे बोर्ड के प्रधान को भी त्यागपत्र देना चाहिए।

श्री तिरुमलराव (काकिनाडा) : इस मामले में रेलवे मंत्री का त्यागपत्र माँगना एक असंगत बात है। स्वर्गीय आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक दुर्घटना के लिये व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी मानकर त्यागपत्र दिया था। यह एक भिन्न मामला है। इससे दुर्घटनाओं के होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही इससे श्रमिकों की सेवा की शर्तों में सुधार हुआ। इस दुर्घटना की विस्तृत जाँच की जानी चाहिए और सरकार श्रमिकों की कार्य दशा और सेवा की शर्तों तथा दुर्घटना आदि के कारणों की जाँच करे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Mr. Deputy Speaker, this is perhaps the fourth railway accident. It indicates that the inefficiency, criminal negligence and carelessness on the railways is on the increase every day. I fully support the demand made by Shri Vajpayee for a judicial enquiry and responsibility in the matter should be fixed. The terms of reference should include the measures to avoid such accidents. I feel that inefficiency in the Railways is responsible for the deficit financing. The administration should be tightened and loop-holes should be plugged.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं पहले ही निश्चय कर चुका हूं कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच होगी और उनकी सहायता के लिये दो अन्य व्यक्ति होंगे। एक तकनीकी तथा एक सार्वजनिक नेता। न्यायाधीश के नाम के बारे में विधि मंत्री से परामर्श करने के बाद अध्यादेश जारी किया जायेगा।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : न्यायिक जाँच के मंत्री महोदय के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उसके विचारार्थ विषय क्या होंगे। उनमें लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं का दायित्व तथा मृत व्यक्तियों के संबंधियों को तथा आहत व्यक्तियों को मुआवजे की राशि विषय भी शामिल होने चाहिएं। देश के हित में विचारार्थ विषय बताये जाने चाहिएं।

श्री प्र० सि० सहगल (बिलासपुर) : मेरा अनुरोध है कि इस न्यायिक जाँच में एक संसद् सदस्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जैसा कि खान दुर्घटनाओं के मामलों में किया जाता है और साथ ही एक तकनीकी व्यक्ति भी होना चाहिए।

Shri Gunanand Thakur (Satarsa): Mr. Deputy Speaker, in the recent past there have been railway accidents at a number of places such as Lakshisarai, Barauni. I feel that a policy decision should be taken that judicial inquiry will be conducted into all the railway accidents. The Hon. Minister should also look into the mystery behind the accidents in various public undertakings. I will like the Hon. Railway Minister to follow the healthy convention set by late lamented Lal Bahadur Shastri and tender his resignation.

श्री शिवप्पा (हसन): यह दुर्घटना संबंधित अधिकारी द्वारा जानबूझ कर की गई शरारत के कारण हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि दुर्घटना में 32 व्यक्तियों की नहीं बल्कि—जैसा कि मेरी जानकारी है—43 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 120 से अधिक व्यक्ति जख्मी हुए हैं। मंत्री महोदय दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों के सही आंकड़े क्यों नहीं दे सके हैं। मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे जांच के परिणाम कुछ नहीं निकल पाये हैं क्योंकि सही तथ्य तथा जानकारी सामने नहीं आ पाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि न्यायिक जांच के लिये सम्पूर्ण और सही जानकारी उपलब्ध हो। यह भी आवश्यक है कि मंत्री महोदय दुर्घटना स्थल का दौरा करें और देखें कि कोई भी अधिकारी अपने आप को अथवा अपने समर्थकों को बचाने का प्रयास न कर पाये।

Dr. Mahadeva Prasad (Maharajganj): Mr. Deputy Speaker, since the Hon. Railway Minister has declared that a judicial inquiry will be conducted into this accident, there should be no reason for any grudge. But I would like that it may please be looked into if the various new operational systems, such as interlocking, C.C.T. system etc., introduced with a view to reducing accidents are not responsible for this increase in accidents.

Shri N. T. Das (Jamui): Is the Hon. Minister going to hold a judicial inquiry in case of Lakhisarai accident also?

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : क्या सरकार ने सभी दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच करने का निर्णय किया है अथवा यह केवल इस दुर्घटना के लिये ही है।

Shri S. C. Jha (Madhubani): Are you going to hold a similar judicial inquiry in case of recent railway accident between Mahndinagar and Vidyapatinagar near Sonepur? The inefficiency in the Railway Ministry is responsible for these accidents. A Committee should be appointed to enquire into all the accidents in the country.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to draw your attention to the apprehension in that area that the dacoits across the Ganges come there to loot the people. Had a person been posted on each of the five places this accident would have not happened. I hope the matter will be looked into thoroughly during the judicial enquiry, which has been assured here.

Shri Chandrika Prasad (Ballia): The areas of Eastern U.P. and Western Bihar have got very few Railway lines. In our area there are only two trains, 37 Up and 38 Dn. There is no mail train at all there. A mail train should be run from Allahabad to Gauhati and this line should be extended and a passenger train should be introduced between Ballia and Benaras.

It is necessary from the defence point of view to run more trains in the border areas of Ballia, Deoria and Gazipur. If the broad gauge is extended beyond Benaras to our area, it will be convenient for the jawans and labourers of our area who have to go to Assam. It is only a stretch of 80 miles.

The Bakulha and Sulemanpur railway stations in Ballia District are badly neglected. Their status should be raised to full-fleged stations. New halt stations should be provided at Chhata and Samra and Rajmalpur halt should be changed into a full-fleged station as a big fair is held there.

The Class IV staff of N.E. Railway is being neglected very much. There many persons amongst them, who have passed High School and Intermediate Examinations but they are not promoted to Class III posts, services of casual labourers are terminated even before they complete six months. Lakhs of rupees are spent on three-year training of traffic apprentices in N.E. Railway but they are not being given appropriate scale. Similarly, 38,000 commercial clerks are also being neglected. They are not promoted to the posts of commercial inspectors and people from other Departments are appointed to these posts. I have got a memorandum, which if you permit, I may lay on the Table.

The Upper India is the only train which connects Bihar and Uttar Pradesh. This train is often late. Steps may, be taken to see that it runs punctually. As regards deficit in the budget, I would suggest that a record of engines in the loco-sheds, which consume more coal, should be maintained. The workers of loco-sheds have to work for two hours extra which is against the rules. They are not given leave also. This should be looked into.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमन तथा दीव) : रेलवे में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण हम सबको गहरी चिन्ता है। मेरा सुझाव है कि रेलवे मँत्री सिविल एयरनाटिक्स बोर्ड के समान एक ऐसा स्वतन्त्र प्राधिकार स्थापित करने पर विचार करें, जिसमें रेलवे बोर्ड के नियंत्रण से स्वतन्त्र विशेषज्ञ हों।

रेलवे में फालतू क्षमता है परन्तु पर्याप्त यातायात नहीं है। मंत्री महोदय ने इसका कारण मंदी बताया है। यह आंशिक रूप से सच हो सकता है परन्तु यह निश्चय ही मुख्य कारण नहीं है। आपके आंकड़े इसके साक्षी हैं। 1950–51 में रेलवे द्वारा कुल उत्पादन का 30.91 प्रतिशत तिलहन ले जाया गया जबकि 1966–67 में केवल 19.91 प्रतिशत तिलहन ले जाया गया। इसी प्रकार 1950–51 में रेलवे द्वारा 71.41 प्रतिशत कपास ले जाई गई थी जोकि 1966–67 में केवल 48.3 प्रतिशत कपास ले जाई गई। रेलव का व्यापार उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिये रेलवे को प्रयास करना चाहिये। एक कारण है ढुलाई रखरखाव आदि में लापरवाही। 1966–67 में खोये अथवा क्षतिग्रस्त हुए माल के लिये 5.99 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। 1967–68 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में, जबकि यातायात दस लाख टन कम हो गया, इसके आंकड़े बढ़कर 6.56 करोड़ हो गये हैं। 1966–67 में ईंधन की हानि के कारण 94 लाख

[श्री सेक्वीरा]

रुपए का घाटा हुआ। 1967–68 में यह बढ़कर 124 लाख रुपए हो गया है। रेलवे में जलपान व्यवस्था में इस वर्ष बिक्री के बढ़ने पर भी कम लाभ होने की आशा है। यह तो लागत की ओर से लापरवाह होना है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक समस्या है जो छः वर्षों से चल रही है। यह भूतपूर्व पुर्तगाली रेलवे के कर्मचारियों के बारे में है जिन्हें रेलवे में रोजगार दिया गया है। मैं मानता हूं कि गोआ सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है परन्तु रेलवे मंत्रालय अथवा केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। उन्हें इसका शीघ्र हल ढूंडना चाहिए।

मंत्री महोदय को रेलवे में दो कदम उठाने चाहिएं। उन्हें अधिक यात्री तथा माल यातायात प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरे उन्हें रेलवे में सभी स्तरों पर कठोर वित्तीय अनुशासन लागू करना चाहिए। रेलवे बोर्ड से लेकर नीचे तक फालतू पदों को समाप्त किया जाना चाहिए। यात्री किराये नहीं बढ़ाये जाने चाहिएं। प्रशासन में अनुशासन, कुशलता और बचत द्वारा घाटे को पूरा किया जाना चाहिए।

Shri Shiv Chandika Prasad (Jamshedpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, if you go through the record of 20 years of the Railways, the progress made by it is heartening to note. Passenger amenities have been increased, new bridges have been constructed and many new lines have been opened. I feel that the mismanagement in the railways is responsible for the budget deficit. There are so many unnecessary expenses which can be cut down such as indication of fans, steps, entrance, exit, light etc. and provision of bottle opener, tumbler stand, luxury soap stand etc. in the compartments. These are all superfluous things. A Committee should be appointed to suggest items of expenditure which can be dropped.

As regards the passenger amenities there is overcrowding in the compartments as the number of tickets issued far exceeds the number of seats in the compartments. It is necessary that number of tickets issued is restricted to the number of seats provided in the trains so that passengers may travel comfortably. The catering on the Railways is running at a loss. This system should be replaced by cafetarias at all stations. There should be arrangement for selling food packets on running trains. If you make the Railway staff responsible for loss of Railway fittings and award bonus for their proper maintenance, the maintenance cost would be considerably reduced.

There is an unmanned railway crossing between Jajobera Camp and Warigera village near TELCO with the result that a number of workers fall victims of accidents while crossing. This should be looked into. An overbridge at Adilypur near Tatanagar Station in Bihar is badly needed. Similarly an overbridge each should be constructed at Doranda crossing near Ranchi Station and Dhanbad Katrasgarh line.

A large number of workers from U.P. and Punjab are employed in Jamshedpur. But there is only one train between Tatanagar and Patna. I will suggest that a bi-weekly Janta Express is introduced between Tatanagar and Mughalsarai so that they may avail of leave for visiting their homes. Similarly a third class through carriage should be provided between Tatanagar and Amritsar.

In case of appointments as attendants in first class compartments I would suggest appointment of retired military personnel. Next I would suggest that in case of reservation of seats for M.Ps. the word M.P. should not be indicated on the reservation slips as they are often approached by people, some of whom are sent by railway employees themselves, to make complaints which embrasses them very much. With these words I support the Demands for Grants (Railways).

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : केवल रेलवे मंत्री को हटा देने से हम रेलवे दुर्घटनाओं की समस्या हल नहीं कर पायेंगे। श्री पुनाचा ने रेलवे मंत्री बनने के बाद विभिन्न समस्याओं में रुचि ली है। उनका त्यागपत्र एक दुखद घटना होगी।

मेरा पहला सुझाव ह कि रेलवे अधिनियम में, जो 1890 में पारित किया गया था, संशोधन किया जाना चाहिए और प्रशासनिक कार्यों में वर्तमान विभिन्न दोषों को दूर किया जाना चाहिए। अन्य सदस्यों के समान मुझे भी रेलवे बोर्ड के बारे में चिन्ता है। ये नौकरशाह प्रशासन में मन्त्री महोदय की सहायता करने के स्थान पर उन्हें सही जानकारी प्राप्त नहीं होने देते हैं और समस्याओं को हल करने के स्थान पर अन्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। रेलवे बोर्ड को तकनीकी बोर्ड बना देना चाहिए। जिसका काम केवल तकनीकी मामलों में सलाह देना होना चाहिए, न कि प्रशासनिक मामलों पर भी, रेलवे मन्त्री को निष्पक्ष रूप से प्रत्येक समस्या पर विचार करना चाहिए।

रेलवे के सामने सबसे बड़ी समस्या आय का घटना है। रेलवे को कभी घाटा नहीं हुआ, केवल गत दो वर्षों से ही ऐसा हो रहा है। यदि खाद्य तथा कृषि मंत्री खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कर दें, तो खाद्यान्न की ढुलाई बढ़ जाने के परिणामस्वरूप किराये कम हो जायेंगे क्योंकि राजस्व बढ़ेगा। रेलवे म बचत अभियान पूर्णतः निष्फल रहा है अन्यथा रेलवे में घाटा होता ही नहीं। इसके विपरीत इसने जनता के लिये गम्भीर कठिनाई पैदा की हैं। कई स्थानों पर बचत के नाम पर टिकटघर बन्द कर दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायें कि अधिकारियों की सख्या में कितनी वृद्धि हुई है।

रेलवे में कम तन वेपाने वालों को निकाल कर बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस प्रकार की मितव्ययता से रेलवे को कोई लाभ नहीं हो सकता।

बच्चों के आधे टिकट की छपाई अब पूरे टिकटों पर की जाती है। मेरे विचार में पुरानी प्रथा फिर से चालू की जानी चाहिये। इससे छपाई के खर्च में काफी कमी होगी।

हानि सम्बन्धी दावों का मूल्यांकन करने की वर्तमान प्रथा दोषपूर्ण है। इसमें भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश है। इस प्रक्रिया की अच्छी प्रकार से जांच की जानी चाहिए।

[श्री प्र० नं० तालंकी]

मन्त्री महोदय को वाणिज्यिक क्लर्कों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वे अपने संघ के माध्यम से ही अपने अभ्यावेदन भेजें तभी उन पर विचार किया जायेगा ।

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक छोटी लाइन या मीटर लाइन बना कर कापड़गंज को मडोसा के साथ जोड़ देना चाहिये। ऐसा करने से कापड़गंज का गुजरात और राजस्थान के अन्य स्थानों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा । फिर कृषि सम्बन्धी वस्तुओं, कपास तथा औद्योगिक सामान लाने ले जाने में सुविधा मिलेगी ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): **I have a grievance. I do not** get a chance to speak and therefore I use my own time.***

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का वाद विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Prem Chand Verma: This is my time you have allotted this time to me and I am using it * * * (*Interruptions*).

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : कार्यवाही वृतान्त में इसे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह गम्भीर आक्षेप हैं। सभा का सम्मान बनाये रखना चाहिये ।

Shri Prem Chand Verma: ...(Interruptions).

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): It is not proper to cast asper-sions on the Chair. This cannot be tolerated. The Hon. Member should either express regret or this has to be expunged from the proceedings.

Shri Prem Chand Verma: It is a simple thing***

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : काँग्रेस दल का स्पष्ट बहुमत है । अतः उन्हें कुछ संयम से काम लेना चाहिये । यह सारी सभा का अपमान है । यदि उन्हें काँग्रेस संसदीय बोर्ड से शिकायत है तो उन्हें वहाँ पर बोलना चाहिये ।

Shri Prem Chand Verma: I have no grievance against the party.***

श्री कन्डप्पन : उन्हें क्षमा माँगनी चाहिये या उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। सत्ताधारी दल के लिये इस कार्यवाही को कार्यवाही वृतान्त में रखना श्रेयस्कर नहीं होगा ।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah): We are sorry for these remarks and we agree that these remarks should be expunged.

Shri S. M. Joshi (Poona): I may suggest that there should be some arrangement for the speakers of Congress Party just as the time is fixed for the opposition parties.

श्री सोनावने (पंढरपुर) : यही उनकी शिकायत है ।

Shri Prem Chand Verma: ***

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया ।

***Expunged as ordered by the Chair.

Shri S. M. Joshi: They should take up this matter at their party meetings.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के गौरव की रक्षा करना प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य है। यदि कोई सदस्य इस प्रकार की बात करता है तो यह सारी सभा के लिये अपमानजनक है। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मुझे खेद है कि मुझे ये शब्द कार्यवाही वृतान्त से निकालना पड़ रहा है। यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। जहाँ तक सूची का सम्बन्ध है, मैंने बताया है कि यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है। मुझे यह भी देखना है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य है उन्हें भी बोलने का अवसर मिल सके। इसलिये अब यह स्थिति दोबारा नहीं पैदा होनी चाहिये।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : मेरा यह अनुरोध है कि इन बातों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये। यह आपका ही नहीं, सभा का अपमान है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मन्त्री इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद् कार्य मन्त्री चाहते हैं कि इन बातों का कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये, अतः इन्हें कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

Shri Prem Chand Verma: ***

श्री सम्बन्धन (तिरुचिरापल्लि) : यदि संक्षेप में कहा जाये तो रेलवे के सभी रोगों का मूल कारण एक ही है और वह रेलवे प्रशासन का भ्रष्ट और नौकरशाही रवैया है। उदाहरण के तौर पर हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक वर्कशाप है। यह वर्कशाप 1900 में चालू की गयी थी। कुछ दिन पूर्व इसमें 3234 कर्मचारी थे। इस वर्कशाप में कई वस्तुओं का उत्पादन होता है जो दक्षिण, मध्य तथा पश्चिम रेलवे को और कुछ सरकारी उपक्रमों को सप्लाई की जाती हैं।

अचानक ही रेलवे प्रशासन ने इसे केवल वर्कशाप के रूप में रखने का निश्चय किया और कुछ लोगों का स्थानान्तरण करने का भी निश्चय किया। स्थानान्तरण के विरुद्ध कुछ कर्मचारियों ने अभ्यावेदन भेजा था। मन्त्री महोदय को इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर स्वयं निर्णय करना चाहिये। उन्हें रेलवे बोर्ड पर निर्भर नहीं करना चाहिये।

फिर बोकारो इस्पात सन्यन्त्र के लिये प्वाइंट और क्रासिंग की सप्लाई करने के लिये रेलवे वर्कशाप से कहा गया था। रेलवे वर्कशाप ने इसके लिये 3600 की दर से माँग की थी। तदुपरान्त वह ठेका एक गैर सरकारी फर्म को 3400 रुपये की दर से दिया गया है। इसमें केवल 200 रुपये का अन्तर था। यदि अपने विभाग की वर्कशाप के बारे में रेलवे का यह रवैया है तो भला रेलवे मन्त्रालय लाभ अर्जित करने की कैसे आशा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि रेलवे मन्त्री इन बातों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेंगे।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

***Expunged as ordered by the Chair.

Shri Bhola Nath (Alwar): I would like to point out that railway wagons required for export of 'Sarson' to Bengal and Assam are not being made available. We have brought this fact to the notice of all concerned authorities but this demand has not been met. Because of this attitude the traders have to suffer losses. Government should consider this matter seriously.

I want to suggest that Alwar should be linked with broadgauge line. It will reduce the burden of wagons on Achnera Station. It would also help in the transportation of foodgrains from Kandla port to Rajasthan.

I have submitted some cut motions and I hope that Hon. Minister will look into them. In the end I would ask the Hon. Minister to ensure that Railway Board would take necessary steps to implement the decisions.

श्री श्री निवासन मिश्र (कटक) : उड़ीसा के लोगों की यह आम शिकायत रही है कि उड़ीसा की रेलवे लाइन बहुत छोटी है। उड़ीसा का पूर्वी भाग उत्तरी और पश्चिमी भागों से जुड़ा हुआ नहीं है। हमने कई बार अनुरोध किया है कि उड़ीसा की राजधानी से दिल्ली तक एक सीधी रेलगाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिये। फिर भी केवल उड़ीसा की राजधानी ही इस प्रकार की व्यवस्था से वंचित है। पुरी से दिल्ली भी एक गाड़ी चलायी जानी चाहिये।

अब मैं दुर्घटनाओं का प्रश्न लेना चाहता हूं। नियन्त्रण संगठन की भी कुछ शिकायतें हैं जो गाड़ियों के संचालन के लिये उत्तरदायी हैं। उनकी एक शिकायत यह है कि दूसरा वेतन आयोग संचालकों के दो वर्गों को मिला देना चाहता था, परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दूसरे जिन लोगों को 500 रुपये मिलते थे, अब 360 रुपये मिलते हैं। इन लोगों को पदोन्नति के भी कोई अवसर नहीं हैं। यदि गाड़ियों के चलाने वालों के पास काम अधिक होगा और वे सन्तुष्ट नहीं होंगे तो क्या स्थिति होगी ? अतः उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिये।

Shri Shambhu Nath (Saidpur): It has been observed that the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been provided employment in the Railways according to the reservation made for them in the rules. I do not see any reason why should they be ignored like this. I request the Hon. Minister to look into this matter and see that the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are provided employment in accordance with the quota reserved for them.

There was a narrow gauge line from Jaunpur to Gorakhpur but now that train is terminated at Aurihar. As a result thereof passengers have to get down at Aurihar and then go to Gorakhpur which causes great inconvenience. I, therefore, appeal to the Hon. Minister to restore direct train from Jaunpur to Gorakhpur.

Shri N. T. Das (Jamui): Sahibganj—Loop Station is being constantly ignored. The trains 329 Up and 330 Dn. should be extended from Barauni to Samastipur and then to Howrah. The Danapur fast passenger train should be extended upto Mughalsarai.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

13 Up and 14 Dn. trains which are called Upper India Express trains but they take much more time than their due time. Therefore purpose of an Express train is not served.

I want to make another suggestion that a hault should be provided at Barhiya for Toofan Express.

पंजाब की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING SITUATION IN PUNJAB

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पंजाब सरकार से हमें सूचना मिली है कि पंजाब के राज्यपाल ने 11 मार्च, 1968 को पंजाब विधान सभा का सत्रावसान कर दिया है। पंजाब विधान मण्डल (वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का नियमन) अध्यादेश, 1968, 13 मार्च, 1968 को जारी किया गया। पंजाब विधान सभा का दूसरा सत्र बुलाया गया था और सभा की बैठक 18 मार्च को हुई थी।

इस बात की भी हमें सूचना मिली है कि जब विधान सभा की कार्यवाही आरम्भ हुई तो विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने सदन में कुछ अपरिचित लोगों की उपस्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति की। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अस्थायी रूप से कुछ और वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों को सदन में उपस्थित रहने की अनुमति दी है। सदस्यों के आग्रह पर अध्यक्ष ने वाच एण्ड वार्ड के अतिरिक्त कर्मचारियों को सदन से चले जाने के लिये कहा। इसके पश्चात् कई विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिन्हें विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया। उसके बाद राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश सभा-पटल पर रख दिया गया। अध्यक्ष ने राज्यपाल से प्राप्त सन्देश को विधान सभा में पढ़ कर सुनाया था।

यह बताया गया है विरोधी पक्ष के नेता ने सभा को पुनः बुलाने के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा जारी किये गये आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी। इस पर तीन घण्टे तक चर्चा करने के पश्चात् अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया कि 18 मार्च 1968 को विधान सभा की बैठक बुलाना अवैध है। उन्होंने 7 मार्च के अपने विनिर्णय को फिर दोहराया जिसमें विधान सभा को दो महीने तक के लिये स्थगित कर दिया था। इसके पश्चात् अध्यक्ष तथा विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।

कुछ समय बाद उपाध्यक्ष महोदय ने विधान सभा की कार्यवाही का संचालन किया। फिर विधान सभा ने आय व्ययक की विभिन्न म ों की स्वीकृति दी। यह भी बताया गया है कि सभा न विनियोग विधेयक भी पारित किया।

उपरोक्त कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् उपाध्यक्ष ने विधान सभा की अनुमति से अध्यक्ष को हटाये जाने के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर सभा 5 अप्रैल, 1968 तक के लिये स्थगित कर ी गयी।

मुझे पता चला है कि अध्यक्ष के सभा से चले जाने के समय सभा में कुछ अव्यवस्था पैदा हुई थी। सभा में इस प्रकार की घटनाओं पर मुझे अत्यन्त दुःख है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि लोकतन्त्र का संचालन ठीक प्रकार से हो सके और विधान मण्डलों की मर्यादा और गरिमा बनी रहे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): The Hon. Home Minister has said that facts narrated by him are received from Punjab Government and the report of the Governor has not been received. I may submit full details have not been given and whatever facts have been given, they are fabricated ones. May I ask clarification?

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा के लिये समय नियत कर दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): आपने यह सुझाव दिया था कि जब तक सरकार स्थिति से परिचित नहीं कर देती और तथ्यों की जानकारी नहीं दे देती तब तक हमें शान्त रहना चाहिये और उसके बाद ही आप इस संबंध में निर्णय लेंगे। हमें प्रेस से बहुत अधिक जानकारी मिल जाती है। यह बहुत महत्व का विष्य है और इस पर चर्चा करने की शीघ्र अनुमति दी जानी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनमें से एक. स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये और उस पर कल चर्चा की जानी चाहिये।

श्री रंगा : सरकार इस मामले में जनता और हम लोगों को कैसे संतुष्ट कर सकती है। हमने सरकार से वक्तव्य देने के लिये कहा है। सरकार ने वक्तव्य दिया है चाहे वह ठीक है अथवा नहीं। इन सब बातों के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते।

श्रीमती सुशीला नायर (केसरगंज): कुछ नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर कुछ दिन चर्चा की जायेगी। अतः यह आवश्यक है कि इसको कल तक के लिये स्थागित कर दिया जाये

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है (अन्तर्बाधाएं)

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : राज्यपाल ने विधान सभा का अधिवेशन बुलाया था और इसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। हम यह जानना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र और संवैधानिक प्रणाली को जारी रखा जा सकता है अथवा नहीं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पंजाब में बहुत विस्फोटक स्थिति उत्यन्न हो गई है। अतः यह आवश्यक है कि इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश): माननीय मंत्री ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि अध्यक्ष द्वारा सभा को स्थागित करने के बाद पीठासीन सभापति ने बजट को कैसे पारित किया ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न चर्चा का विषय है। माननीय मंत्री ने यह कहा था कि उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए थे और आदेशों को पुनः जारी किया गया और इसके बाद सभा की कार्यवाही आरम्भ की गई। यह बहुत कठिन प्रश्न है कि अध्यक्ष की उपस्थिति में कौन पीठासीन हो। मैं इस

बात से सहमत हूं कि इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके लिये हमें कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिये। मुझे विभिन्न दलों के नेताओं से सलाह लेनी होगी। हमें इस सभा की तुलना दूसरी सभा से करनी चाहिये हम अपने निर्णय स्वयं लेने के लिये स्वतन्त्र हैं। वे भी अपने निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र हैं राज्य सभा के बारे में आप उल्लेख न करें मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक राज्य में अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की थी कि जब तक सभा अनुदानों पर चर्चा चला रही है तब तक स्थगन प्रस्ताव आवश्यक नहीं हैं। मैंने श्री वाजपैयी को बताया था कि हमें प्रत्येक मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा नहीं करनी चाहिये। पंजाब के मामले में पंजाब सरकार ही कोई निर्णय करेगी केन्द्र सरकार नहीं।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1968-69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1967-68--जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY) 1968-69 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAY) 1967-68—*contd.*

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : यह दुख: की बात है कि आज सुबह ही हमें एक गम्भीर दुर्घटना का समाचार मिला है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इस दुर्घटना की न्यायिक जांच की जाने का निर्णय किया गया है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को जांच का कार्य सौंपा गया है। जो इस प्रश्न के समस्त पहलुओं पर विचार करेगा। इस प्रयोजन के लिये न्यायिक अधिकारी विधि मंत्रालय का एक नाम-निर्देशित व्यक्ति होगी।

चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या 1962 में गठित रेलवे दुर्घटना समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है। समिति की 377 सिफारिशों में से हमने 325 सिफारिशों को स्वीकार किया है और उनमें से हमने 28 सिफारिशों को छोड़कर बाकी सबको स्वीकार कर लिया है। ये 28 सिफारिशें रक्षा उपायों के अपनाये जाने के संबंध में हैं जिनमें समय लग सकता है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि रेलवे के कार्य की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। प्रशासनिक सुधार आयोग ने पं० एच० एन कुंजरू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन पहले ही कर दिया है। इस दल को रेलवे की कार्य व्यवस्था पर विचार करने के बारे में कहा गया है।

ऐसा कहा गया है कि रेलवे का कार्य देख ने के लिये कोई संगठन नहीं है। ऐसा एक संगठन असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। इसका आयुक्त एक वरिष्ठ इंजीनियर है जो रेलवे की कार्य व्यवस्था से भलिभांति परिचित है। उसके तीन अतिरिक्त आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होगा। वे भिन्न स्थानों पर कार्य करेंगे और प्रत्येक रेल दुर्घटना की जांच करने का कार्य उन्हें सौंपा गया है।

उनका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता है। यहां तक कि कोई नई लाइन रेलवे सुरक्षा संगठन की अनुमति के बिना चालू नहीं की जा सकती। रेलवे सुरक्षा संगठन, रेलवे इंजन, रेलवे पटरी और सिगनल उपकरणों का निरन्तर सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करता रहता है। यह

[श्री चे० मु० पुनाचा]

संगठन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आधीन है । अतः स्वतन्त्र निर्धारण और निर्णय हमेशा उपलब्ध हैं ।

जहां तक उस बस दुर्घटना का संबंध है आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उसके बारे में विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था। मैं तो प्रैस में छपी रिपोर्ट के बारे में उल्लेख कर रहा हूं । जिसमें कहा गया है कि गेट मैन को दरवाजा खोलने पर मजबूर किया गया था हालांकि आनेवाली गाड़ी का सिगनल हुआ था । यह दुर्घटना कैसे घटी इसकी जांच करना आवश्यक है क्योंकि इस मामले में या तो रेलवे का कर्मचारी या रेलवे पदाधिकारी जिम्मेदार है । यह तो न्यायिक जांच के बाद ही पता लगेगा ।

यह आपत्ति की गई है कि रेलवे बजट बनाते समय रेलवे बोर्ड ने पर्याप्त सावधानी से काम नहीं लिया । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कुछ अनुमानों के अनुसार जैसे यात्रियों और समान का यातायात का भी ध्यान रखना होता है । यह अनुमान था कि यात्रियों के किराये से 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी । वास्तविक वृद्धि इससे थोड़ी ही अधिक हुई है । समान के लाने ले जाने के बारे में हमने कच्चे धातु, सीमेंट, चीनी, नमक आदि जैसी वस्तुओं के बारे में मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करके आंकड़े तैयार किये । लेकिन माल की ढुलाई में कई कारणों से बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, जैसे कृषि, मौसम, औद्योगिक अशान्ति, दंगे, प्राकृतिक विपत्ति आदि । इस माल भाड़े से आय का अनुमान लगाना कठिन है । कुछ धारणाएं गलत भी निकली हैं । आशा के अनुसार रेलवे को 8.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ नहीं हुआ है । माल यातायात का अनुमान लगाना बहुत कठिन है । माल यातायात में वृद्धि हुई है लेकिन वह इस स्तर तक पहुंच गई है कि इसमें और वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है ।

पिछली फरवरी में पश्चिम रेलवे को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । 26 जनवरी को गोहाटी में हुई कठिनाई के कारण 1500 माल डिब्बों को रोकना पड़ा । अतः 13 दिन समस्त पश्चिम रेलवे का कार्य ठप्प पड़ गया ।

श्री जी० मो० विश्वास (बांकुरा) : पश्चिम रेलवे में यह कठिनाइयां गोहाटी के दंगों के कारण नहीं हुई थीं, यह कठिनाइयां वहां पहले ही मौजूद थीं । इस कठिनाई का मुख्य कारण खान मालिकों द्वारा की गई कार्यवाही था । (**अन्तर्बाधाएं**) :

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा नहीं था । सच बात यह है कि यदि किसी क्षेत्र में माल डिब्बों के आने जाने में बाधा होती है तो उसके परिणामस्वरूप दूसरे क्षेत्रों में भी कठिनाई हो जाती है ।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि लागत में क्यों वृद्धि हुई है । इसका एक कारण यह है कि माल की ढुलाई के बारे में हमारा अनुमान ठीक नहीं निकला । मंहगाई भत्ते में भी वृद्धि हुई जिसके संबंध में हमने बजट बनाते समय अनुमान नहीं लगाया था । मंगाई भत्ते के लिये हमने बजट में 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी किन्तु मंहगाई भत्ते की रकम 23 करोड़ रुपये तक चली गई । बाकी घाटा

कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण हुआ। कोयले के मूल्य में वृद्धि का अनुमान बजट बनाते समय नहीं लगाया गया था।

इसी प्रकार डाक-तार विभाग और पत्तन न्यास विभाग पर भी 3 करोड़ रुपया व्यय किया गया।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन मेरे माननीय मित्र को यह विदित होना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। संगठन ने काम के लिये 48 घंटे निर्धारित किये थे जिसे हमने कुछ रूप भेदों के साथ स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। सघन कार्य के लिये सप्ताह में 45 घंटे निर्धारित किये गये हैं (अन्तर्बाधाएं) इंटरमीटेन्ट श्रेणी के लिये 75 घंटे और लगातार काम करने वालों के लिये 54 घंटे निर्धारित किये गये हैं जिसमें विश्राम का काम भी निर्धारित है। एक फार्मूला अपनाया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को विश्राम का उचित समय मिलेगा। मौटे तौर पर यह सिद्धांत है कि हल्के काम के लिये आठ घंटे और अधिक काम के लिये छः घंटे निर्धारित होने चाहियें।

कुछ सदस्यों ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सी० एल० डब्ल्यू; डी० एल० डब्ल्यू और अन्टेग्रल कोच फैक्ट्री में श्रमिक संघों को मान्यता नहीं दी है। वहां पर कर्मचारी परिषदें हैं वे अपने सेक्शन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने अपने कस्बे में एक कालिज एक चर्म विशेषज्ञ और एक बस सेवा चालू करने का अनुरोध किया है जहां तक आवास का संबंध है 63 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था की जा चुकी है। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। यदि आप प्रत्येक वाक्य के बाद बाधा डालेंगे तो यह उचित नहीं होगा।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि श्रमिकों के कल्याण के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जाती है। जहां तक अन्य रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमने उनके संघों को मान्यता प्रदान की है। हम उनकी समस्याओं पर बारबार विचार करते हैं, उनकी कठिनाइयों को समझते हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि रेलवे को अब घाटा क्यों हो रहा है जब कि अंग्रेजों के समय में उसे बहुत मुनाफा हुआ करता था। इसके लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बात पर विचार नहीं किया गया है कि रेलवे अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कोष म जमा कराता है। केवल यह ही नहीं इसके अलावा रेलव एक निश्चित दर से आस्तियों मे भी अपना योगदान देता है। इन दोनों बातों के लिये लगभग 250 करोड़ रुपये लग जाते हैं। रेलवे केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति में भी काफी हद तक सुधार करता है। इसी तरह से रेलवे 100 करोड़ रुपये की दर से अपनी आस्तियां भी बढ़ा रहा है। माननीय सदस्यों को इन पहलुओं को नहीं भूलना चाहिये। यह कहना बहुत आसान है कि इस मंत्री के आने के बाद रेलवे को घाटा हो गया है परन्तु ऐसा बयान उचित अध्ययन किये बिना नहीं दिया जाना चाहिये।

[श्री चे० मु० पुनाचा]

मैंने अपने पिछले भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि जहां तक स्लीपर बर्थ की दरों का सम्बन्ध है मैं उस प्रश्न पर विचार करूंगा। मैंने उस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है और यह निर्णय किया है कि स्लीपर बर्थ की दर पहली रात्रि के लिये चार रुपये होनी चाहिये और बाद की रात्रियों के लिये एक रुपया प्रति रात्रि होगी। हमने यह निर्णय इसलिये किया है कि ताकि लम्बी यात्रा करने वाले लोगों पर अधिक भार न पड़ जाये।

हमने यह भी निर्णय किया है कि जिन कलाकारों, नर्सों तथा अन्य ऐसे कर्मचारियों को रियायतें देनी बन्द कर दीं गई थीं उन्हें अब फिर पहले की तरह रियायतें मिला करेंगी।

श्री जी० मो० विश्वास (बांकुरा) : जब रेलवे बजट पर चर्चा हो रही थी तो मैंने बताया था कि रेलवे अपने पास 140 करोड़ रुपये का स्टोर रखता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि करोड़ों रुपये का रेडी माल रेलवे यार्ड में पड़ा है और उसे बेचा नहीं गया है। मेरा विचार है कि इस सामग्री को बेच कर 27 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा किया जा सकता है।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह जो बात कही गई है कि रेलवे अपने पास 140 करोड़ रुपये का स्टोर रखती है सही है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह स्टोर केवल सात महीनों की आवश्यकतायें पूरी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि रेलवे जैसे बड़े संस्थान को अपने पास कुछ स्टोर रखना जरूरी है अन्यथा किसी भी दिन रेलवे का काम रुक सकता है। जहां तक रद्दी माल का सम्बन्ध है हमारे पास 10 करोड़ रुपये का रद्दी माल पड़ा है। हम उसे बेचने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa): Despite the fact that requests have been made repeatedly by the discussion on the question of Supol-Pratapganj railway line has not been raised by the Hon. Minister. This is an important question even from the economic point of view.

श्री चे० मु० पुनाचा: इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा और इसके आर्थिक दृष्टिकोण को भी ध्यान मे रखा जायेगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हम ने हाल में देखा है कि रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि सामान्य रूप से एक सप्ताह मे 48 घंटे काम होना चहिये। परन्तु रेलवे में हम देखते हैं कि लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों को सप्ताह मे 84 घंटे तक काम करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रेलवे मंत्री इस पर ध्यान देंगे। क्या वह यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि इसके बाद रेलवे कर्मचारियों से सप्ताह में 54 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा।

श्री चे० मु० पुनाचा: यह बात कार्य विश्लेषण पर निर्भर करती है। यदि किसी क्षेत्र में कोई कठिनाई अनुभव की जायेगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री सम्बन्धन (तिरुत्तानि) : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि अरकोनम वर्कशाप को एक मरम्मत करने वाला वर्कशाप तो नहीं बनाया जायेगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : अरकोनम वर्कशाप एक उत्पादक एकक है, मरम्मत करने वाला नहीं। मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से मिली है। प्रत्येक रेलवे का अपना वर्कशाप है। चाहे इसमें उत्पादन कम हो गया है परन्तु किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

श्री अरुमुगम (टेंकासी) : आजकल ब्राडगेज लाइन पर तीसरे दर्जे के डिब्बे मे स्लीपर रिजर्वेशन के लिये $3\frac{1}{2}$ रुपये लिये जाते हें परन्तु मीटर गेज में 1 3/4 रुपये लिये जाते हें क्योंकि वहां पर कम सुविधा होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह रियायत वहां भी दी जायेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ब्राड गेज और मीटर गेज में यही अन्तर है। मैं इस पर विचार करूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): May I know whether the Hon. Minister is aware of the fact the number of the labourers in Railway Workshops is decreasing rapidly. The number of labourers in Jamalpur Workshop was about twenty-two thousands fifteen years back while it has now come down to about thirteen thousands. I would like to know whether Government propose to set up alternative workshops so that these persons may be absorbed there.

Secondly, I would like to know whether Government propose to appoint some Standing Committee consisting of Members of Parliament for the Railways?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमने प्रत्येक रेलवे के लिये संसत्सदस्यों की नौ अनौपचारिक समितियां बनाई हुई हैं। इनके अलावा यदि और कोई समिति बनाना आवश्यक समझा गया तो संसद्-कार्य मंत्री उस पर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye: Will the Hon. Minister say something about Workshops?

श्री न० ता० दास (जमुई) : मैं लाखी सराय की दुर्घटना सम्बन्धी कानूनी जांच के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे ध्यान में रख लिया है।

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : माननीय मंत्री ने गुजरात मे नैरोगेज रेलवे लाइन के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उसे बन्द करने के लिये विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री चे० मु० पुनाचा: हम समूची स्थिति पर विचार कर रहे हैं।

श्री प्र० न० सोलंकी: क्या रेलवे अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ? मैं यह भी चाहता हूं कि हमें रेलवे बोर्ड के कार्य संचालन की जानकारी भी दी जाये।

श्री चे० मु० पुनाचा: रेलवे बोर्ड को समाप्त करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया गया था। उसे समाप्त करने की बात मेरी समझ में नहीं आई है। यदि उसे समाप्त भी किया जाये तो उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता–उत्तर पश्चिम) : क्या मंत्री महोदय कलकत्ता के वृत्ताकार रेलवे को वरीयता देने की बात पर विचार कर रहे हैं क्योंकि वहां के लोग अब बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह मामला विचाराधीन है । हम इस बारे में योजना आयोग के साथ भी बातचीत कर रहे हैं ।

श्री कंडप्पन (मैटूर) : क्या माननीय मंत्री कलाकुडी के नाम के सम्बन्ध मे जानकारी देंगे । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उस स्टेशन का नाम रखना गृह-कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है या कि रेलवे मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में ?

श्री चे० मु० पुनाचा: ऐसे मामलों का समन्वय गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi): May I know whether the proceedings of the meetings of nine Consultative Committees and Zonal Committee are being considered?

श्री चे० मु० पुनाचा : इन मामलों पर लगातार विचार किया जाता है ।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): Thousands of maunds of Jawar is rotting at many stations of Haryana. May I know why it has not been sent to its destination or returned to its owners?

श्री चे० मु० पुनाचा : हम खाद्य निगम की परिवहन की मांगों को अवश्य पूरा करते हैं । यदि यह मामला गैर-सरकारी पार्टियों से सम्बन्धित है तो माननीय सदस्य मुझे जानकारी दे दें, मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा ।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह मुख्य नियंत्रक और उपमुख्य नियंत्रक की सेवा की शर्तों पर विचार करेंगे ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि यह बात अनुभाग नियंत्रकों के बारे में कही गई है तो मैं यह कह सकता हूं कि वे सप्ताह में केवल 45 घंटे काम करते हैं ।

Shri Ram Charan (Khurji): S.S. Light Railway has covered land to the tune of 90 miles which can be made use of for agricultural purposes. May I know whether Government propose to nationalise the same or dismantle it?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi): We are going to nationalise the same progressively. We will pay more attention to it now.

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : जिस न्यायिक जांच करने का माननीय मंत्री ने वचन दिया है उसे माननीय मंत्री कैसे करायेंगे, यह मुझे बताया जाये ।

श्री चे० मु० पुनाचा : जांच हमेशा जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी ।

श्री क० नारायण राव (कोल्बिली) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दो शायिकाओं और तीन शायिकाओं में उपलब्ध सुविधाओं में अन्तर है और उन की दर भी भिन्न-भिन्न हैं क्या मंत्री महोदय दोनों शायिकाओं में कोई अन्तर करने की बात सोच रहे हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : अन्तर तो है ही । दो शायिकाओं के लिये डिब्बे में रात्रि के हिसाब से धन लिया जाता है। जहां तक तीन शायिकाओं वाले डिब्बों का सम्बन्ध है पहली रात्रि के चार रुपये लिये जाते है और बाद में प्रत्येक रात्रि के लिये एक रुपये के हिसाब से धन वसूल किया जाता है।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon): May I know whether Government propose to abolish or reduce the number of classes in Railways? Secondly, may I know whether Government contemplate to provide Hindi Lists of Reserved seats at least in Hindi-speaking Railways?

श्री चे० मु० पुनाचा : हम इन सब सुविधाओं पर विचार करेंगे।

श्री शंकरराव माने (कोल्हापुर) : रेलवे प्रशासन ने पूना से मिराज तक मीटर गेज लाइन के स्थान पर ब्राडगेज रेल लाइन बनाने का काम आरम्भ कर दिया है। परन्तु कोल्हापुर मिराज से केवल 30 मील की दूरी पर स्थित है। कोल्हापुर एक औद्योगिक केन्द्र है। इसलिये कोल्हापुर को मिराज के साथ बड़ी लाइन से अवश्य मिलाया जाना चाहिये। केवल तभी यह लाइन लाभप्रद साबित होगी। क्या मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कोल्हापुर को भी मिराज के साथ बड़ी लाइन से मिलाया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota): There is no surety of life in Railways now, may I know therefore whether Government propose to start insuring people who travel in Railways. Similarly I would like to know some more points.

श्री चे० मु० पुनाचा : माननीय सदस्य इस सुझावों को लिख कर दे दें। उन पर विचार किया जायेगा ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मार्टिन लाइट रेलवे में प्रति दिन लगभग 16,000 यात्री यात्रा करते हैं । यह लाइन घाटे पर चल रही है । अतः क्या मंत्री महोदय इसे अपने अधिकार में लेने की बात सोच रहे है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी: इस सम्बन्ध में हुए करार की अवधि समाप्त हो जाने पर इस बारे में विचार किया जायेगा ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): May I know whether Government will take some steps to strengthen the Railways at the borders?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसे मामलों के बारे में हम प्रतिरक्षा मंत्रालय की मंत्रणा पर काम करते हैं । वह मंत्रालय जो हमें कहे हमें करना पड़ता है।

हम बारबार यह मांग करते रहे हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे की स्थिति में सुधार किया जाये परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि काच्चीगुड्डा के डिब्बा निर्माण कारखाने को अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि आन्ध्र प्रदेश म पंजीकृत यात्री संघों को मान्यता नहीं दी जा रही है। जनता की और भी शिकायतें हैं। माननीय मंत्री को उनकी ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : क्या माननीय मंत्री उन कर्मचारियों के तबादले के प्रश्न पर विचार करेंगे जो अपना तबादला क्रमश. अपने राज्यों में कराना चाहते हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है वे एक रेलवे अथवा कुछ मामलो में एक डिविजन के अन्दर ही कार्य करते हैं। राजपत्रित अधिकारियो की तैनाती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्ली) वह तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : साधारणतया उन्हें उनके क्षेत्र में ही रखा जाता है परन्तु कुछ व्यक्ति अन्य रेलवे में नौकरी शुरू करते हैं और वहां से वापस आने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे तदाबले सामान्यतया आसानी से नहीं किये जाते क्योंकि इनसे अन्य व्यक्तियो की वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ता है और कार्मिक संघ ऐसे तबादलों की अनुमति नहीं देते।

श्री रा० कि० अमीन (ढंढका): क्या माननीय मंत्री उन रेलवे लाइनों को बिछाने में प्राथमिकता देंगे जो कुछ बिछाई जा चुकी हैं तथा कुछ बाकी पड़ी है—जैसे कि भाव-नगर, तारापुर अथवा जसदान-राजकोट, ताकि वे रेलवे लाइने आर्थिक दृष्टि से लाभ लाभप्रद हो सके ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान रोहतक गोहाना रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया था। मेरा अनुरोध है कि रोहतक-गोहाना रेलवे लाइन को पुनः चालू किया जाना चाहिये। रेलवे मंत्रालय में इस मामले को राय जानने के लिये राज्य सरकार को भेजा था तथा मुझे पता चला है कि राज्य सरकार ने इस रेलवे लाइन के बिछाने की जोरदार सिफारिश की है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि रोहतक से पानीपत तक रेलवे लाइन कब तक निकाली जा सकेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक मुझे जानकारी है राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त हो गया है और वह विचाराधीन है।

Shri Kedar Paswan (Rosera): Will the Hon. Minister be able to assure that a railway line will be constructed from Hassanpur to Sakuri *via* Kushashwersthan? Secondly, the number of accidents has increased alarmingly and if this process continued then there will be no need for family planning, because the casualties of these accidents will decrease our population. I demand that the Hon. Minister should either decrease the number of accident or he should resign.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : दिल्ली और मद्रास के बीच दो रेल गाड़ियाँ थीं—एक जी० टी० एक्सप्रेस और दूसरी माऊंटन एक्सप्रेस। मद्रास और दिल्ली के बीच तथा दिल्ली और हैदराबाद के बीच यात्रियों की भारी भीड़ होने के कारण आँध्र प्रदेश सरकार ने माँग की थी कि हैदराबाद से दिल्ली तक सीधी रेलगाड़ी चलाई जाये, परन्तु कोई अतिरिक्त रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है। रेलवे मंत्रालय ने अतिरिक्त रेल गाड़ियाँ चलाने की बजाय एक रेल गाड़ी का नाम बदल कर दिल्ली से हैदराबाद तक दक्षिण एक्सप्रेस और हैदराबाद से मद्रास तक काजीपट एक्सप्रेस रख दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त रेल गाड़ियाँ कब तक चलाई जायेंगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : दक्षिण एक्सप्रेस में काफी स्थान होता है, जो कि बहुत लम्बी गाड़ी है और जिस में डीजल इंजन तथा 17 डिब्बे लगे रहते हैं।

Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur): Mr. Speaker,, I have suggested that Muzaffarpur should be connected to Gorakhpur by broad gauge line. Secondly I have suggested that an additional line should be constructed between Allahabad City and Allahabad Junction. I want to know from the Hon. Minister as to what is being done in this regard?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : माननीय मंत्री के त्यागपत्र की बार बार माँग की गई है तथा क्या वह यह आश्वासन देंगे कि यदि कोई अन्य रेल दुर्घटना हुई तो वह त्यागपत्र दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि त्यागपत्र की बजाये कोई जानकारी माँगे तो अच्छा होगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : दिल्ली में रिंग रेलवे लाइन गत 10 अथवा 12 वर्षों से बनाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह रेलवे लाइन कब तक पूरी होगी

दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि इस रेलवे लाइन पर जो स्टेशन बनाने जा रहे हैं, क्या उन लोगों की सलाह से बनाने जा रहे हैं, जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि कुछ स्टेशन उन बस्तियों से बहुत दूर बनाये जा रहे हैं, जिन बस्तियों के लिये उन्हें बनाया जायेगा? तीसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस लाइन पर उन स्थानों पर ऊपरी पुल बनाये जायेंगे, जहाँ जहां पर यह नगर में सड़कों को काट कर निकाली जायेगी, क्योंकि यातायात की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहाँ जहाँ इस रेलवे लाइन द्वारा सड़क को काटा जायेगा, वहाँ वहाँ रेलवे की लागत से ऊपरी पुल बनाये जायेंगे । नये स्टेशनों के लिये स्थानों को चुन लिया गया है । उन के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है । भूमि प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ पेश आई हैं, जिन से काम में कुछ विलम्ब हुआ है । कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1968 तक काम पूरा हो जायेगा ।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): More vigorous measures should be taken to check ticketless travelling. Secondly, the train going upto Samastipur should be extended upto Darbanga. Thirdly, if N.E. Railway is being replaced by Eastern Railway and if Divisional System is being introduced in place of District System, the Divisional Headquarters should be located at Samastipur.

अध्यक्ष महोदय : लगभग 300 कटौती प्रस्ताव हैं। माननीय सदस्य किन किन कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखवाना चाहते हैं ।

श्री नम्बियार: हम चाहते हैं कि कटौती संख्या 424 पर सभा में मतविभाजन कराया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस कटौती प्रस्ताव को अलग से सभा में मतदान के लिये रखूंगा, शेष सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिये रखा जायेगा । प्रश्न यह है :

> "कि 'रेलवे बोर्ड' शीर्षक के अन्तर्गत माँग संख्या 424 में 100 रुपये की कटौती की जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

[पक्ष में 36, विपक्ष में 93; Ayes 36, Noes 93]

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा बाकी सब कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बजट (रेलवे) के बारे में वर्ष 1968-69 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित माँगें सभा में मतदान के लिए रखी गईं ।

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,39,93,000
2	विविध व्यय	5,15,49,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	18,91,000
4	संचालन-व्यय––प्रशासन	70,35,22,000
5	संचालन-व्यय––मरम्मत और अनुरक्षण	226,80,59,000
6	संचालन-व्यय––परिचालन कर्मचारी	1,42,54,12,000
7	संचालन व्यय––परिचालन (ईंधन)	146,08,20,000
8	संचालन-व्यय––परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	41,41,28,000
9	संचालन-व्यय––विविध व्यय	32,09,27,000
10	संचालन-व्यय––कर्मचारी हित	23,89,36,000
11	संचालन-व्यय––मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	100,00,00,000
11-क	संचालन-व्यय––पेंशन निधि में विनियोग	10,00,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश	152,00,25,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	9,00,03,000
14	नयी लाइनों का निर्माण	28,83,59,000
15	चालू लाइन निर्माण, पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	533,15,92,000
16	पेंशन-प्रभार––पेंशन निधि	5,38,37,000
17	सामान्य राजस्व से लिये गये कर्ज और उस पर सूद का भुगतान––विकास निधि	1,23,84,000
19	विकास निधि में विनियोग	1,00,00,00
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी––अनुपतादक पूंजी के परिशोधन के लिए अदायगियाँ	1,36,08,000

लोक–सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

[पक्ष में 96, विपक्ष में 40, Ayes 96, Noes 40]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत बजट (रेलवे) के बारे में वर्ष 1967-68 के लिये लेखा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें सभा में मतदान के लिये रखी गई और पारित हुई ।

मांग संख्या	शीर्षक	अनुपूरक मांग की राशि जो सभा के मतदान के लिये रखी जायेगी ।
		रु०
1	रेलवे बोर्ड . .	6,57,000
2	विविध व्यय . .	14,24,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन .	1,80,63,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण .	5,94,95,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी .	2,25,76,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन) . . .	9,06,13,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़ कर)	2,86,70,000
14	नयी लाइनों का निर्माण .	1,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि . . .	1,17,40,000
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी . . .	10,14,000

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1968

APPROPRIATION (RAILWAY) BILL, 1968

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिये रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिये रेलवे सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकाले जाने के उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक 1968

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 2 BILL, 1968

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1967–68 के लिये रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 के लिये रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAY) BILL

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के लिये रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के लिये रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं ।

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के साथ जोड़ दिये गये ।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 2, BILL, 1963

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये रेलवे की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 1, 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

लेखानुदानों की मांगें (हरियाणा), 1968-69 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (हरियाणा), 1967-68

DEMANDS FOR GRANTS (ON ACCOUNTS) HARYANA, 1968-69, AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (HARYANA) 1967-68

अध्यक्ष महोदय : कार्य परामर्शदात्री समिति ने निर्णय किया कि हरियाणा की मांगों को बिना वाद विवाद के ही मतदान के लिये रखा जाये। बाद में जब हरियाणा बजट पेश किया जायेगा तो माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिये मैं बिना वाद-विवाद ही इन मांगों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं महोदय, हम इन पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब तो कुछ कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री अब्राह्म क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं?

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : जी हां।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
19	1	श्री अब्राहम	भूमि सुधार लागू करने में असफलता।	1 रुपया कम की जाये।
19	2	श्री अब्राहम	गरीब जनता पर करों का बोझ घटाने में असफलता।	1 रुपया कम की जाये।
19	3	श्री अब्राहम	राजस्व विभाग में बड़े पदों को कम करने की आवश्यकता।	100 रुपया कम की जाये।
22	4	श्री अब्राहम	5 मार्च, 1968 को करनाल जिले में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की न्यायिक जांच न किया जाना।	100 रुपया कम की जाये।
22	5	श्री अब्राहम	करनाल जिले में पुलिस अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार।	100 रुपया कम की जाये।
22	6	श्री अब्राहम	5 मार्च, 1968 को करनाल जिल में पुलिस द्वारा कुछ वकीलों का हवालात में पीटा जाना।	100 रुपया कम की जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
22	7	श्री अब्राहम	करनाल जिले में अतिचार करने के जिम्मेदार अधिकारियों को मोअत्तल न किया जाना ।	100 रुपया कम किया जाये ।
28	8	श्री अब्राहम	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा महंगा होना ।	100 रुपया कम किया जाये ।
38	9	श्री अब्राहम	सड़क परिवहन के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता इत्यादि सम्बन्धी मांगों का अस्वीकार किया जाना ।	1 रुपया कम किया जाये ।
38	10	श्री अब्राहम	हरियाणा सड़क परिवहन विभाग में कार्मिक संघ के 35 प्रमुख कार्यकर्ताओं का मोअत्तल किया जाना ।	1 रुपया कम किया जाये ।
44	11	श्री अब्राहम	हरियाणा राज्य विद्युत् बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कदाचार	100 रुपया कम किया जाये ।
44	12	श्री अब्राहम	विद्युत् विभाग द्वारा करनाल जिले की जनता की मांगों का पूरा न किया जाना ।	100 रुपया कम किया जाये ।
44	13	श्री अब्राहम	किसानों को पर्याप्त बिजली का न दिया जाना ।	100 रुपया कम किया जाये ।
44	14	श्री अब्राहम	बिजली की दरों का महंगा होना ।	100 रुपया कम किया जाये ।
44	15	श्री अब्राहम	करनाल जिले में बाढ़ के पानी भर जाने से खाद्य उत्पादन की हानि ।	100 रुपया कम किया जाये ।
44	16	श्री अब्राहम	सुधार उपकर को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपया कम किया जाये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have already raised this point. At present there are three States under President's rule and we are going to decide the future of nearly 14 crores of people. If the budgets of these States are passed without any discussion or even after a debate of two or three hours, then we are not doing justice to them. I therefore suggest that a Committee may be constituted to go into the details of budgets of these States. These budgets then can be passed by the House after two or three hours debates after the receipt of that Committee's Report.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने समिति बनाने के बारे में कहा है । सरकार इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहती है ?

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): महोदय, ऐसी समिति का गठन करना कठिन है, जो कि विभिन्न बजटों की जांच पड़ताल करे, क्योंकि इन बजटों को स्वयं सभा द्वारा पारित किया जाता है । दोनों सभाओं के सदस्यों की एक छोटी सी समिति है, जो इस बारे में जांच पड़ताल करेगी । इस के अतिरिक्त किसी अन्य समिति का गठन नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस बजट को उस समिति के समक्ष रखा गया था ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, नहीं ।

Shri Madhu Limaye: That Committee is responsible for enactments. I want to know whether this Budget was placed before that Committee?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): यह सच है कि उस समिति का कार्य हरियाणा में राष्ट्रपति के आदेश की देखभाल करना है, परन्तु उस समिति की एक बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति के सामने हरियाणा का कोई भी मामला उठाया जा सकता है, चाहे वह राष्ट्रपति के आदेश से सम्बन्धित भी न हो । जैसा कि संसद् कार्य मंत्री ने बताया है इस बजट को उस समिति के सामने पेश नहीं किया गया था, क्योंकि इस पर चर्चा करने के अन्य अवसर माननीय सदस्यों को मिलेंगे । यदि माननीय सदस्य चाहें तो समिति की बैठक भी शीघ्र बुलाई जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह संभव है कि लेखानुदानों के पास किये जाने से पूर्व समिति की बैठक बुलाई जाये ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, हम इस पर विचार करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत): जहां तक बजट का सम्बन्ध है, बजट बनाना समिति का कार्य नहीं है । इस बजट को सरकार की सलाह से राज्य के राज्यपाल तथा प्रशासन द्वारा बनाया गया है । वास्तव में यह बजट नहीं है, परन्तु चार महीने के लिये लेखानुदान है । जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस चार महीने की अवधि के बाद यहां बजट पर चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । यह तो केवल लेखानुदान है । अतः इस पर चर्चा करनी आवश्यक नहीं है ।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon): Mr. Speaker, Sir, with due deference to the Committee constituted for Haryana and this Government, I want to say that Haryana is not getting its due from the Centre and that has been reflected in these Demands for Grants. The amounts asked for in these Demands are not sufficient and that is why I say that we should be given an opportunity to discuss this Budget, so that we may place our problems before Parliament. You may remember Sir, that there have been heavy losses in the Districts of Karnal, Rohtak and Gurgaon due to floods during last rainy season. The amunt allotted in these Demands is not sufficient for Haryana. This budget has also not been put before the Consultative Committee and we have been deprived of any chance to discuss it. So I request that we should be given a chance to discuss it.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हरियाणा को केन्द्र से पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा है । कृषि, पशुपालन तथा अन्य परियोजनाओं के लिये हरियाणा को कोई धन नहीं दिया गया है । चूंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं इस लिये हमें लोगों से कुछ कहने का मौका दिया जाना चाहिये। हरियाणा की सब राजनीतिक दल अवहेलना कर रहे हैं । यह बड़ी अनुचित बात है कि हरियाणा का बजट बनाते समय हमें विश्वास में नहीं लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर चर्चा की जाये ? वह तो भाषण दे रहे हैं ?

श्री रणधीर सिंह : हरियाणा में इस समय विधान सभा नहीं है । यह संसद् ही हरियाणा की विधान सभा है तथा आप उस विधान सभा के अध्यक्ष हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कहना है कि यह केवल लेखानुदान है और उस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है । अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या इस पर चर्चा की आवश्यकता है अथवा नहीं ?

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): Haryana is a backward State and necessary funds have not been allotted for the development of Haryana. I want that this Budget should be placed before the representatives of Haryana and before those who have interest in Haryana. As the Centre has contributed very negligible amount for the development of Haryana, I want that the Members from Haryana should be given a chance to express their opinion. If that is not done, it will mean a denial of their right to them.

अध्यक्ष महोदय : जब कार्य परामर्शदात्री समिति में यह निर्णय किया गया था कि हरियाणा की लेखानुदानों की मांगों को बिना चर्चा किये ही पास किया जाये, तो मैं समझता था कि हरियाणा का सामान्य बजट भी सभा के सामने पेश किया जायेगा । परन्तु अब स्थिति यह है कि हरियाणा का बजट सभा के सामने पेश नहीं किया जायेगा, क्योंकि इस अवधि में वहां चुनाव हो जायेगा और विधान सभा का गठन हो जायेगा । सरकार चाहती है कि अगामी तीन अथवा चार महीनों के लिये हरियाणा का लेखानुदान पास कर दिया जाये । इसका अर्थ यह होगा कि हरियाणा के सदस्यों को तीन अथवा चार महीने तक कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा और इस के बाद हरियाणा विधान सभा का गठन हो जायेगा तथा फिर यह मामला हरियाणा विधान सभा के सामने चला जायेगा ।

इस लिये मैं समझता हूं कि हरियाणा के सदस्यों को इन लेखानुदानों पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। यदि सब माननीय सदस्य सहमत हों, तो केवल हरियाणा के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : हम आप के सुझाव को स्वीकार करते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : कार्य परामर्शदात्री समिति में यह भी सुझाव दिया गया था कि हरियाणा जैसे उन राज्यों के बजटों को जहां राष्ट्रपति का शासन लागू है, समिति को सौंपा जाये। इस लिये इस बजट को समिति को सौंपा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस में सरकार अपनी कठिनाई पेश कर रही है।

श्री चं० च० देसाई (साबरकंठा): मेरा निवेदन है कि बोलने का अवसर केवल हरियाणा के सदस्यों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये। स्वतंत्र पार्टी को आशा है कि वह चुनाव के बाद हरियाणा में बहुमत प्राप्त करेगी। इस लिये स्वतंत्र पार्टी के कम से कम एक सदस्य को तो बोलने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो चर्चा के लिये कम से कम 2 घंटे का समय चाहिये। आज आधे घंटे की चर्चा भी है। अतः हमारे पास इतना समय नहीं है। यदि और सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जा सका तो दिया जायेगा, परन्तु प्राथमिकता हरियाणा के सदस्यों को दी जायेगी।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): Floods are causing great havoc in Haryana. There are three drains in my constituency. Crops worth crores of rupees have been damaged. Steps should be taken to check floods before the ensuing rains.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

A hailstorm hit Haryana sometime back. Crops worth more than a crore of rupees were destroyed as a result thereof. No money has been provided for the construction of roads so that people could get employment and earn their living.

Certain high schools are being run by the people through their own efforts. These schools should be upgraded. No provision has been made in the budget for upgrading these schools.

Haryana has no say in the Bhakra Control Board. The result is that Haryana gets very inadequate power supply to energise tubewells etc.

The farmers in Haryana do not get fertilisers and taccavi loans in time. Government should try to ensure that they get these aids in time.

Agriculturists should get remunerative prices for their produce. Prices of agricultural commodities should not be allowed to fall below a certain level. The river Yamuna causes great havoc in Haryana. A dam should be constructed over the river.

Government should pay attention to the development of Mewat. There is no industry in that area which can provide employment to the people.

[Shri Abdul Ghani Dar]

Haryana contributed Rs. 1½ crores to the Punjab University. But there are only 9 members in the Senate from Haryana. There is no member in the Syndicate and the Financial Board from Haryana. Haryana should be given due representation in these bodies.

In all the Universities, there are two deans of history, but in Kurukshetra University there is only one dean of history. There should be two history deans in the University.

Shri Randhir Singh (Rohtak): Haryana is an agricultural State. The provision for agriculture and irrigation in the Budget is inadequate. The Central Government should give a sum of Rs. 50 crores to the Haryana State for development of agriculture. The result will be that this State alone would produce enough foodgrains to meet the needs of the entire country.

Power should be supplied to Haryana for energising tubewells. Financial aid should also be given for installing new tubewells.

There should be an independent Board for Bhakra Dam. Haryana should get its due share of power and water from the Bhakra Dam.

Haryana has no good city. Chandigarh should be given to Haryana. The Boundary Commission had recommended the inclusion of Chandigarh in Haryana. Government should have accepted that recommendation. A decision on the future of Haryana should be taken immediately.

Haryana has cattle of very good quality. Government should allocate about Rs. 20-30 crores for the development of animal husbandry and dairying in that State.

Although Haryana contributed a large sum to the funds of the Punjab University, it does not have adequate representation in the Syndicate and Senate. Due representation should be given to Haryana in the various bodies of the University. A separate University should be set up for Haryana with headquarters at Rohtak.

Kurukshetra and Pinjore should be developed as tourist centres. They will earn considerable foreign exchange for the country. A Radio Station should also be set up at Rohtak. A small steel plant and a fertiliser factory should also be set up in Haryana.

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढका) : हरियाणा के बजट पर उस राज्य की आर्थिक तथा राजनैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिये । आर्थिक दृष्टि से हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और वह अपने दुग्धशाला उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना चाहता है ।

राजनैतिक दृष्टिकोण यह है कि उस राज्य का अभी हाल ही में उदय हुआ है और वहाँ अभी राजनैतिक स्थिरता नहीं आ पाई है ।

इस वर्ष फिर लगान बढ़ा दिया गया है । आँकड़ों से पता चलता है कि कर्ज़ बहुत ज्यादा है और बजट की कुल रकम का एक चौथाई भाग ब्याज आदि के भुगतान के

लिए रखा गया है है। प्राक्कलन के मुकाबिले में व्यय के वास्तविक आँकड़े बहुत कम हैं। इसका अर्थ है कि प्रशासन अवश्य ही पूर्णतया ठप्प हो गया है।

कवि सम्मेलन, लेखक सम्मेलन तथा मुशायरों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। समझ में नहीं आता कि उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। सरकारी सहकारी संस्थाओं के लिए कर्ज भी दे रही है। उन्हें कर्ज देकर तथा अपने नियन्त्रण में रखकर सरकार उन से राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है। मालूम होता है कि चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से ही यह बजट बनाया गया है।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): The Haryana budget should have been prepared keeping in view the recommendations of the Haryana Development Committee. Adequate funds should be allocated for the development of this backward State. Haryana has great potentialities for the development of agriculture and industry.

It is regrettable that this year's plan for Haryana is only of Rs. 23.43 crores. This amount is inadequate for the development of a backward State like Haryana. The proposal for the construction of Kisan Dam has been under consideration for quite sometime. This Dam should be constructed. It will provide irrigation facilities not only to Haryana but also to U.P. Adequate drinking water facilities are not available in certain places in Haryana. Dam over Ghaggar and Kisan Dam will solve this problem also.

Power for tube-wells is not being made available because of lack of transmission lines. Government should therefore supply transmission lines without any delay. Power should be supplied at uniform rates for agriculture and industry. At present there are two different rates.

Haryana Government agreed to pay D.A. to their employees at the Central rates but they are not giving arrears for the nine months. The employees resorted to strike to press their demands. They are now being victimized for taking part in the strike. Stringent punishments should not be meted out to the employees. They should be treated sympathetically.

There should be a defence colony in Haryana on the lines of the Defence Colony in Chandigarh.

The previous Haryana Government had reimposed fees for the students of 5th to 8th classes. No fees should be charged from the students of these classes.

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : पिछले कुछ महीनों में यह स्पष्ट हो गया है कि काँग्रेस दल ने हरियाणा के लोगों की लोकाँत्रिक आकाँक्षाओं को कुचलने का निश्चय कर लिया है। इस राज्य के नौकरशाह अपनी शक्ति का मनचाहे ढंग से उपयोग कर रहे हैं। जब लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आन्दोलन किया तो पुलिस अधिकारियों ने जनता को आतंकित करने के लिए गुंडागर्दी के तरीके अपनाए। उन्नति-कर समाप्त करने तथा पाठशाला शुल्क कम करने और खेतिहर को भूमि देने के लिए शाँतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन जब जुलूस इन्दरी स्थित पुलिस थाने के सामने से गुजरा तो कुछ गुंडे लोग थाने से बाहर आए और उन्होंने जुलूस पर प्रहार किया। प्रदर्शनाकारियों पर गोलियाँ

[श्री अब्राहम]

चलाई और कानून और व्यवस्था के नाम पर उन पर लाठियाँ बरसाईं। घुड़सवार पुलिस ने भी लोगों पर प्रहार किया। पुलिस ने मनगढ़न्त कहानी बनाई कि दक्षिण पंथी और वामपंथी साम्यवादियों में झड़प हो गया था। हमें विश्वास है कि उन कारनामों में पुलिस अधिकारियों का हाथ था।

10 जनवरी और 8 और 9 फरवरी को हरियाणा सड़क परिवहन के कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल की। गृह मंत्री ने समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप किया लेकिन बातचीत के दौरान ही हरियाणा सरकार ने इस आन्दोलन के नेताओं को परेशान किया। लगभग 35 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें निलम्बित कर दिया गया और आन्दोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें कारण-दिखाओ नोटिस दिये गये। उनको तंग करने की कार्रवाई तुरन्त बन्द की जानी चाहिये और उनके विवाद को शीघ्र ही हल किया जाना चाहिये। हिन्दुस्तान ट्रीफोर्ड लिमिटेड, बहादुरगढ़ के एक विवाद के मामले में भी यही मजदूर विरोधी नीति अपनाई जा रही है।

प्रबन्धक बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हानि पहुंचाने पर तुले हुए हैं और केन्द्रीय श्रम मंत्रालय यह सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। जब ऐसे मामलों में सरकार कर्मचारियों के पक्ष में कार्यवाही ही नहीं करती है तो औद्योगिक शान्ति कैसे कायम रह सकती है।

नलकूपों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए बिजली देने के मामले में अधिकारी लोग भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके अपनाते हैं। सरकार एस०डी०ओ० बिजली के मामले में करनाल जिले में इन्दरी के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकी है। किसानों को बिजली की कम सप्लाई होने के कारण उत्पादन कम होता है। सिंचाई अधिकारियों ने करनाल जिले में सहायक नहरों के फाटक समय पर बन्द नहीं किये जिससे खेतों में बाढ़ का पानी आ गया और हजारों एकड़ भूमि में अनाज का उत्पादन नहीं हुआ।

हरियाना में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बहुत महंगी है जिसके कारण नवयुवक अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

सभी राजस्व विभागों में ऊंचे अधिकारियों के पद कम करके प्रशासन में बचत हो सकती है।

पंजाब सरकार सुधार कर हटा रही है किन्तु समझ में नहीं आता हरियाना सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। सरकार भूमिहीन किसानों और मजदूरों को भूमि देने तथा भूमि सुधार करने में भी असफल रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): माननीय सदस्य श्री अब्राहम ने अभी पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने का उल्लेख किया है। किन्तु हमारी जानकारी के अनुसार गोली पुलिस ने नहीं चलाई अपितु वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने आक्रमणकारियों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोली चलाई थी।

नहरों के बन्द न किये जाने के कारण खेतों में बाढ़ का पानी भर गया था। यह सुबह तीन बजे हुआ था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पानी बन्द हो। माननीय सदस्य को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। बिना सोचे समझे सभा में किसी बात के बारे में आक्षेप लगाना उचित नहीं है। यह बात तब और भी अधिक अनुचित प्रतीत होती है जब कि पुलिस तथा अन्य अधिकारी तो अपना कर्तव्य पालन करते हैं और यहां सभा में गलत जानकारी के आधार पर उनके कार्य की आलोचना की जाती है।

कुछ माननीय सदस्य बजट पर बहस करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर बहस करना इस समय लाभदायक नहीं है। हमें आशा है कि हरियाना में शीघ्र ही सामान्य स्थिति स्थापित हो जायेगी और तब विधान सभा पूरे बजट पर विस्तारपूर्वक विचार करेगी। उस समय वहां पर आरंभ की जाने वाली विकास योजनाओं पर भी विस्तार पूवक विचार किया जायेगा।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष बजट में 5.93 करोड़ रुपये की कमी थी। अब इसे घटाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह हमारी सफलता है। यह राजस्व की अधिक वसूली राजस्व व्यय में कमी करके तथा भूमि आदि की बिक्री से अधिक आय से हुआ है। अगला वर्ष का बजट अधिक संतुलित होगा। योजना परिव्यय वर्तमान संसाधनों तक ही सीमित रखा गया है। इसके बावजूद हमने यथासंभव यह प्रयत्न किया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को किसी प्रकार की हानि न हो। उदाहरणार्थ जहां तक कृषि का सम्बन्ध है भूमि बन्धक बैंक जैसी विभिन्न कृषि वित संस्थाओं को पर्याप्त रकम दी जायेगी। अगले वर्ष इसकी राशि 2.4 करोड़ रुपये होगी जिसमें से 36 लाख रुपये राज्य सरकार देगी। इस प्रयोजन के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम भी अधिक धन देगा।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना नदी पर एक बांध बनाने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त उजीना एक ऐसी अन्तर्राज्यीय जल विकास योजना है जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। इसके लिए अगले वर्ष के लिए 82.5 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। गोंची नाले का भी काफी काम पूरा हो चुका है और यह वर्षा ऋतु से पहले पूरी हो जायेगी। इसी तरह वर्ष 1967-68 में जल विकास व्यवस्था में सुधार के कार्य पर 92 लाख रुपये व्यय किये गये है। साहिबी, मारखंडा और घग्गर जैसी बाढ़ नियंत्रण की अनेक योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक सिंचाई व्यवस्था का सम्बन्ध है; पिछले कुछ वर्षों में नलकूपों के मामले में सराहनीय प्रगति हुई है। दो वर्ष पहले इस राज्य में केवल 20,000 नलकूप थे। पिछले वर्ष 7,000 नलकूपों की व्यवस्था की जानी थी और उनमें से अधिकतर नलकूपों की व्यवस्था की जा चुकी है। अगले वर्ष 10,000 और नये नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस तरह दो वर्ष की अवधि में वहां नलकूपों की संख्या प्राय: दुगुनी हो जायेगी। इस वर्ष बाढ़ नियंत्रण के लिए 82,50,000 रुपये की रकम रखी गई है।

चर्चा के दौरान यह भी कहा गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट में हरियाना का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस विषय पर हरियाना परामर्शदात्री समिति में विचार विमर्श किया गया है और हरियाना को उसमें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये उचित कार्यवाही करने का विचार किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी संस्थाओं में योग्य व्यक्तियों को ही लिया जाना चाहिए।

डेरी उद्योग के विकास के लिए 24.88 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन के लिए एक कुशल संयंत्र तथा क्रीम निकालने का संयंत्र जींद में सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की बजट में व्यवस्था की गई है। करनाल तथा गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों को पशु सघन विकास के लिए चुना गया है।

हरियाना में कृषि के क्षेत्र में अत्यन्त सराहनीय प्रगति हुई है। वहां पर 38 प्रतिशत से अधिक में सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है। अगले वर्ष 1 लाख 25 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगेगी। आशा है अधिक उपज देने वाले बीजों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 लाख एकड़ भूमि में बोयी जायेगी जब कि इस वर्ष 4.3 लाख एकड़ भूमि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गई है। आशा

[श्री कृष्ण चन्द पन्त]

है कि सहकारी समितियां किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिए 16 करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण देंगी।

हमारे अनुमान के अनुसार वर्ष 1968–69 में 3.67 लाख मीट्रिक टन खाद की, जिसका मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये होगा, आवश्यकता होगी। सहकारी समितियों के माध्यम से 14 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है 10.17 करोड़ रुपये व्यवस्था पहले से ही है और आशा है कि 4 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से मिल जायेंगे।

कमी वाले क्षेत्रों तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें बनाने की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष भी इस कार्य पर पर्याप्त धन व्यय किया गया है।

इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि चंडीगढ़ में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। उनसे केवल यह कहा जा रहा है कि उन्हें हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं मिलेगा।

जहां तक महंगाई भत्ते के मूलभूत प्रश्न का सम्बन्ध है कुछ महीने पहले हरियाना की तत्कालीन सरकार ने महंगाई भत्ते के बारे में एक निर्णय किया था जिसके अन्तर्गत उसने पंजाब सरकार के बाद अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। यदि हरियाना सरकार ने पंजाब सरकार के बराबर ही अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया तो केन्द्रीय सरकार के लिए ऐसा करना कहां तक उचित होगा? हरियाना में सरकार बनने पर ही इस मामले पर हरियाना सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 16 तक मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Cut Motion were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा हरियाणा के सम्बन्ध में लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands on account in respect of Haryana were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	भू-राजस्व	21,14,150
2	राज्यीय उत्पादन शुल्क	2,38,960
3	गाड़ियों पर कर	72,000
4	बिक्रीकर	7,39,550
5	अन्य कर और शुल्क	5,37,300
6	स्टाम्प	97,830
7	रजिस्ट्री फीस	11,400
8	संसद, राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	6,66,270
9	सामान्य प्रशासन	64,16,940
10	न्याय प्रशासन	10,25,000
11	जेलें	13,82,700
12	पुलिस	1,58,65,000
13	संभरण और निपटान	89,000
14	विविध विभाग	6,25,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
15	वैज्ञानिक विभाग	25,000
16	शिक्षा	4,16,80,580
17	चिकित्सा	74,82,000
18	लोकस्वास्थ्य	72,79,150
19	कृषि	1,30,00,000
20	पशुपालन	45,00,000
21	सहकारिता	18,00,000
22	उद्योग	40,00,000
23	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	50,20,000
24	श्रम और नियोजन	39,00,000
25	सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन	7,95,000
26	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	1,33,16,140
27	सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल निकासी संबंधी निर्माण-कार्य (वाणिज्यिक) सिंचाई, नौ-परिवहन तटबन्ध और जल निकासी संबंधी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक)	90,83,900
28	सिंचाई सिब्बंदी पर खर्च	39,75,100
29	लोक-निर्माण-कार्य	51,03,400
30	भवन तथा सड़क निर्माण सिब्बंदी पर खर्च	18,44,300
32	सड़क और जल परिवहन योजनाएं	1,40,00,000
33	दुर्भिक्ष सहायता	10,00,000
34	पेंशनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	23,98,500
35	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	12,620
36	लेखन सामग्री और छपाई	11,61,900

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा हरियाणा के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Supplementary Demands in respect of Haryana were put and negatived.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	भू-राजस्व	6,95,700
11	जेलें	2,43,660
12	पुलिस	33,09,800
16	शिक्षा	17,34,170
32	सड़क तथा जल परिवहन	20,00,000
43	कृषि सुधार तथा अनुसंधान	18,00,000
44	औद्योगिक तथा आर्थिक विकास	83,22,000
50	पेंशन के राशिकृत मूल्य की अदायगी	31,200

हरियाणा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968

HARYANA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1968

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण च द पंत) : मैं श्री मोरारजी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की एक भाग की सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की एक भाग की सेवाओं के लिए हरियाणा की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द पंत : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

हरियाणा विनियोग विधेयक, 1968

HARYANA APPROPRIATION BILL, 1968

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत): मैं श्री मोरारजी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द पंत : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

हरियाणा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

HARYANA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL

श्री कृष्ण चन्द पंत : मैं श्री मोरारजी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की एक भाग की सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की एक भाग की सेवाओं के लिए हरियाणाराज्य की संचित निधि मे से कुछ राशियों के निकाले जाने लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1, 2, 3, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चंद पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

हरियाणा विनियोग विधेयक

HARYANA APPROPRIATION BILL, 1968

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत): मैं श्री मोरारजी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिये हरियाणा की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिए हरियाणा की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री कृष्णचन्द पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

विदेशों में भारतीय दूतावास

INDIAN MISSIONS ABROAD

Shri Kameshwar Singh (Khagari): Although the Government has all along been saying that the question of economy in Indian Missions abroad is continuously under their scrutiny, nothing is being done in this regard.

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए)
Shri G. S. Dhillon in the Chair.]

In the reply to Starred Question No. 723 it has been stated that the question of economy consistent with the functional efficiency in Indian Embassy in Washington as well as other Indian Missions abroad is constantly and continuously under Government's scrutiny and attention. All possible steps are being taken to ensure that public funds are spent with the utmost care and to the maximum advantage. The Deputy Prime Minister had given an assurance at the time of the discussion on the last year's budget that the staff at the High Commission in London would be reduced by half. But unfortunately nothing has been done so far to implement that assurance.

Our Ambassadors abroad spend money recklessly. The 42nd Report of the Public Accounts Committee to the Third Lok Sabha has pointed out an instance where electricity bills of an Indian Ambassador went up to Rs. 9,000

**आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-Hour discussion.

a year because the air-conditioners were working for a longer hours in order to protect the valuable furniture. It can be well imagined from this report how our Missions abroad are spending money recklessly.

Our Ambassadors pay scant regard to discipline. I can produce an instance in this regard. When the Laos Commission was reconvened in 1961, our High Commissioner in Australia was posted to serve on that Commission. He had drawn more allowances. In spite of Ministry asking him to refund the amount of Rs. 4,405, drawn by him, he did not do so. Now he has retired and the Government has not been able to get back that sum from him. Such acts of high officials set bad precedents for the staff.

Some of the Ambassadors have no faith in our policies. Consequently they are not able to explain our policies properly in foreign countries. The Government appoint either Congressmen rejected by the people at the polls or ex-Generals as Ambassadors. These persons do not possess the ability of being Ambassadors.

We have a Supply Mission and a Defence set up in London. Now when we are producing a number of items of defence equipments ourselves or importing some equipments from Russia and certain other countries, it is possible to effect economy there. But the Government are not doing anything.

The Government have stated that an economy of Rs. 36·60 lakhs is expected to be realised as a result of measures already taken. But I think this is a very small amount. Much more money can be saved.

We have telex connections with only a few missions. We should have telex connections with more missions.

In U.S.A. we are paying a big amount of money for the rent of buildings. The Government should construct their own building so that a good amount of money may be saved.

The Brish Crown and inscription on the building housing the Indian High Commissioner has not so far been removed. These relics from the days of Empire should be removed.

The information officers in our mission do not work whole-heartedly because they are temporary. Steps should be taken to absorb them on a regular basis.

There are certain Foreign Service Officers who have been in the Headquarters for more than 10-12 years. There are some officers who have been abroad for quite a long period. Is there any rule for stay of offices in Headquarters?

Suitable persons should be appointed in our Missions for attending to publicity and commercial matters. At present we are not having suitable persons for these jobs.

For purposes of promotion due weightage should be given to merit along with seniority. But no attention is being paid to merit at present. The result is that young officers are suffering.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं इस विषय में अधिक विस्तार में जाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय ने विदेशों म स्थित दूतावासों में कुशल कर्मचारी नियुक्त करने के बारे में विचार किया है ? इस समय जिस ढंग से कार्य किया जा रहा है उस से लापरवाही अथवा कुप्रबन्ध का ही पता चलता है। उदाहरणार्थ, वर्तमान नियमों के अनुसार किसी अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा छः महीने से अधिक समय पहले नहीं की जानी चाहिए किन्तु वाशिंगटन में नियुक्ति सम्बन्धी एक मामले के बारे में घोषणा एक वर्ष पहले ही कर दी गई थी ।

मुझे इस बात का पता भी चला है कि मनीला जैसे कुछ देशों मे नियुक्ति को राजनीतिक दृष्टि से नहीं अपितु भत्ते की दृष्टि से अच्छा समझा जाता है और ऐसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति जाना चाहता है । विदेश सेवा निरीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी क्या है ? क्या न धारण योग्यता वाले उन लोगों से विदेश सेवा निरीक्षण कार्य लिया जाता है जिन्हें कुछ भी नहीं करना होता है ? क्या उन्हें सीनियर इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार नहीं है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं ने माननीय सदस्यों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी हैं । बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें कहीं गई है जिन पर विस्तारपूर्वक उचित अवसर पर चर्चा की जायेगी ।

हम विदेशों में स्थित दूतावासों की कार्यकुशलता के बारे में समय समय पर छानबीन करते रहते हैं। विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित दूतावासों का सम्बन्ध निरन्तर पत्र-व्यवहार द्वारा बना रहता है और हमारा यही प्रयत्न रहा है कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावास यथा-संभव कुशलता से कार्य करें । हो सकता है कि कुछ दूतावासों के कार्य में कुछ कमी हो किन्तु यह आरोप लगाना नितान्त अनुचित है कि किसी भी दूतावास का कार्य समुचित ढंग से नहीं चल रहा है। हम यह प्रयत्न कर रहे है कि लंदन स्थित उच्चायोग के आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या यथासंभव कम की जाये। वर्ष 1966 में लंदन स्थित उच्चायोग में 960 पद थे और उन में से 110 पद कम कर दिये गये थे। इस समय वहां पर केवल 850 कर्मचारी कार्य करते हैं । इस उच्चायोग का व्यय करने के कारण लगभग 24 लाख रुपये की बचत हुई है। हमारे विचार से इस में भविष्य में भी कटौती करने की गुंजायश है और हम इस मामले पर निरन्तर विचार कर रहे है । वर्ष 1967–68 में विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों पर 983 लाख रुपये का व्यय हुआ है और इसी अवधि में 43.82 लाख रुपये की बचत की गई है ।

माननीय सदस्य ने एक आरोप यह भी लगाया है कि हमारे राजदूत हमारी नीति को भलीभांति नहीं समझ पाते हैं जिसके कारण वे विदेशों भारत में का दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वास्तविकता यह है कि हमारे राजदूत अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभाते हैं। हो सकता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में, जिस में सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर रहे हों, कहीं कोई त्रुटि हो। किन्तु यह कहना नितान्त निराधार है कि इन दूतावासों में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति अयोग्य हैं । फिर भी हम इस सम्बन्ध में बड़ी सतर्कता से कार्य करते हैं। जब कभी बाहर से हम इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि हमारे राजदूत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करते हैं और स्थिति में सुधार करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं । आवश्यक होने पर हम ऐसे राजदूतों के स्थान पर अन्य राजदूत नियुक्त करके भेजते हैं ।

जहां तक इंडिया हाउस का संबंध है, वहां से भित्तिलेख हटाया जा रहा है और इस की इमारत के बाहरी भाग को भी बदला जा रहा है ।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में सूचना अधिकारियों को स्थायी नहीं किया जाता है । वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है । विदेश सेवा में आई० एस० आई० के अधिकारी भी नियमित सेवा के आधार पर लिये जाते हैं। अब तक लिए गए कुछ अधिकारी स्थायी आधार पर लिए गये हैं ।

विदेशों में स्थित हमारे 24 दूतावासों में टेलेक्स की सुविधाएं है। इस बात की जांच करते रहते है कि टेलेक्स पर कम व्यय होता है अथवा संचार के अन्य साधनों पर । जहां कहीं भी जब हमें यह पता चलता है कि संचार के अन्य साधनों पर होने वाला व्यय टेलेक्स सेवा पर होने वाले व्यय से अधिक है, वहां हम यथाशीघ्र टेलेक्स सेवा की व्यवस्था कर देते हैं । यह सब इन सेवाओं पर होने वाले व्यय पर निर्भर करता है ।

मुख्यालय में केवल दो ऐसे अधिकारी हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से वहां पर कार्य कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है ।

Shri Kameshwar Singh: How many foreign interpreters and translators are working in Indian Missions abroad and how much foreign exchange is being spent on them?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस समय इस बारे में जानकारी देना संभव नहीं है ।

हमारी विदेश सेवा के निरीक्षक बड़े कार्यकुशल हैं । वे अनुभव-प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी हैं । जो पहले से ही इस कार्य को करते आ रहे हैं वे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : विदेश सेवा के निरीक्षक कार्य कर्मचारियों के वितरण के बारे में सिफारिश करना भी है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बारे में सिफारिश करते हैं । मैं ने मनीला आदि स्थानों का उल्लेख किया था । उनकी रिपोर्ट का क्या महत्व है । आप उनकी रिपोर्ट के बारे में सभा को नहीं बता रहे हैं। अतः उनकी रिपोर्ट की उपयोगिता ही क्या है ? यह सक्षमता का प्रश्न नहीं हैं अपितु विदेश सेवा के निरीक्षकों को प्राप्त मान और अधिकार का प्रश्न है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विदेश सेवा के निरीक्षकों की सिफारिशों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है । रिपोर्ट का विवरण बताना संभव नहीं है ।

सभापति महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 21 मार्च, 1968/2 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 21, 1968/Chaitra 2, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS III—862 LSD—31-10-68—600